खण्ड-190, अंक-9
गुरूवार, 17 माघ, शक संवत् 1879
(6 फरवरी, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 190 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ६ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन में ११ बज कर ४ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३४५)

अक्षयवर्रासिह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलरऊफ़ लारी, श्री
अब्दुललतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूरअली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती

बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण , श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां श्री, (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद, 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ़ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेज बहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामम्नोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री , कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खाँ, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हरदयालसिंह श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री

हरीश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

माल उपमंत्री, श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे।

बृहस्पतिवार, ६ फरवरी, १९५८ ई०

सदन की घंटी खराब होने के कारण सदन के कार्यारम्भ में विलम्ब

श्री अध्यक्ष—आज घंटी खराब हो जाने की वजह से कार्यारम्भ में कुछ विलम्ब हुआ है। घंटी बज नहीं रही थी और मैं प्रतीक्षा करता रहा। जैसे ही घंटी ठीक होकर बजने लगी मैं चला आया।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जिला बुलन्दशहर में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड बिसरख के कार्य

*१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि N. E. S. ब्लाक बिसरख, जिला बुलन्दशहर में अब तक क्या-क्या कार्य हुआ है ?

नियोजन उपमन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, बिसरख, में खण्ड खुलने की तिथि (२ अक्तूबर, १९५६) से ३० सितम्बर, १९५७ तक जो विकास कार्य हुए हैं, उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७३३ पर)

*२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि अब तक N. E. S. ब्लाक, बिसरख में कुल कितना धन व्यय हुआ और उसमें से कितना सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस खंड में, खण्ड के खुलने की तिथि से ३० सितम्बर, १९५७ तक कुल ७०,५५८ रु० खर्च हुए हैं। इसमें से सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर १५,५४० रु० तथा महंगाई और भत्ते पर ८,४९७ रु० खर्च किये गये हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बांध इन कार्यों में दिया गया है वह कितना लम्बा है और कहां से कहां तक है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसका विवरण नहीं है, नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके जो राजकीय सिंचाई कार्य हुए हैं उनका विवरण संक्षेप में बतायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसमें १९,९३७ रुपये के करीब व्यय हुआ है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यय राष्ट्रीय विकास सेवा खंड बिसरख पर हुआ है वह कार्य की प्रगति को देखते हुए बहुत अधिक है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसमें तो २ लाख १६ हजार ९०२ रुपया व्यय हुआ है और जो काम हुआ है वह कम नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बिसरख ब्लाक में कर्मचारियों के भवन बनाने में कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसके लिये नोटिस चाहिये ।

काशीपुर कालोनाइजेशन क्षेत्र में डेलवपमेंट चार्जेज की वसूली

*३---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि जिन टेनेंट्स ने काशीपुर कालोनाइजेशन क्षेत्र में लगाये गये डेवलपमेंट चार्ज को देने से इनकार किया उनको ट्रेसपासर करार दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे टेनेंट्स की संख्या क्या है ?

माल उपमन्त्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)---जी नहीं ।

*४---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार काशीपुर कालोनाइजेशन क्षेत्र में ऐसे पुराने काश्तकारों की (गांववार) संख्या बताने की कृपा करेगी, जिनसे १३६० फसली तक सरकार ने बजरिये रेंट रोल के काशीपुर कालोनाइजेशन क्षेत्र में लगान वसूल किया और जिन्हें अब बेदखली का नोटिस दिया गया है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---किसी ऐसे पुराने काश्तकार को बेदखली का नोटिस नहीं दिया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय ऐसे टेनेन्ट्स की क्या पोजीशन है जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेज देने से इन्कार कर दिया है ?

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)---टेनेन्ट्स से तो डेवलपमेंट चार्जेज नहीं लिये गये इसलिये सवाल नहीं उठता । वह ट्रेसपासर्स से लिये गये हैं, जो नहीं देंगे वह बेदखल किये जायंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि काशीपुर कालोनाइजेशन क्षेत्र में जिन पुराने काश्तकारों से लगान वसूल किया गया है उनकी क्या पोजीशन है ?

श्री चरणसिंह---सवाल का जवाब दिया जा चुका है उससे जाहिर है कि वह ट्रेसपासर नहीं हैं, काश्तकार हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ट्रेसपासर से डेवलपमेंट चार्जेज लेने के बाद उसकी क्या हैसियत होगी ?

श्री चरणसिंह---जो कानून कहेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो कालोनाइजेशन क्षेत्र के टेनेन्ट्स हैं क्या उन पर यू० पी० जमींदारी एबालिशन ऐक्ट ऐप्लाई करता है, १९३९ का टिनेन्सी ऐक्ट ऐप्लाई करता है या क्राउन प्रान्ट्स ऐक्ट ऐप्लाई करता है ?

श्री चरणसिंह---कानूनी मशविरा यहां इस प्रकार नहीं दिया जा सकता । माननीय सदस्य कानून को जानने की कोशिश करें ।

खीरी जिले में अमेठी ग्राम की बिला लगानी भूमि

*५---श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ग्राम अमेठी, परगना धौरहरा, जिला खीरी में कितनी भूमि सीरदारी अथवा भूमिधरी की (बागात छोड़कर) बिला लगानी है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---ग्राम अमेठी, परगना धौरहरा, जिला खीरी में केवल ८१.४० एकड़ भूमि भूमिधरी की (बागात छोड़कर) बिला लगानी है ।

*६--श्री जगन्नाथप्रसाद--क्या सरकार कारण बतायेगी कि यह भूमि अब तक बिला लगानी क्यों चली आ रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--सम्बन्धित अधिकारियों की गलती के कारण इस भूमि की मालगुजारी के निर्धारण की कार्यवाही में विलम्ब हुआ। मालगुजारी के निर्धारण की कार्यवाही एस० डी० ओ० की अदालत में चल रही है। जिन कर्मचारियों की गलती से विलम्ब हुआ उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह भूमि कब से बिला लगानी चली जा रही है ?

श्री चरण सिंह--कोई तीन चार साल से ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन कर्मचारियों के कारण यह भूमि बिला लगानी रही ?

श्री चरण सिंह--एस० डी० ओ० की भी गलती थी, उनके दफ्तर के क्लर्कों की भी गलती थी और तहसील के दफ्तर के एक आध क्लर्कों की भी गलती थी। उनके नाम बताना मुनासिब नहीं होगा। उन सब से जवाब तलब हुआ है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस भूमि पर अब तक मालगुजारी न पड़ने के कारण सरकार को कितने रुपये की हानि उठानी पड़ी ?

श्री चरण सिंह--लगभग एक हजार के। लेकिन हानि नहीं होगी, रुपया सब वसूल हो जायगा।

टाउन एरिया कमेटी, धौरहरा, जिला खीरी, से मछलियों के नीलाम का धन वापस लेना

*७--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार टाउन एरिया कमेटी, धौरहरा, जिला खीरी द्वारा अपनी सीमा के बाहर के तालाबों और नालों की मछलियों के नीलामों से प्राप्त धनराशि सम्बन्धित गांव समाज को वापस कराने पर विचार करेगी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--इन नीलामों से प्राप्त धनराशि सम्बन्धित गांव समाजों को वापस दिलाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऐसे कितने रुपये हैं ?

श्री चरण सिंह--७७३ रुपये।

काशीपुर कालोनाइजेशन क्षेत्र में डेवलपमेंट चार्जेज की वसूली

*८--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि काशीपुर कालोनाइजेशन क्षेत्र के काश्तकारों से ५० रु० प्रति एकड़ डेवलपमेंट चार्ज मांगा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--जी हां, पर यह मांग केवल उन व्यक्तियों से की जा रही है जिनका पिछले रिकार्ड आपरेशन के समय सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा पाया गया था अथवा जो उस उपनिवेशन क्षेत्र के लिये सरकार द्वारा भूमि प्राप्त (acquisition) करने से पहले ऐसे लोगों से भूमि पट्टे पर लिये हुए थे जिनको भूमि पट्टे पर देने का अधिकार नहीं था। जो व्यक्ति डेवलपमेंट चार्जेज दे देते हैं उन्हें वाजबी तौर पर टेनेन्ट तसलीम कर लिया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह डेवलपमेंट चार्जेज किस कानून के मातहत लिये जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह---चूंकि गवर्नमेंट ने वहां डेवलपमेंट किया है, वह जमीन ट्रैक्टराइज की है जो पहले से ट्रैक्टराइज नहीं थी और अगर न देना चाहें तो बेलकम है । वे बेदखल हो जायंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मेरा सवाल तो दूसरा है ।

श्री अध्यक्ष---वह तो एक दफा जवाब दे चुके । कानून के प्रश्न का जवाब वह देंगे नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अगर कानूनी जवाब सरकार नहीं दे सकती तो वह बैठ कैसे सकती है ?

मेरा सवाल यह है कि यह डेवलपमेंट चार्जेज किस ऐक्ट के मातहत लिये जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह---इसमें ऐक्ट की जरूरत नहीं है । वह लोग ट्रेसपासर्स हैं । ट्रेसपासर्स की बेदखली की जा रही है । कानूनन बेदखली हो सकती है । अब अगर डेवेलपमेंट चार्जेज दे दें तो उनसे यह फैसला हो सकता है । वह न देना चाहें और कोई कानूनी दिक्कत हो तो न दें । वह बेदखल हो जायं गे ।

श्री अध्यक्ष---ला आफ कांट्रेक्ट के बेसिस पर है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ट्रेसपासर्स की जमीन को गवर्नमेंट ने ट्रैक्टराइज कैसे किया, किसने इजाजत दी ?

श्री चरण सिंह---वह जमीन गवर्नमेंट की थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतलायेगी कि जिस जमीन के डेवलपमेंट चार्जेज लिये जा रहे हैं वह केवल ट्रैक्शन चार्जेज हैं या और भी चार्जेज शामिल हैं उसमें ?

श्री चरण सिंह---ट्रैक्शन चार्जेज ही हैं । एक प्रकार से ५० रु० फी एकड़ औसतन लिया जा रहा है । हो सकता है कहीं ४८ रु० ट्रैक्टराइज करने में लगा हो पर इस तरह एकड़, एकड़ के हिसाब से नहीं वसूल किया जा सकता ।

*९-१०---श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १३ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों को प्रगाढ़ खंडों में बदलने तथा नवीन खण्ड खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

*११---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह इस वर्ष में किन-किन जिलों में कितने-कितने एन० ई० एस० ब्लाक खोलने वाली है तथा किन-किन जिलों के कौन-कौन से एन० ई० एस० ब्लाक को इन्टेन्सिव ब्लाकों में परिवर्तित करने वाली है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---अब इस वर्ष मार्च, १९५८ तक कोई एन० ई० एस० ब्लाक नहीं खोला जायेगा । जिन एन० ई० एस० ब्लाकों को जनवरी, १९५८ में इन्टेन्सिव ब्लाकों में परिवर्तित किया गया है उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७३४ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी को पता है कि प्रदेशीय कम्युनिटी डेवेलपमेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन ने सन् १९५७-५८ में १४६ एन० ई० एस० ब्लाक्स खोलने तथा ४० एन० ई० एस० ब्लाकों को इंटेंसिव ब्लाकों में परिवर्तित करने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो वह कार्य क्यों नहीं हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस वर्ष १४५ एन० ई० एस० ब्लाक्स और ४० प्रगाढ़ ब्लाक्स खुलने वाले थे। दिसम्बर, सन् १९५७ तक ८० एन० ई० एस० ब्लाक्स और ५ प्रगाढ़ विकास केन्द्र खुल चुके थे । अब चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अभी तक शेष की स्वीकृति नहीं दी है इसलिये इस साल नहीं खुल रहे हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि १९५८-५९ में कितने नये एन०ई०एस० ब्लाक्स खुलने वाले हैं और कितनों को इंटेसिव ब्लाकों में परिवर्तित करने वाले हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी इसके लिये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया पर यह निर्भर करता है ।

श्री शिव प्रसाद नागर—क्या सरकार बतायेगी कि राज्य में इस समय सब से अधिक एन० ई० एस० ब्लाक्स किस जिले में खुल चुके हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार का इस तरह से अचानक नये ब्लाकों को खुलने से रोकने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—पहले यह इरादा था कि सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के अन्तर्गत सब जगह ब्लाक्स खोल देंगे। मगर अब केन्द्रीय विकास मंत्रालय में इस तरह की कोई बात नहीं मालूम होती। मुमकिन है कि इस योजना काल में पूरे ब्लाक न खोल करके, यानी १९६१-६२ तक न खोल करके सन् १९६३ में खोलें । आर्थिक कठिनाई ही इसका कारण हो सकती है ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जब आर्थिक स्थिति ठीक हो तो जहां पहले घोषणा की है कि एन० ई० एस० ब्लाक्स खुलेंगे उनको पहले लिया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिलों में जिस प्रकार से प्राथमिकता दी गयी है उसी प्रकार से चलेगी ।

*१२—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[इस सूची से हटाकर दो स्वतन्त्र प्रश्नों के रूप में अलग से निर्धारित किया गया है ।]

*१३-१४—श्री मुक्तिनाथ राय—[आठवें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या २-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१५—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—[२० फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

सरकारी बसों के प्रयोग में आने वाली सड़कों की लम्बाई

*१६—श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक डिवीजन में कितनी-कितनी मील सड़कों पर सरकारी बसें चलती हैं ?

परिवहन राज्य मन्त्री (डाक्टर सीताराम)--यह सूचना सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

सूचना

रीजन	सड़क की लम्बाई (miles) जिस पर रोडवेज की बसें चलती हैं
आगरा	१०१७.०
इलाहाबाद	९९४.६
बरेली	९२९.०
गढ़वाल (उप-रीजन)	११०.०
गोरखपुर	१३९८.५
कानपुर	९३७.०
कुमायूं (उप-रीजन)	१२८.०
लखनऊ	७५०.१
मेरठ	३६२.५
योग : ..	६६२६.७

श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ६६२६ मील ७ फर्लांग पर जो बसें चलती हैं वह पक्की सड़कों पर चलती हैं या कच्ची पर ?

डाक्टर सीताराम--पक्की पर चलती हैं।

श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कच्ची सड़कों पर बसें न चलाने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम--यह सरकार की नीति है कि ज्यों-ज्यों सड़कें पक्की होती जायंगी त्यों-त्यों उन्हीं पर ही सरकारी बसें चलायी जायंगी। इसी नीति के अनुसार पक्की सड़कों पर ही सरकारी बसें चलती हैं।

श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार को पता है कि गोंडा जिले में गोंडा से रगड़गंज तक जो सड़क जाती है वह पक्की है, उस पर बस क्यों नहीं चलायी जाती ?

श्री अध्यक्ष--केवल एक विशेष सड़क के बारे में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या परिवहन मन्त्री जी प्रत्येक डिवीजन में जितनी माइलेज की फिगर उन्होंने श्री गंगा प्रसाद जी की मेज पर रखी हैं, उसे हाउस के सामने बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--आगरा रीजन में १०१७ मील, इलाहाबाद रीजन म ९९४.६ मील, बरेली में ९२९ मील, गढ़वाल (उप रीजन) में ११० मील, गोरखपुर में १३९८.५ मील, कानपुर में ९३७ मील, कुमायूं (उप-रीजन) में १२८ मील, लखनऊ में ७५०.१ मील और मेरठ में ३६२.५ मील।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी डिवीजन के किसी जिले में रोडवेज की बसें क्यों नहीं दौड़तीं ?

डाक्टर सीताराम—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जा रहा है कि झांसी डिवीजन में भी बसें चलायी जायं ।

श्री गेंदासिंह—जिन सड़कों पर निजी लोग मोटर चलाने में असमर्थ हैं वहां सरकार चलवाने की कृपा करेगी जिससे कि वहां की जनता की कठिनाई दूर हो ?

डाक्टर सीताराम—इसमें ऐसा विचार किया जा रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२२ मील की सड़कें ली जायं और उनकी प्राथमिकता जैसी होगी वैसे ही उनको लिया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि कुमायूं डिवीजन में २० प्रतिशत सड़कें कच्ची हैं और उन पर सरकारी बसें चलती हैं ?

डाक्टर सीताराम—इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

बस्ती जिले में करीं ग्रामवासियों की फर्जी इन्दराज के सम्बन्ध में कथित शिकायतें

*१७—श्रीमती गेंदा देवी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद, ग्राम करीं में गैर मजरुआ बंजर भूमि के फर्जी इन्दराज के सम्बन्ध में करीं ग्रामवासी तथा गांव समाज ने सन् १९५२, १९५३, १९५४, १९५५ तथा १९५६ में सम्बन्धित तहसीलदार, परगनाधीश तथा जिलाधीश को शिकायती दरख्वास्तें दी थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं ।

बस्ती जिले में गांव समाज केवाड़ी मुस्तहकम आदि से भूमि के दुरुपयोग की शिकायतें

*१८—श्रीमती गेंदा देवी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि १९५६ में बस्ती जिले की हरैया तहसील के गांव समाज केवाड़ी मुस्तहकम, उंची मुस्तहकम तथा देवारा गंगवरार के अध्यक्षों द्वारा गांव समाज की भूमि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—जी हां, आवश्यक जांच के बाद ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकार कब्जा करने वालों के खिलाफ जमीदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था नियम ११५ सी० के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही हो रही है ।

देवरिया जिले में कुछ गांवों को गांव समाज ऊंजी में न मिलाने के लिए कथित आवेदन-पत्र

*१९—श्रीमती गेंदादेवी (अनुपस्थित)—क्या माल मन्त्री को ज्ञात है कि १९५६ में सरकार के पास कोई ऐसा आवेदन-पत्र आया था कि गांव समाज उमरिया से जयपुर और गांव समाज देवरा गंगवरार से दशरथपुर को निकाल कर गांव समाज ऊंजी में न मिलाया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*२०–२२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १३ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२३–२४—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—[छठवें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या ७६–७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

मैनपुरी जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, कुरावली के अन्तर्गत कार्यों पर व्यय

*२५—श्री गनेशचन्द्र काछी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, कुरावली ने आज तक कितना धन जनहित में कहां-कहां व्यय किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, कुरावली में खंड खुलने की तिथि (२ अक्तूबर, १९५६) से ३० नवम्बर, १९५७ तक जनहित कार्यों में सरकारी व्यय १८,७२९ रुपया हुआ। यह व्यय जिन-जिन स्थानों में हुआ—उसका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७३५–७३७ पर)

पुखरायां, जिला कानपुर में रोडवेज के स्टेशन की आवश्यकता

*२६—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार आगामी वर्ष में पुखरायां (कानपुर) में रोडवेज का स्टेशन निर्माण करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, आगामी वर्ष में पुखरायां में स्टेशन निर्माण का विचार नहीं है।

*२७—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार पुखरायां को टैक्सी गाड़ियों का भी केन्द्र बनाने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या परिवहन मन्त्री जी को ज्ञात है कि पुखरायां में रोडवेज का स्टेशन न होने की वजह से सड़क के किनारे बसें खड़ी होती हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं और हर वर्षा में पैसेंजर्स को बड़ी तकलीफ होती है ?

डाक्टर सीताराम—हां, इसकी सूचना अवश्य है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मन्त्री महोदय इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे जिससे कंजेस्टेड एरिया से रोडवेज का टेम्पोरेरी स्टेशन हटाकर किनारे पर हो जाय जहां पर उसके लिये जगह है ?

डाक्टर सीताराम—भूमि को ऐक्वायर करने की व्यवस्था की जा रही है। ज्यों ही जमीन मिल जायगी त्यों ही उसकी व्यवस्था कर दी जायगी।

हथगवां निवासियों का मुहद्दीनगर स्थित कछार के सम्बन्ध में हाकिम तहसील कुण्डा को कथित प्रार्थना-पत्र

*२८—श्री हरकेश बहादुर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हथगंवा, तहसील कुण्डा के निवासियों ने कोई प्रार्थना-पत्र हाकिम तहसील कुण्डा के यहां पिछले चार माह के अन्दर मुहद्दीनगर स्थित कछार सम्बन्धी दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[२० फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

बलिया नियोजन समिति की अनुदान के लिए मांग

*३०—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सत्य है कि बलिया नियोजन समिति ने जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यों के लिये सरकार से विशेष अनुदान की मांग की है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां ।

*३१—श्री गौरीशंकर राय—अगर हां, तो सरकार उस पर क्या करने जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जितना धन प्रति वर्ष राज्य सरकार तथा भारत सरकार इन कार्यों के लिये निर्धारित करती है उसमें से छाया खंडों की संख्या के आधार पर प्रत्येक जिले को धनराशि हर वर्ष दी जा रही है । पिछले वर्ष बलिया जिले को लगभग २,२०,००० रु० दिया गया। इस वर्ष बलिया जिले को १,९७,००० रु० तो दिया जा चुका है। भारत सरकार से कुछ और अनुदान प्राप्त हो गया है जिससे यह सम्भव हो गया है कि इस जिले को इस साल में लगभग २,३४,००० रु० कुल इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो सकेगा ।

बलिया जिले के लिये कोई विशेष अनुदान देने का विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि इस विशेष अनुदान की मांग के साथ-साथ जिला नियोजन समिति ने सर्वसम्मति से इस बात पर खेद प्रकट किया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कुछ भी कार्य नहीं हो सका है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—हां, प्रस्ताव तो पास किया है, लेकिन वे प्रथम पंचवर्षीय योजना में जरूरत से ज्यादा काम कर चुके हैं, इसलिये बकिया सालों में कोई कार्य नहीं किया । जितना काम निर्धारित था उससे ज्यादा वे कर चुके हैं ।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय मन्त्री ने बतलाया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितना कार्य निर्धारित था उससे ज्यादा हो चुका है, किन्तु नियोजन समिति ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया है कि वे कुछ भी कार्य प्रथम दो वर्षों में करने में असमर्थ रहे हैं । अगर विशेष परिस्थिति रही है तो विशेष परिस्थिति समझ कर क्या माननीय मन्त्री इस पर व्यवहार नहीं करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ऐसी परिस्थिति तो लगभग बहुत से जिलों में है । भारत सरकार या राज्य सरकार जो कुछ भी रुपया देती है उसको १५ हजार रुपये के हिसाब से फी छाया खंड के आधार पर हर जिले को दे दिया जाता है । कमिश्नरों को यह रुपया सारे डिवीजन भर के लिये दे देते हैं । अगर वहां के कमिश्नर उचित समझेंगे तो बलिया को ज्यादा दे देंगे ।

श्री गौरीशंकर राय—जब बहुत से जिलों की स्थिति ऐसी है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कुछ भी कार्य नहीं हो सका तो क्या इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार स्टेट लेविल पर कुछ विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह जो आपने कहा कि काम नहीं हो रहा है यह तो सेल्फ हेल्प ग्रान्ट का सवाल है। बाकी जो विभागों द्वारा काम हो रहे हैं वे तो होते ही जा रहे हैं और जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो रही है ।

श्री बलदेव सिंह—क्या माननीय मन्त्री नियोजन समिति के प्रस्ताव की जांच कराने की कृपा करेंगे कि वह सही है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जहां तक सेल्फ हेल्प ग्रान्ट का सवाल है वह सही है ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कमिश्नरों के पास जो धनराशि रक्खी जाती है वह कितने प्रतिशत होती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह प्रतिशत का प्रश्न नहीं है । भारत सरकार ६ करोड़ रुपये के करीब सेन्ट्रल ग्रान्ट के रूप में रखती है और उसमें से अन्दाजन १ करोड़ के करीब यू० पी० को मिलता है । उसे हम डिवीजनवाइज बांट देते हैं और डिवीजनों में कमिश्नर फी छाया खंड को १५ हजार रुपये के हिसाब से दे देते हैं । लेकिन कमिश्नर किसी जिले में कमोबेश भी कर सकते हैं ।

गोंडा जिले के बूढ़ापार और सादुल्लानगर परगनों में मालगुजारी में न मुजरा हुयी दसगुना लगान की रकम

*३२—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना बूढ़ापार और सादुल्लानगर, जिला गोंडा में दसगुना लगान का कितना रुपया लगान में मुजरा किया गया है और कितना रुपया मुजरा करने से अभी बाकी है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—परगना बूढ़ापार में १,०४,५९७ रुपये २५ नये पैसे तथा सादुल्लानगर में ९४,७३४.३१ रुपये मालगुजारी में मुजरा हुये हैं और लगभग ५,००० रुपये मुजरा करने को अभी बाकी हैं ।

*३३—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोगों के प्रार्थना-पत्र देने पर भी अब तक उनका रुपया लगान में मुजरा नहीं किया गया ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जितने लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे उनके रुपये मालगुजारी में मुजरा हो चुके हैं और अब कोई भी प्रार्थना-पत्र बाकी नहीं है ।

*३४—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—क्या सरकार उन रुपयों को जो अभी मुजरा नहीं हुये हैं सन् १३६५ फसली की जमाबन्दी में मुजरा होने के हेतु दर्ज कराने की कृपा करेगी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जो रुपये अभी तक मुजरा नहीं हुये हैं वे लापता खातों से सम्बन्धित हैं। इनके सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते ही बिना किसी रोक टोक के एडजेस्टमेन्ट की कार्यवाही तुरन्त की जायगी ।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह ५,००० रुपये की जो रकम बकाया मुजरा होने के लिये बतायी गयी है वह जो अब तक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं उनकी मुजरा रकम है या जो जमा हो चुकी है उनके मुताल्लिक है ?

श्री चरणसिंह—यह रकम खातों के मुताल्लिक है । जितनी दरख्वास्तें आयी थीं उनका ऐडजस्टमेन्ट कर दिया गया, कोई पेंडिंग नहीं है ।

श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रुपया ऐडजस्ट हुआ है उनकी रसीदें अब तक काश्तकारों को न मिलने के कारण अमीन लोग लगान में मुजरा नहीं देते हैं ?

श्री चरणसिंह—ऐसी कोई इत्तला नहीं है । ऐडजस्टमेंट जब हो गया तो अमीन लोग उस मालगुजारी को मांगेंगे ही नहीं । तहसील में सब रकम कट जायगी ।

कानपुर नियोजन कार्यालय में हरिजनों की भर्ती

*३५—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर नियोजन कार्यालय में पिछले दो वर्षों में कितने क्लर्कों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—लिपिक ८, अन्य कर्मचारी २ ।

*३६--श्री मुरलीधर कुरील--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन नियुक्तियों के लिये हरिजनों के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और कितनों की नियुक्ति की गयी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--१० हरिजनों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। इनमें २ हरिजन नियुक्त हुये ।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो दो नियुक्तियां हुई हैं वह किन पदों पर हुई हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ये चपरासियों तथा स्वीपरों में हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनमें हरिजन कितने हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--वही तो कहा, दो हरिजन हैं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--नियुक्ति करते समय जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है, १८ परसेंट, सरकार की ओर से उसका भी ध्यान रखा गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--वह ध्यान तो हमेशा रहता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ८ लिपिकों की नियुक्ति हुई, तो इस लिपिक पद के लिये कितने हरिजनों के प्रार्थना-पत्र आये थे और क्यों इस पद पर हरिजनों की नियुक्ति नहीं की गयी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--लिपिकों के ५ स्थानों पर नियुक्ति के लिये राजकीय रोजगार कार्यालय से नाम मांगे गये थे जिनमें से ८ नाम हरिजनों के भी थे, परन्तु परीक्षा प्रतियोगिता में कोई भी हरिजन सफल न हो सका ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की जो नीति है कि १८ प्रतिशत हरिजनों को स्थान मिलने चाहिये और योग्यता पर भी प्रिफरेन्स दिया जाय तो इस बात को ध्यान में रखकर उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की गयी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--कम से कम योग्यता से नीचे तो नहीं ले सकते हैं ।

१८५७ के स्वतंत्रता संग्राम, के सैनिकों के उत्तराधिकारियों को सहायता देने की प्रार्थना

*३७--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसको भारतीय सरकार से यह आदेश प्राप्त हुआ है कि वह उन व्यक्तियों को समुचित सहायता देने की व्यवस्था करे जो कि सन् १८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के उत्तराधिकारी हैं ? यदि हां, तो उसने कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी सहायता दी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--भारत सरकार राज्य सरकार को ऐसा आदेश संविधान के अनुसार नहीं दे सकती ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि भारतीय संसद् में ५ सितम्बर, १९५७ को माननीय गृहमंत्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था कि प्रादेशिक सरकारों को ऐसे लोगों को समुचित सहायता देने की सलाह दी गयी है ? यदि हां, तो कितने लोगों को सहायता दी गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था हमारे फंड्स इतने कम हैं कि जो पोलिटिकल सफरर्स हैं, उनको ही नहीं दे पा रहे हैं, इसलिये और विस्तार नहीं करना चाहते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा की गई पोलिटिकल सफरर्स की जो परिभाषा है उसमें क्या १८५७ के सैनिक भी आते हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इस सरकार ने तो लिखा था कि १८५७ के जितने भी राजनीतिक पीड़ित हैं उन लोगों की देशव्यापी सेवाएं हैं और यही भारतीय सरकार से अनुरोध किया गया था ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब गृहमंत्री जी ने सलाह दी थी कि जो स्वतंत्रता संग्राम में सैनानी मारे गये हैं, प्रादेशिक सरकार उनको सहायता दे, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ऐसी सहायता की मांग की थी ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---सहायता मांगने का प्रश्न नहीं है बल्कि उनसे कहा गया कि वह दे दें । हमारे यहां निर्णय कर दिया गया कि अब उसको और आगे बढ़ाया नहीं जा सकता ।

पर्यटन केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

*३८---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के किस-किस स्थान में वह पर्यटन केन्द्र खोलने का विचार रखती है और उन पर अलग-अलग क्या व्यय होने का अनुमान है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---निकट भविष्य में प्रदेश में कोई भी नया पर्यटन केन्द्र खोलने का विचार नहीं है ।

स्वतंत्रता संग्राम, १८५७ के सेनानी, डौड़िया खेड़ा, जिला उन्नाव निवासी, राव राम बख्श सिंह के उत्तराधिकारियों का सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र

*३९---श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास प्रदेश के १८५७ ई० में स्वतंत्रता संग्राम के पीड़ित कुटुम्बों के उत्तराधिकारियों की ओर से पेन्शन हेतु ऐसे प्रार्थना-पत्र आये हैं, जिन्हें प्रमाणित करके सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करना था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---कुछ प्रार्थना-पत्र आये थे परन्तु उनको केन्द्रीय सरकार के पास भेजने की आवश्यकता नहीं थी ।

*४०---श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त प्रार्थना पत्रों में डौड़िया खेड़ा, जिला उन्नाव के अमर बलिदानी राव रामबख्श सिंह के उत्तराधिकारी बंशजों का भी कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां ।

*४१---श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---सरकार के पास ऐसे लोगों को सहायता देने की कोई योजना नहीं है । इसी क अनुसार उत्तर दे दिया गया ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक सरकार के पास इस संबंध में कुछ नियम या आधार बनाकर भेजे थे, जिनके आधार पर वह केन्द्रीय सरकार के पास भेजने थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नहीं ऐसा कोई नहीं आया था। मैं स्पष्ट कर दूं कि इस समय केवल दो आदमियों को सहायता दी गई है। एक तो श्री लक्ष्मणराव, झांसी की रानी के पौत्र हैं और दूसरे नारायण टोपे हैं। इनको शताब्दी के अवसर पर १,००१ की भेंट भी दी गयी और ५० रुपये प्रतिमास पेंशन दी गयी। आगे गुन्जायश नहीं है, इसलिये भारतीय सरकार को जवाब दे दिया कि यहां से कोई पेंशन नहीं दी जा रही है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को सरकार की ओर से पेंशन या विशेष रूप से पुरस्कार दिये गये हैं उनका क्या आधार माना गया और जिन प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किया गया है उनको अस्वीकार करने के क्या कारण थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इन दो आदमियों का तो हो गया और उसके बाद भारत सरकार से ही कह दिया गया कि आप चाहें तो देश के स्तर पर दे सकते हैं।

श्री लेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो हमारे यहां के १८५७ के सेनानी हैं, उनको सहायता देने में क्या दिक्कतें सूझीं जो भारत सरकार से उन्होंने कहा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आर्थिक दिक्कत है।

उन्नाव जिले के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में दी गयी सहायता

*४२---श्री खजानसिंह चौधरी (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या माल मन्त्री जी को ज्ञात है कि सितम्बर सन् १९५७ के गंगा के सैलाब में उन्नाव जिले के सैलाबी क्षेत्र के गांवों में कितने रुपये का सामान सहायतार्थ बांटा गया है ?

श्री चरणसिंह---उन्नाव जिले में सितम्बर, १९५७ में गंगा से बाढ़-ग्रस्त ग्रामों में १,००१.६६ रुपये, गुड़, चना, दियासलाई, मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुओं के रूप में बांटा गया।

*४३---श्री खजानसिंह चौधरी (अनुपस्थित)---यदि यह सच है कि सहायतार्थ रुपया का सामान बांटा गया, तो तहसीलवार कितना-कितना ?

श्री चरणसिंह---वितरित सामान का तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है:---

	रु०
उन्नाव	८६२.३८
पुरवा	७०.८१
सफीपुर	६८.४७
योग ..	१,००१.६६

देवरिया जिले में रबी की फसल की मालगुजारी में छूट

*४४---श्री उग्रसेन---क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में गत रबी की फसल की मालगुजारी में प्रति तहसील कुल कितनी छूट दी गयी है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---देवरिया जिले की विभिन्न तहसीलों में गत रबी फसल की मालगुजारी में निम्नांकित छूट दी गयी है---

तहसील का नाम		लैन्ड रेवेन्यू की छूट			रेंट की छूट		
१---देवरिया	,,	१,६१,८६०	१४	२	४,०६१	४	६
२---पडरौना	..	१,७४,९६७	५	९	५१८	१४	९
३---सलीमपुर	..	१,८३,४७५	१०	५	१,०४१	१२	०
४---हाता ..	..	१,२९,५८६	७	५	५८	५	९
योग	..	६,४९,८९०	५	९	५,६८०	५	०

*४५---श्री उग्रसेन---क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रबी की फसल की बरबादी की रिपोर्ट जिलाधीश ने कब प्रदेश की सरकार को दी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---इस सम्बन्ध में जिलाधीश, देवरिया की प्रथम रिपोर्ट दिनांक ३ जून, १९५७ ई०, राजस्व परिषद् द्वारा, २४ जुलाई, १९५७ ई० को सरकार के पास आयी। उन की दूसरी (फाइनल) रिपोर्ट, दिनांक २७ अगस्त, १९५७ ई०, राजस्व परिषद् द्वारा, ८ अक्तूबर, १९५७ ई० को सरकार के पास पहुंची।

*४६---श्री उग्रसेन---क्या सरकार जिलाधीश, देवरिया की फसलों की बरबादी के विषय में रिपोर्ट जो सरकार के पास आयी है, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि** सदन की मेज पर रख दी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---श्रीमन्, प्रश्नों का उत्तर बिलकुल ही समझ में नहीं आया। अगर आप कृपा कर के दोहरवा दें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आप के तो वे प्रश्न नहीं थे। जो प्रश्नकर्त्ता हैं वे समझ गये।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---क्या मन्त्री महोदय यह बताने की जहमत गवारा फरमायेंगे कि "रेन्ट" से उनका क्या तात्पर्य है ? क्या वह गवर्नमेंट एस्टेट है क्योंकि रेन्ट तो गवर्नमेंट एस्टेट्स का होता है ?

श्री चरणसिंह---कस्बेजात के अन्दर जहां जमींदारी का खात्मा नहीं हुआ है वहां अभी काश्तकारान अपने पुराने जमींदारों को रेन्ट दे रहे हैं, उस से मतलब है।

श्री उग्रसेन---क्या माल मन्त्री जी से, देवरिया जिले से, इस आशय की मांग की गयी थी कि रबी की फसल ८५ फीसदी से ज्यादा क्षतिग्रस्त है और छूट कम दी गयी है ?

श्री चरणसिंह---माननीय मित्र गलती कर रहे हैं। वहां से तो मांग की गयी थी कि सेंट पर सेंट माफ कर दी जाय।

**प्रतिलिपि छापी नहीं गयी।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी के पास इस किस्म की शिकायत आयी है कि जो छूट दी गयीहै, उसे भी मालगुजारी के साथ वसूल किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह---शिकायतें इतनी और इस प्रकार की हैं कि वह सब मुझको याद नहीं हैं, लेकिन जो छूट दी गयी है उसका वहां एक पैसा भी वसूल नहीं किया गया होगा, ऐसी मेरी सूचना है ।

श्री उग्रसेन---क्या त्रिदलीय समिति में कुछ माननीय सदस्यों ने यह मांग मन्त्री जी से की थी कि यह छूट कम है ?

श्री चरणसिंह---मैं तो कह चुका हूं कि मांग है कि सेंट पर सेंट माफ कर दी जाय और हमेशा के लिए माफ कर दी जाय, यह भी एक मांगहै । लेकिन जो यह छट दी गयी है यह मुनासिबहै ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह मांग किस महानुभाव ने और किस समय की है कि हमेशा के लिए मालगुजारी माफ कर दी जाय ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, यह मांग सोशलिस्ट पार्टी की है और हमारे माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे जी की भी है ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि इस जिले में कुछ मालगुजारी मुल्तवी भी की गयी थी और वह मुल्तबीशुदा मालगुजारी इस वक्त वसूल की जा रही है ?

श्री चरणसिंह---जी, मुल्तवीशुदा मालगुजारी वसूल की जा रही थी, लेकिन अभी ८, १० दिन हुए यहां से आर्डर्स यह गये हैं कि जहां ८ आने से ज्यादा नुकसान खरीफ की फसल का हुआ हो, वहां वसूल न की जाय और जहां ६ आने से ८ आने के बीच में नुकसान हुआ हो वहां मुल्तवीशुदा मालगुजारी का निस्फ वसूल किया जाय।

श्री गेंदासिंह---रेवेन्यू मैनुअल में है कि जहां बिलो नार्मल फसल हुई हो वहां छूट होनी चाहिए, तो उसको देखते हुए क्या माननीय राजस्व मन्त्री ऐसे आदेश भेजने की मेहरबानी करेंगे कि यह वसूली समाप्त की जाय ?

श्री चरणसिंह---रेवेन्यू मैनुअल के अनुसार तो यह है कि जो मुल्तवीशुदा मालगुजारी है वह अगली फसल में वसूल की जाय। तो उन रूल्स को स्ट्रेच करके हमने यह किया कि जहां ज्यादा फसल खराब है वहां वसूल न की जाय और जहां कम खराब है वहां आधी वसूल की जाय, बाकी न की जाय।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि छूट के कागज अब तक किसानों को नहीं दिये गये हैं और पूरी मालगुजारी वसूल की जा रही है ?

श्री चरणसिंह---हो सकता है कि कागज न मिले हों। उसमें कुछ कठिनाई है और काम बहुत बढ़ जाता है। मान लो कि इलाहाबाद जिले से सिफारिश आयी कि २० लाख रुपये की मालगुजारी वसूल न की जाय और उस में पूरा जिला कवर्ड है। तो पहले तो स्लिप जाय कि वसूल न की जाय और फिर फाइनल स्लिप जाय कि इतनी वसूल की जाय, यह सम्भव नहीं । इसमें दिक्कत होती है। लेकिन अगर माननीय मित्र के नोटिस में ऐसा कोई केस हो कि कलक्टर ने मुल्तवी कर दी हो और फिर वसूली की जा रही हो तो मैं उसकी जांच करा लूंगा ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३ जून, १९५७ को और ८ अक्तूबर, १९५७ को जो आखिरी फाइनल रिपोर्ट पहुंची है उसमें जो देर हो रही है, आइन्दा ऐसी देर न हो इसकी क्या वह कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री चरणसिंह---देर जरूर होती है और करीब-करीब हर जिले के राज्य कर्मचारियों को फाइनल रिपोर्ट भेजने में देर हो जाती है और इसका कारण काम की ज्यादती है क्योंकि हर गांव के हर खेत का, हर किसान का हिसाब लग कर नीचे से आये तहसील में और फिर कलेक्टर के पास आये, तो इसमें जितना व्यापक काम है उसको देखते हुए राज्य कर्मचारियों का अधिक दोष नहीं होता। बाकी उनसे कई बार कहा गया है कि और जल्दी किया करें।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माल विभाग के कर्मचारियों से छूट के कागज न मिलने के कारण किसानों से लगान किस हिसाब से वसूल किया गया है या किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह---मैं यह कह चुका हूं कि नहीं किया जा रहा है। अगर माननीय सदस्य के नोटिस में कोई स्पेसिफिक केस हो कि मुल्तवी की गयी लेकिन फिर भी वसूल की जा रही है तो इसको लिखने की मेहरबानी करें, तहकीकात करा ली जायगी।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी लेखपालों की मदद के लिए और कर्मचारियों को नियुक्त करने की बात सोच रहे हैं ताकि यह काम जल्दी हो सके ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, आज भी राज कर्मचारियों का बजट पर बहुत बड़ा बोझा है।

श्री व्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लगान वसूली के सिलसिले में जो लेखपाल की खतौनी का खाता है और जो लगान की वसूली की खतौनी का खाता है, इन दोनों में फर्क है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। फर्क होता नहीं है और न होना चाहिए। २ करोड़ खाते हैं, मुमकिन है किसी में गलती हो गयी हो। अगर ऐसा है तो जिलाधीश की नोटिस में लायें, उसकी दुरुस्ती हो जायगी।

*४७-४९---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---[२० फरवरी, १९५८ के लिए स्थगित किये गये।]

हरदोई जिले में चकबन्दी में प्रयुक्त स्टाम्पों से आय

*५०---श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)---क्या माल मन्त्री को ज्ञात है कि जिला हरदोई की संडीला तहसील में ए० सी० ओ० बेनीगंज के कार्यालय में किसानों से फार्म २० और २४ मांगने पर भी सरकारी टिकट लगवाये जाते हैं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार बेनीगंज चकबन्दी क्षेत्र में आकार-पत्र २० और २४ के लिए दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों पर सरकारी स्टाम्प नहीं लगवाये जाते।

*५१---श्री राजेन्द्र सिंह---ए० सी० ओ० क्षेत्र और कार्यालयों पर किसानों के लिए शासकीय स्टाम्प सुलभ करने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---वकालतनामों के अतिरिक्त चकबन्दी विषयक किसी प्रार्थना-पत्र पर स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चकबन्दी क्षेत्रों में स्टाम्पों की उपलब्धि की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है।

तहसील संडीला में संडीला, परावन तथा बेनीगंज में ४ लाइसेंसदार स्टाम्प बिकेता हैं।

*५२—श्री राजेन्द्र सिंह—तहसील संडीला, जिला हरदोई से अब तक चकबन्दी में प्रयुक्त स्टाम्प से सरकार को कितनी आय हुई है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—९,४०१ रु० ३० नये पैसे ।

श्री राजेन्द्र सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि संडीला तहसील में जब से चकबन्दी प्रारम्भ हुई है, उस तिथि से लेकर और जिस तिथि को मैंने प्रश्न किये, उस तिथि के बीच में कितने किसानों के ऐसे प्रार्थना-पत्र आये जिनमें २२, २४ फार्म मांगे गये और उसमें सरकारी स्टाम्प लगाया गया ?

श्री चरणसिंह—२ सितम्बर, सन् १९५७ को यहां से आदेश दिये गये कि सिवाय वकालतनामे के और किसी कागज पर स्टाम्प न लगवाया जाय। तो उस के पहले की जो दरख्वास्त होगी या कोई कागज दाखिल किया गया होगा, उन पर जरूर स्टाम्प लगा होगा, इसके बाद नहीं लगा है ।

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर में जो यह बतलाया गया है कि ९ हजार की आमदनी स्टाम्प से हुई, तो क्या इस में आज्ञा पहुंचने के पहले की आमदनी शामिल है या बाद की ?

श्री चरणसिंह—मैं क्या अर्ज करूं, यह मोटी सी बात है कि यह पहले की ही है। बाद का सवाल नहीं उठता।

मैनपुरी कलेक्टरी में क्लर्कों को अधिकतम आयु की छूट

*५३—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी कलेक्टरी में ऐसे कितने क्लर्क हैं जिनको सरकार ने सन् १९५५, ५६, ५७ में अपर एज का एक्जेम्पशन दिया है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—मैनपुरी कलेक्टरी में सन् १९५५ में ३ कर्मचारियों को तथा १९५६ में २ कर्मचारियों को अधिकतम आयु की छूट दी गयी। सन् १९५७ में किसी भी कर्मचारी को अधिकतम आयु की छूट नहीं दी गई ।

*५४—श्री मलिखान सिंह—उन एक्जेम्पशन दिये हुए क्लर्कों में कितने आज काम कर रहे हैं, कितने नहीं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—उक्त पांच कर्मचारी जिन्हें अधिकतम आयु से छूट दी गई थी बराबर काम कर रहे हैं ।

श्री मलिखान सिंह—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह छूट किस आधार पर दी गयी ?

श्री चरणसिंह—किस जिले में किस आधार पर दी गयी और उनके क्या-क्या नाम हैं, इसकी तफसील यहां नहीं है । जैसे सेटिलमेंट के और पार्टीशन के क्लर्क थे और उन कामों के बन्द हो जाने पर वे लोग खपाये गये । लेकिन आयु उनकी २५ से ज्यादा हो चुकी थी, इसलिये जी० ओ० गया था । वे कनफर्म नहीं हो सके थे और इन्साफ का ऐसा तकाजा था कि एज से छूट देकर उन्हें कनफर्म किया जाय । प्रायः ऐसे ही केसेज हैं । वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और बोर्ड आफ रेवेन्यू की सिफारिश पर एक्जेम्प्ट किये जाते हैं ।

श्री मलिखान सिंह—सन् १९५५, ५६ और ५७ में ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र आये ?

श्री चरणसिंह—प्रार्थना-पत्र तो आते नहीं हैं, यह तो कलेक्टर ही आम तौर पर देता है । अगर कोई आया हो तो नोटिस की जरूरत है ।

*५५—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—[छठवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

आगरा जिले में खुलने वाले नवीन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों के सम्बन्ध में जानकारी

*५६—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में फतेहपुर सीकरी, किरावली तथा अछनेरा (जिला आगरा) में एन० ई० एस० ब्लाक खुलने की सम्भावना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नये राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार के सामुदायिक विकास मन्त्रालय द्वारा, इस राज्य के लिए, निर्धारित संख्या के अनुसार खोले जाते हैं। विभिन्न जिलों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में से कहां राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड पहले खुलें, और कहां बाद को इसका निर्णय सम्बन्धित जिला नियोजन समितियों की सिफारिशों के आधार पर इन क्षेत्रों की अपेक्षाकृत आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाता है । अतएव निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि किस वर्ष में कहां-कहां नवीन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड खुल जायेंगे ।

फिर भी, आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश (जिसमें आगरे का सम्पूर्ण जिला सम्मिलित है) राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों से आच्छादित हो जायेगा ।

पीलीभीत जिले में नवीन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड न खुल सकना

*५७—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला पीलीभीत को एन० ई० एस० ब्लाक्स के लिये कितने भागों में बांटा गया था और इस समय कितने ब्लाक्स कार्य कर रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—पीलीभीत जिले को ७ एन० ई० एस० ब्लाकों में बांटा गया है । इन में से ललोडीखेडा, पूरनपुर और बीसलपुर ब्लाक खोले जा चुके हैं ।

*५८—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या उक्त जिले में एन० ई० एस० ब्लाक जो इस वर्ष खुलने को था, स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां । केन्द्रीय सरकार की पर्याप्त संख्या में ब्लाकों की मन्जूरी न देने के कारण यह ब्लाक न खोला जा सका ।

श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या इस वर्ष बी० डी० ओ० वहां भेजे जा चुके थे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—नोटिस की जरूरत है ।

*५९—श्री गौरीशंकर राय—[२० फरवरी, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

अलीगढ़ जिले में बाढ़ के कारण क्षति तथा सहायता

*६०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष अलीगढ़ जिले के किन-किन स्थानों पर किसानों के खेतों की फसल पानी में डूब जाने से नष्ट हो गयी है और वर्षा से उनके मकानों के गिर जाने और पानी भर जाने से गल्ला नष्ट हो गया है ? उन्हें अब तक कितनी आर्थिक सहायता दी जा चुकी है ?

श्री चरणसिंह—इस वर्ष अलीगढ़ जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई क्षति तथा दी हुई आर्थिक सहायता का विवरण इस प्रकार है—

क्षति का विवरण—

(१) ग्रामों की संख्या जिनको क्षति हुई—१,१४२ ।

(२) क्षतिग्रसित भूमि का क्षेत्रफल—१,५४,०१४ एकड़ ।

(३) मकानों की संख्या जो गिर गये अथवा क्षतिग्रस्त हुए—१५,४०० ।

आर्थिक सहायता जो बांटी गई—

(१) अहेतुक सहायता (ग्रेचुटस रिलीफ)—८५,००० रु० ।

(२) मकान बनाने के लिए (हाउस सबसिडी) अनुदान—१,१५,००० रु० ।

(३) तकावी ऐक्ट १२ के अन्तर्गत—३,५६,००० रु० ।

इसके अलावा मालगुजारी में नियमानुसार छूट भी दी जायगी । तहसीलवार विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७३८ पर)

गोरखपुर जिले में तकावी का वितरण

*६१—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष २१ नवम्बर, सन् १९५७ तक गोरखपुर जिले में सरकार ने कितनी तकावी बीज तथा बैल के लिये अलग-अलग तहसीलों को दी है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—इस वर्ष २१ नवम्बर, १९५७ तक गोरखपुर जिले में बीज तथा बैलों के लिये स्वीकृत की गयी तकावी का तहसीलवार विवरण निम्नलिखित है:—

तहसील का नाम	रु०
(१) बासगांव	२,३३,०००
(२) सदर	२,२०,०००
(३) फरेंदा	१,५७,०००
(४) महाराजगंज	१,५७,०००

यह एलाटमेंट बीज तथा बैल के लिये सम्मिलित किया गया है ।

श्री अमरनाथ—क्या मन्त्री जी बतलावेंगे कि इस तकावी के एलाटमेंट में क्या सिद्धांत अपनाया गया है ?

श्री चरणसिंह—लोगों की जरूरत और गवर्नमेंट के बजट लिमिटेशन्स ।

गोरखपुर जिले में रबी की मालगुजारी में छूट देने पर विचार

*६२—श्री अमरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के जिलाधीश को १३६४ फसली की रबी किस्त की मालगुजारी के सम्बन्ध में कोई छूट देने का आदेश सरकार ने दिया है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जी नहीं । जिलाधीश की रिपोर्ट आ गयी है और वह विचाराधीन है ।

श्री अमरनाथ—क्या माननीय मन्त्री जी जिलाधीश की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री चरणसिंह—जब फाइनल हो जायगी तब रखने में गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं होगा ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—जिलाधीश की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने में क्या एतराज है ?

श्री चरणसिंह—रिपोर्ट मेज पर रखने में सरकार को कोई एतराज नहीं है ।

गोरखपुर जिले में जड़हन फसल को हानि

*६३—श्री अमरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के माल विभाग ने खरीफ १६३५ फसली में जड़हन फसल के नुकसान का कोई तखमीना लगाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अलग-अलग गांवों के नुकसान का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के खरीफ १३६५ फसली के नुकसान का तखमीना तैयार किया गया है और उसी में जड़हन फसल के नुकसान का तखमीना सम्मिलित है । क्षतिग्रस्त गांवों में जड़हन की फसल में औसतन रुपये में १० आना नुकसान पाया गया है । चूंकि जड़हन के नुकसान का ब्यौरा अलग से ग्रामवार तैयार नहीं किया गया है इसलिये इस प्रकार की सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

*६४—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

*६५—श्री देवीप्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)—[२० फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६६—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (अनुपस्थित)—[२० फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

अलीगढ़ की प्लानिंग कमेटी के दफ्तर तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड में परिगणित जाति के चपरासी

*६७—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ की प्लानिंग कमेटी के दफ्तर में कितने शिड्यूल्ड कास्ट के क्लर्क्स और चपरासी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला नियोजन कार्यालय, अलीगढ़ में परिगणित जाति का कोई लिपिक नहीं है, चपरासी एक है ।

*६८—श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एन० ई० एस० ब्लाक्स में शिड्यूल्ड कास्ट के कितने चपरासी रखे गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१६ ।

जौनपुर जिले में अल्प-बचत योजनान्तर्गत धन की वसूली

*६९—कुंवर श्री गर्लसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में पिछले छः महीनों के अन्दर अल्प-बचत योजना में कुल कितना रुपया वसूल किया गया जिसमें १६ नवम्बर, सन् १९५७ से अब तक कितना वसूल हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जौनपुर जिले में पिछले छः महीने अर्थात् १ जून से ३० नवम्बर, १९५७ तक की अवधि में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत कुल ३२,५३,४३८ रु० की धनराशि जमा हुई, जिसमें १६ नवम्बर से ३० नवम्बर तक की अवधि में कुल २,९९,१९३ रु० की धनराशि जमा हुई ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

जौनपुर जिले की केराकत तथा शाहगंज तहसीलों में लगान का कोटा न वसूल होने पर अमीनों को दण्ड

*७०—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलों में लगान वसूली के अमीनों से कोई निश्चित कोटा माहवारी वसूली का मांगा जाता है ? यदि हां, तो कितना ? अगर किन्हीं कारणों से उपर्युक्त कोटा न पूरा हुआ तो अमीनों को क्या सजा दी जाती है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, लगान वसूली के अमीनों से निश्चित कोटा माहवारी मांगा जाता है । हर जिले का कोटा अलग-अलग निश्चित किया गया है । यह कोटा ४,००० रुपये और ७,००० रुपये के दरमियान होता है । जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था नियमों के नियम २२२ अ(५) के अनुसार यदि किसी अमीन ने अपने माहवारी कोटे का रुपया अपनी अयोग्यता तथा असावधानी से वसूल नहीं किया तो जिलाधीश उस अमीन का मासिक वेतन अस्थायीरूप में सजा के तौर पर कम कर सकते हैं । और यदि उस पर भी एक माह के भीतर उस अमीन ने वसूली में कोई वृद्धि नहीं की तो जिलाधीश उस अमीन को नौकरी से अलग कर सकते हैं ।

*७१—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले की जौनपुर, केराकत और शाहगंज तहसीलों में पिछली रबी की फसल पर जिन हल्कों में पत्थर पड़ा था और सरकार की ओर से लगान में भी छूट दी गई थी मगर बलिहाज छूट अमीनों के कोटे में कमी नहीं की गयी और कोटा न पूरा होने पर उनकी तनख्वाह करीब-करीब आधी काट दी गयी ?

श्री चरणसिंह—जौनपुर जिले की जौनपुर, केराकत तथा शाहगंज तहसीलों में पिछली रबी की फसल पर जिन हल्कों में पत्थर पड़ा था उनमें मालगुजारी में दी गयी छूट अमीनों के मांग (demand) के कोटा में से घटा दी गई थी । छूट निकालने के बाद की मांग (demand) की रक़म का कोटा न पूरा होने पर ही जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था नियमों के नियम २२२ अ (५) के अनुसार कुछ अमीनों की तनख्वाह में कमी कर दी गयी थी ।

राज्य में वर्षा के अभाव से फसल को क्षति तथा सहायता

*७२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या यह बात ठीक है कि इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण कई जिलों में फसलें खराब हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस-किस जिले में कितनी-कितनी क्षति हुई है तथा उक्त जिलों को कितनी-कितनी तकाबी व अन्य सहायतायें दी गयी हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां, वर्षा के अभाव से प्रदेश के मुख्यतः १६ जिले प्रभावित हुये हैं, जिनमें फसलों की क्षति हुई है । इसका विवरण निम्न प्रकार है —

अनुमानित क्षति (आने में प्रति रुपया)

	धान	अन्य खरीफ फसल
१	२	३
	आना	
१—वाराणसी	६	८
२—बलिया ..	७	४
३—गाजीपुर	१०	१०
४—गोरखपुर	८	५
५—देवरिया	७	४

१	२ धान	३ अन्य खरीफ फसल
	आना	
६—बस्ती	११	११
७—आजमगढ़	९	९
८—गोंडा	६	३
९—प्रतापगढ़	८	८
१०—इलाहाबाद	१०	१०
११—जौनपुर ..	११	११
१२—बहराइच	७	७
१३—सुल्तानपुर	६	६
१४—मिर्जापुर	१०	१०
१५—फैजाबाद	१०	१०
१६—बांदा	११	१०

प्रदेश के प्रभावित जिलों में राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता का विवरण सदन के प्रत्येक सदस्य की मेज पर श्री मुक्तिनाथ राय तथा श्री रणबहादुर सिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या १५ के उत्तर में २४-१२-५७ को रक्खा जा चुका है । उसके पश्चात् दी हुई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न सूची में दिखा दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ पर ७३९)

*७३-७५—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २३ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोंदौली ग्रामवासियों का हाकिम परगना लखनऊ को शिकायती-पत्र

*७६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार के पास गोंदौली, परगना बिजनौर, तहसील लखनऊ के कुछ लोगों का कोई पेटीशन अगस्त-सितम्बर, १९५७ में आया है ? अगर हां, तो वह क्या है ? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—ग्राम गोंदौली, परगना बिजनौर, तहसील लखनऊ के कुछ व्यक्तियों का एक प्रार्थना-पत्र , जिसमें गोंदौली ग्राम समाज के प्रधान द्वारा १६ व्यक्तियों को अवैधानिक रूप से ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर देने की शिकायत की गयी थी, हाकिम परगना लखनऊ को सितम्बर, १९५७ में प्राप्त हुआ था । उक्त प्रार्थना-पत्र पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम , १९५० की धारा १९८ (२) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है तथा निर्णय होने तक इन पट्टों का प्रवर्तन स्थगित कर दिया गया है ।

बदायूं जिले में अल्पबचत योजनान्तर्गत धन

*७७—श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में अल्प बचत योजना के अधीन ३१ मार्च, १९५७ को कितना रुपया जमा था और अप्रैल, १९५७ में १५-४-५७ तक कितना वापस हुआ और ३१ मार्च से ३० जून, १९५७ तक कितना रुपया अल्प बचत योजना में जमा हुआ और जुलाई में १५ जुलाई तक कितना रुपया वापस हो गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बदायूं जिले में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९५७ को १०,७५,२८६ रु० की धनराशि जमा थी।

अप्रैल, १९५७ के महीने में १ अप्रैल से १५ अप्रैल तक ३,१६,८६६ रु० की धनराशि निकाली गई।

१ अप्रैल, १९५७ से ३० जून, १९५७ तक कुल ७,१५,६२० रु० जमा हुआ।

जुलाई, १९५७ के महीने में १ जुलाई से १५ जुलाई तक १,०८,४२३ रु० निकाला गया।

शराबी गजटेड अफसरों के सम्बन्ध में जानकारी

*७८— श्री श्रीकृष्ण गोयल, श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं) तथा श्री कैलाश कुमार सिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार कोई ऐसी सूची तैयार रखती है जिसमें शराब पीने के आदी सरकारी गजटेड अधिकारियों के नाम लिखित हों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*७९—श्री श्रीकृष्ण गोयल, श्री शिवराज सिंह, श्री कैलाशकुमार सिंह—क्या सरकार ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स में नियुक्ति करते समय इस बात की एहतियात रखती है कि कोई शराब पीने का आदी अफसर ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स में न भेजा जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय पर सरकारी आदेश पूर्णरूप से मौजूद हैं जिनके फलस्वरूप ऐसी एहतियात की आवश्यकता नहीं है।

*८०—श्री अमरनाथ—[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में नलकूपों के लिए सहायता तथा नौतनवा पंचायत क्षेत्र में हैण्ड पम्पों का लगना

*८१—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में किन-किन आदमियों को सरकार ने ट्यूबवेल बनाने और फार्म करने के लिये कितनी-कितनी रकम की सहायता दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में फार्म करने के लिये किसी को भी कोई सहायता नहीं दी गयी। परन्तु नलकूप निर्माणार्थ निम्नलिखित में से प्रत्येक को १०,००० रुपये की तकावी ऋण दिया गया—

१—नाबालिग सर्व श्री ओमप्रकाश, श्री प्रकाश, एवं सत्यप्रकाश की संरक्षिका माता श्रीमती कलावती देवी को तथा

२—सर्व श्री मुरलीधर चौधरी, केदारनाथ चौधरी, राम निरंजन चौधरी एवं हरिचरन चौधरी को संयुक्त रूप में।

*८२—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिनको उपरोक्त सहायता मिली है उन्होंने ट्यूबवेल बनाये हैं कि नहीं ? अगर नहीं तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सर्व श्री ओमप्रकाश, श्री प्रकाश एवं सत्यप्रकाश की संरक्षिका माता श्रीमती कलावती देवी निर्धारित अवधि के भीतर नलकूप न बना सकीं परन्तु सर्व श्री मुरलीधर चौधरी आदि का नलकूप लगभग तैयार हो गया है।

*८३—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के नौतनवा पंचायत निरीक्षक क्षेत्र के अन्तर्गत अप्रैल, १९५५ से मई १९५७ तक प्लानिंग विभाग द्वारा सहायता से कितने हैण्ड पम्प और नये कुयें किन-किन ग्रामों में लगे हैं व लगे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध में एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७४० पर)

ए० डी० एम० प्लानिंग, वाराणसी, द्वारा प्राइमरी पाठशाला का उद्घाटन तथा पंचायतघर का शिलान्यास

*८४—श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ए० डी० एम० प्लानिंग, वाराणसी जब से स्थानान्तरित होकर वाराणसी जिले में आये हैं, तब से आज तक उन्होंने कितने पंचायतघरों तथा प्राइमरी पाठशालाओं का उद्घाटन किया है तथा नींव डाली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ए० डी० एम० प्लानिंग, वाराणसी ने ६ पंचायतघरों और १ प्राइमरी पाठशाला का उद्घाटन किया और १ पंचायतघर की नींव डाली।

काशीपुर कालोनाइजेशन क्षेत्र की भूमि के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन

*८५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने काशीपुर कालोनाइजेशन क्षेत्र को स्थापित करने हेतु कल्टीवेटरी राइट्स ऐक्वायर करने पर सम्बन्धित काश्तकारों को जिनकी कि भूमि ऐक्वायर की गई, कोई compensation भी दिया ?

श्री चरणसिंह—काशीपुर कालोनाइजेशन क्षेत्र में सरकार ने कृषक अधिकार (कल्टीवेटरी राइट्स) नहीं प्राप्त किये हैं और कृषक जो वास्तव में भूमि जोत रहा था, नहीं हटाया गया, इस कारण मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*८६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया उस नोटिफिकेशन को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जिसके मातहत "काशीपुर कालोनाइजेशन" क्षेत्र बनाने हेतु सरकार ने प्रोप्राइटर्स की भूमि पर राइट्स ऐक्वायर किये थे ?

श्री चरणसिंह—सम्बन्धित नोटिफिकेशन की एक प्रतिलिपि मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७४१-७४३ पर)

*८७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार तहसीलदार, काशीपुर, जिला नैनीताल द्वारा उक्त नोटिफिकेशन के मातहत फार्मल पजेशन ऐज्यूम करने हेतु १९-३-५० को निकाली गई आज्ञा को भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—तहसीलदार काशीपुर की आज्ञा दिनांक १९-३-५० की प्रतिलिपि मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७४१-७४३ पर)

गवार, जिला मैनपुरी में कथित मोटर दुर्घटना

*८८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि गवार, जिला मैनपुरी में सन् १९५५ में एक बच्चा सरकारी मोटर गाड़ी से कुचल कर मर गया था ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

*८९—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि उस बच्चे की हत्या हो जाने से सरकार ने उसके माता-पिता को कुछ मुआवजा देना स्वीकार किया था ? यदि हां, तो कितना ?

डाक्टर सीताराम—यह प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले में महालक्ष्मी कम्पनी ट्रस्ट की जमीनों से आय

*९०—श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा की तहसील गोंडा और तहसील उतरौला में महालक्ष्मी कम्पनी ट्रस्ट के नाम से कितनी एवज

जमीन है, उस जमीन में से कितने एकड़ में खेती होती है और कितने एकड़ में महुआ और कितने एकड़ में ढाक और करोंदा का जंगल खड़ा है ?

श्री चरणसिंह—अभीष्ट सूचना मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७४४ पर)

*९१—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भूमि से कितना वार्षिक कृषि आय-कर सरकार को मिलता है और कितना सालाना लगान ?

श्री चरणसिंह—गोंडा और उतरौला तहसील में जो भूमि महालक्ष्मी कम्पनी ट्रस्ट के नाम है उस पर ३,६१० रु० ३ आना ९ पाई मालगुजारी मिलती है। कृषि आय-कर अभी तक नहीं लग सका है, उसके लगाने की कार्यवाही की जा रही है ।

उन्नाव जिले में अग्नि-पीड़ितों तथा बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*९२—श्री खजानसिंह चौधरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के किन-किन गांवों में १ मई, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५७ तक आग लगी और कितना-कितना रुपया उन मवाजात को सहायता के रूप में या तकावी के रूप में दिया गया ?

श्री चरणसिंह—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७४५–७४६ पर)

*९३—श्री खजानसिंह चौधरी (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के सैलावी इलाके में तहसीलवार १३६३ व १३६४ फसली में लगान में कितनी छूट व मुआफी दी गयी और कितनी तकावी के रूप में सहायता दी गयी ?

श्री चरणसिंह—आवश्यक सूचना निम्नांकित तालिका में दी गयी है :—

तहसील का नाम	१३६३ फसली		१३६४ फसली	
	मालगुजारी में छूट जो दी गयी	तकावी जो बांटी गयी	मालगुजारी में छूट जो दी गयी	तकावी जो बांटी गयी
१	२	३	४	५
	रु०	रु०	रु०	रु०
१—उन्नाव ..	२,००,४०४–१२–६	३६,५००	१,५४,६०४–४–९	८६,९७०
२—हसनगंज ..	२,८८९–१४–६	..	..	..
३—पुरवा ..	३०,९७०–९–९	८,५७५	२४,२६७–८–६	२१,२४५
४—सफीपुर ..	१,८८,६४४–१४–३	३९,४२५	१,८४,३७३–९–९	१,१४,८६५

हरदोई जिले में प्राइवेट बस सर्विस की शिकायत

*९४—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला हरदोई में प्राइवेट मोटरें चलने से यात्रियों को नियमानुसार निश्चित् संख्या से अधिक सवारी बैठालने तथा समय का कोई ध्यान न रखने से जनता को बहुत परेशानी होती है ? यदि हां, तो सरकार इस के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, इस सम्बन्ध में मोटर के मालिकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक उत्तर न पाने पर उन पर मोटर अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा ६० के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी। हरदोई जिले में रोडवेज नहीं है, मगर सम्भव हो सका तो वहां भी रोडवेज की बसें चलाने का प्रयत्न किया जायगा ताकि जनता को कोई शिकायत न रहे।

युवक कांग्रेस सम्मेलन, लखनऊ में प्रयुक्त रोडवेज की गाड़ियों का किराया

*९५—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर मास १९५७ में लखनऊ में हुये युवक कांग्रेस सम्मेलन के कार्य में डेलीगेटों के सामान के लाने व ले जाने आदि में परिवहन विभाग की कितनी मोटरें, कारें, ट्रकें, जीपें आदि काम में आयीं और कब से कब तक ?

डाक्टर सीताराम---युवक कांग्रेस सम्मेलन के कार्य में डेलीगेटों के सामान के लाने व ले जाने आदि में रोडवेज की १ यूटिलिटी वान, १ स्टेशन वैगन, १ पिक अप, २ जीपें, १ लग्जरी बस तथा १७ बसें काम में आयीं। ये उपरोक्त गाड़ियां २५ अक्टूबर, १९५७ से २ नवम्बर, १९५७ तक काम में लाई गईं।

*९६—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---उपरोक्त वाहनों ने अलग-अलग कितना मील सफर किया और सरकारी दर से कितना इस का किराया हुआ ? क्या सरकार ने यह किराया वसूल कर लिया है ?

डाक्टर सीताराम---यूटिलिटी वान ने २२९, स्टेशन वैगन ने ७३, पिक अप ने ४२६, जीपों ने १५५, लग्जरी बस ने २०५ तथा बसों ने १,४७५ मील का सफर किया। सरकारी दर से इन गाड़ियों का कुल किराया ५,०६८ रुपये ३७ नये पैसे हुआ। इस में ३,८५३ रुपये ७२ नये पैसे वसूल हो गये हैं और बाकी १,२१४ रुपये ६५ नये पैसे के लिये रिमाइन्डर भेज दिया गया है।

लखनऊ जिले में अग्नि पीड़ितों को सहायता

*९७—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५७ में लखनऊ जिले में किन-किन ग्रामों में आगजनी हुई और कितना नुकसान हुआ?

श्री चरण सिंह—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७४७ पर)

*९८—श्री रामशरण यादव—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि आगजनी से सताये हुये व्यक्तियों की सहायतार्थ कितना धन खर्च किया गया ?

श्री चरण सिंह—आगजनी से सताये हुये व्यक्तियों को ४०० रुपये अहेतुक सहायता (Gratuitous Relief) के रूप में दिये गये।

हाथरस तहसील में ग्राम समाज के प्रधानों का निलम्बन

*९९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस के लुहेटा खुर्द, बामौली गंगौली, धातराकलां आदि ६ ग्राम समाजों के प्रधान किन कारणों से और कब से निलम्बित कर दिये गये हैं और यह किस अधिकारी ने किया है ?

श्री चरण सिंह—निम्नलिखित प्रधानों को निलम्बित किया गया है :—

(१) श्री राम स्वरूप, प्रधान, लुहेटा खुर्द कलां को परगनाधीश के आदेश दिनांक २८ सितम्बर, १९५६ द्वारा इस आरोप पर निलम्बित किया गया कि उन्होंने ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अनधिकार कार्यवाही की और कराई।

(२) श्री गान्धी प्रसाद, प्रधान, बामौली परगनाधीश के आदेश से लगभग १ साल से इसलिये निलम्बित हैं कि उन्होंने ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अनधिकार कब्जा कर लिया था ।

(३) श्री तोताराम, प्रधान, धातरीकलां, परगनाधीश की १३ सितम्बर, १९५६ की आज्ञा के अनुसार इस कारण निलम्बित हैं कि उन्होंने अपने सीरदारी क्षेत्र में ईंट का भट्ठा लगाया ।

(४) श्री धर्मपाल सिंह, प्रधान, बसई काजी पर यह आरोप था कि उन्होंने ग्राम समाज सम्पत्ति पर अनधिकार कब्जा कर लिया । इस कारण उनको परगनाधीश की आज्ञा दिनांक १-६-५६ के अनुसार निलम्बित कर दिया गया ।

(५) श्री राम प्रसाद, प्रधान, राथक को परगनाधीश की आज्ञा दिनांक १३-९-५६ के अनुसार इस कारण निलम्बित किया गया कि उन्होंने सीरदारी क्षेत्र में छीतरिया पुत्र नेनुका के मकान बना लेने पर कोई कार्यवाही नहीं की ।

(६) श्री चोखे लाल, प्रधान, गंगोली को इसलिये निलम्बित किया गया कि वह सूचना मिलने पर भी नायब तहसीलदार के इजलास में उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने श्री शिवलाल, काश्तकार को मुबलिग ५०० रु० तकावी गलत तकसीम कराकर रुपया ले लिया ।

सिकन्दराराऊ तथा हाथरस तहसीलों में लेखपालों के ग्राम समाज सम्बन्धी काम

*१००—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील सिकन्दराराऊ और हाथरस के किन-किन ग्राम समाजों के प्रधानों को लेखपालों ने अभी तक कागजात सुपुर्द नहीं किये हैं और क्यों ?

श्री चरण सिंह—तहसील सिकन्दराराऊ और हाथरस के सब ग्राम समाजों के प्रधानों को कागजात मिल गये हैं ।

*१०१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि तहसील हाथरस और सिकन्दराराऊ के कौन-कौन लेखपाल ग्राम समाजों की नियमित मीटिंग नहीं करते और ग्राम समाज मैनुअल की दफा १०५ के अनुसार उन्होंने कितना रुपया ग्राम सभावार प्रधानों के पास जमा किया है ?

श्री चरण सिंह—तहसील सिकन्दराराऊ और हाथरस में समस्त लेखपाल ग्राम समाजों के नियमित मीटिंगों में पूर्ण भाग लेते हैं । ग्राम समाज मैनुअल (द्वितीय संस्करण) के पैरा १०५ के अन्तर्गत लेखपालों को रुपया जमा नहीं करना पड़ता है ।

मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों के नैनीताल जाने पर व्यय

*१०२—श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मन्त्रियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के नैनीताल जाने में गत मई, जून व जुलाई मास में कितना रुपया व्यय हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लगभग १,९५,००० रुपया ।

*१०३—श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव—[२० फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर जिले में प्रशासन सम्बन्धी समितियों में हरिजन सदस्य

*१०४—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले में जिला स्तर की प्रशासन सम्बन्धी कौन-कौन सी कमेटियां बनायी गयी हैं ?

*१०५—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन कमेटियों में से प्रत्येक में कितने-कितने हरिजन प्रतिनिधि हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी गई सूचना एक तालिका में दी गई है जिसकी प्रति मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७४८ पर)

पुलिस के आठ वर्ष से अधिक पुराने अस्थायी गजटेड अफसर

*१०६—श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुलिस में कितने व किस-किस स्थान (पोस्ट) पर आठ वर्षों से अधिक से गजटेड अफसर अब तक टेम्पोरेरी ही हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल दो :—

१—कम्पनी कमान्डर, स्पेशल पुलिस फोर्स, मुरादाबाद के स्थान पर, और

२—पुलिस मोटर वेहिकिल्स अफसर, सीतापुर के स्थान पर ।

दोहरीघाट पम्प नहर में ली गयी जमीन की लगान वसूली के सम्बन्ध में शिकायत

*१०७—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को सूचना मिली है कि दोहरीघाट पम्प नहर में जो जमीनें ले ली गयी हैं, उनका लगान उन जमीनों के पुराने मालिकों को आज भी देना पड़ रहा है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं । जो जमीनें १९५५ में हस्तगत की गई उनकी मालगुजारी केवल सितम्बर सन् १९५५ में समाप्त होने वाले माल वर्ष की बाबत पुराने मालिकों से ली गयी । ऐसी वसूल की हुई धनराशि की वापसी शीघ्र ही की जायगी ।

*१०८—श्री झारखंडे राय—यदि हां, तो इसकी रोकथाम तथा खेतिहरों को रिलीफ देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरण सिंह—यह प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

१-३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[२० फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

इटावा जिले में मेसनरी वेल स्कीम के अन्तर्गत कुओं में छूट

४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में मेसनरी वेल स्कीम के कितने कुओं की छूट देना बाकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इटावा जिले में केवल २५ कुओं पर छूट देना शेष है । इनका निरीक्षण किया जा रहा है और इस वित्तीय वर्ष के अन्दर इन पर छूट का भुगतान हो जाने की आशा है ।

प्रश्न संख्या ९५ तथा ९६ को स्थगित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना†

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ९५ और ९६ मेरे आज थे जो अहमियत के हैं, उन्हें किसी दूसरे दिन के लिये रख दें ।

---

†प्रश्न ९५-९६ उत्तर सहित पीछे पृष्ठ ६८६ पर छापे गये ।

श्री अध्यक्ष---वे पढ़े हुये समझ जायेंगे। आप चाहें तो बहस के लिये लिखित प्रार्थना कर सकते हैं।

बोर्ड आफ रेवेन्यू के स्टे आर्डर के विरुद्ध रुद्रपुर-गदरपुर पुलिस द्वारा गदरपुर के स्टालों के जबरदस्ती हटाये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी ने परसों दिया था। उसके बारे में गृह मन्त्री जी आज जानकारी देने वाले थे।

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, जितनी रिपोर्ट मेरे पास आयी हैं वह मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत किये देता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि न तो यह विषय ऐडजर्नमेंट का हो सकता है और न इससे सरकार का कोई ताल्लुक है। मैं आपकी आज्ञा से अब पेश करता हूं:---

गदरपुर, तराई भावर एस्टेट में है और रुद्रपुर-काशीपुर रोड पर ८५ रिफ्यूजीज ने अपनी दूकानें बना लीं और इन दूकानों में वे अपना कारोबार कर रहे थे। कुछ तो इनके टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर थे और कुछ ऐसे भी थे, जिनको आधा पक्का भी कह सकते हैं। बोर्ड आफ रेवेन्यू के डाइरेक्शन पर कि यह गवर्नमेंट लैंड का एनक्रोचमेंट है और ये अनअथराइज्ड आकुपायर्स हैं, लिहाजा इनके खिलाफ बेदखली (एविक्शन) की प्रोसीडिंग्स चालू की जायं, तराई भावर के सुपरिंटेंडेंट ने कार्यवाही शुरू की। बोर्ड आफ रेवेन्यू ने कहा कि यू० पी० गवर्नमेंट लैंड एविक्शन ऐंड रेंट रिकवरी ऐक्ट, १९५३ के मुताबिक इन पर केस चलाया जाय और साथ ही उन्होंने यह भी आज्ञा दी कि १३३ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के मुताबिक भी, उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये जायं। तदनुसार सुपरिन्टेंडेंट तराई भावर स्टेट ने यह मुकदमा चालू कर दिया। इस पर कुछ लोगों ने बोर्ड आफ रेवेन्यू के एक मेम्बर के पास जाकर यह कहा कि इस मामले में फिर से गौर किया जाय, क्योंकि लोगों को हटाने से काफी तकलीफ होगी, बोर्ड आफ रेवेन्यू इस पर फिर से गौर करे। बोर्ड ने यह हुक्म दिया कि अभी कार्यवाही रोक दी जाय और इस बीच में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट मांगी। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड आफ रेवेन्यू ने हुक्म दे दिया कि इस पर कार्यवाही रोक दी जाय, लेकिन साथ ही सुपरिन्टेंडेंट को यह हुक्म दिया कि १३३ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक और यू० पी० गवर्नमेंट लैण्ड एविक्शन ऐन्ड रेंट रिकवरी ऐक्ट के मुताबिक, उन पर केस चलाया जाय। इस पर फिर केस चालू किया गया। इस बीच में फिर कुछ रिफ्युजीज ने बोर्ड आफ रेवेन्यू के एक मेम्बर के पास जाकर कहा कि इस से हम लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए इस पर कार्यवाही रुकवा दें। ३ जनवरी को बोर्ड आफ रेवेन्यू ने अपने सुपरिंटेंडेंट को फिर यह लिखा कि एविक्शन प्रोसीडिंग्स को तुम रोक दो जब तक कि कोई फैसला हम इस मामले में पूरी तरह से न कर लें। लिहाजा ३ जनवरी को एविक्शन प्रोसीडिंग्स को रोक दिया गया। लेकिन इस बीच में १३३ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मामला जो अदालत के अन्दर चल रहा था, उसका यह फैसला हो गया कि यह इन्क्रोचमेंट है और इनको वहां से रिमूव किया जाय। चंकि कोर्ट में यह प्रोसीडिंग्स थीं और उसका फैसला हो गया था और चूंकि किसी ने रिवीजन भी दायर नहीं किया था, इसलिए वह कोर्ट का फैसला सामने मौजूद था। तदनुसार बोर्ड आफ रेवेन्यू ने इन लोगों से यह कहा कि इन लोगों को आल्टरनेटिव साइट दे दी जाय, तो जो इनको दिक्कतें हैं वे दूर हो जायेंगी। आल्टरनेटिव साइट दे भी दी और उसमें ५० आदमी शिफ्ट भी हो गये, उनके साथ पट्टे भी किये जा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वे भी जाने ही वाले हैं।

---

*४ फरवरी, १९५८ की कार्यवाही से।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं था। चूंकि १३३ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के मुताबिक कोर्ट का फैसला हो चुका था और उसका रिवीजन भी नहीं किया गया और बोर्ड आफ रेवेन्यू ने, अपनी तरफ से, उनको आल्टरनेटिव साइट भी दे दी और यह रिपोर्ट जो मेरे पास सामने मौजूद है उसके मुताबिक ५० आदमी शिफ्ट भी हो गये हैं, फिर १२ फरवरी को बोर्ड आफ रेवेन्यू इसका फाइनल भी करने वाला है। इस रिपोर्ट से इतना स्पष्ट है कि इनको हटाने में पुलिस का कोई हाथ नहीं था।"

श्री अध्यक्ष--यानी उनको जबरदस्ती नहीं हटाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मुझे खेद है कि माननीय गृह-मंत्री को जो रिपोर्ट मिली है वह अधूरी है और जितनी रिपोर्ट उनको मिली है उसी से स्पष्ट है कि हमारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव उचित है। श्रीमन्, माननीय मंत्री ने ही बतलाया कि ३ जनवरी को बोर्ड आफ रेवेन्यू का स्टे आर्डर ईश्यू हुआ, इसी से स्पष्ट है कि हमारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव उचित है। क्योंकि बोर्ड आफ रेवेन्यू तक को उस मामले में स्टे आर्डर इश्यू करना पड़ा। श्रीमन्, बोर्ड आफ रेवेन्यू के स्टे आर्डर की सर्टिफाइड काफी भी मैंने दे रखी है जो उसी के साथ नत्थी है। उसे भी आप देखने की कृपा करेंगे। इसके अलावा खाम के सुपरिंटेंडेंट को कोई आर्डर नहीं दिया गया, क्योंकि उन्हें तो कोई साथ ही आर्डर दे नहीं सकता। बोर्ड आफ रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर को आर्डर करता है, उस के नाम आर्डर है। एक गलती तो रिपोर्ट में यह है कि ३ तारीख को बोर्ड आफ रेवेन्यू ने आर्डर दिया कि इस कार्यवाही को स्टे कीजिये। अर्जी में टाउन प्लान के अनुसार कस्बा बसाने का सवाल था। पूरी फाइल मांगी गयी। माननीय मंत्री जी ने खुद माना है कि दोनों केस उन दूकानदारों के खिलाफ चलाये गये। १३२ का केस भी साथ में चलाया गया। वे केसेज एस० डी० एम०, काशीपुर के यहां चल रहे थे। उन्होंने अपने यहां तारीख लगाई लेकिन फिर भी जब डिप्टी कमिश्नर के यहां से आर्डर की कापी नहीं आयी तो ८ के बजाय १८ तारीख लगायी गयी। उसके बाद कापी भी रख ली गयी और आर्डर मंगवा लिया गया और कोई फाइनल आर्डर कोर्ट के नहीं हुये। यह बिलकुल गलत बात है कि कोर्ट के फाइनल आर्डर हो चुके थे। कोर्ट ने जब १८ तारीख लगा रखी थी उस के पहले ही १५ तारीख को डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस ५० आदमी लेकर गदरपुर पहुंचे। मैं स्वयं श्री बिहारीलाल सभापति के साथ वहां जाकर देख आया हूं और मैंने स्वयं वहां जाकर जांच की है। वहां डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस गये थे और एक कालोनाइजेशन के ऐडमिनिस्ट्रेटर भी पहुंचे थे। उन्होंने वहां जाकर बिना किसी नोटिस के कहा कि आधा घंटे के भीतर सब स्थान खाली कर दो। यह कहना बिलकुल गलत है कि ५० आदमी खुद खाली कर गये, बल्कि वे पुलिस के दबाव से हटे, उनका सामान हटाना शुरू कर दिया गया। वह मजबूरन हटाये गये, उन के फड़ हटाने शुरू कर दिये गये और कहा गया कि यहां पर अभी दूसरे लोगों को बसाया जायगा। एक फड़ में हमारा पी० एस० पी० का आफिस था। मैं खुद कल ही देखकर आया हूं कि वह फड़ भी टूटा पड़ा था। पुलिस ने वहां जबरदस्ती की है और मैं उखड़े हुये फड़ अपनी आंख से देखकर आया हूं। स्टे आर्डर के बावजूद पुलिस ने वहाँ फड़ उखाड़े हैं और जबरदस्ती की है। कल जिला अधिकारियों ने इस 'मोशन' के होने के कारण कुछ सुलझाव अवश्य किया है। इस-लिये मैं मांग करूंगा कि इस पर अवश्य वाद-विवाद का अवसर दिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि डिप्टी कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसमें कोई पुलिस का हाथ नहीं है और न सुपरिंटेंडेंट तराई भावर स्टेट का है। स्टेट के बोर्ड आफ रेवेन्यू का आर्डर हुआ कि केस चलाया जाय तो एक एविक्शन का केस अदालत में चलाया गया और दूसरा केस सी० आर० पी० सी० में दफा १३२ का चलाया गया। उस के बाद बोर्ड आफ रेवेन्यू ने एविक्शन की प्रोसीडिंग्ज को रोक दिया। लेकिन जो रिपोर्ट हमारे

पास डिप्टी कमिश्नर की है उसमे कहीं भी यह नहीं है कि इस में पुलिस का कोई हाथ है । अगर थोड़ी देर को मान भी लिया जाय, जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी कह रहे हैं कि पुलिस ने कोई कार्यवाही की है, तो उस के खिलाफ कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की कार्यवाही हो सकती है, लेकिन यह चीज कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकती है । इससे सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—जो फैक्ट्स सामने आये हैं उनसे यह जाहिर है कि एविक्शन की प्रोसीडिंग्ज हुई और फिर आर्डर हुआ कि वह रोक दी जायं । इसके अलावा माननीय गृहमंत्री जी कहते हैं कि दूसरी प्रोसीडिंग्ज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मातहत चल रही थीं । उस में यह आर्डर हो चुका था कि वे वहां से हटा दिये जायं । उसके मुताबिक काम हुआ । ऐसी हालत में मैं इस को निश्चित नहीं करार देता हूं ।

दूसरी बात यह है कि अगर निश्चित भी होता तो भी यह बात स्पष्ट है कि अगर अदालत की आज्ञा की हुक्मउदूली हुई है तो कन्टेम्प्ट आफ दि कोर्ट का मामला चल सकता है और जहां इस तरह का केस चल सकता है वहां कामरोको प्रस्ताव का वह विषय नहीं हो सकता है जिस पर इस सदन में बहस हो और बाद में कंटेम्प्ट आफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज चलें । सरकार से भी इससे कोई ताल्लुक नहीं जान पड़ता । कुछ स्थानीय अफसरों ने भी अतिक्रमण किया है तो उसके ऊपर वे लोग कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का मुकदमा चलायें ।

इस सदन में कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं बन सकता है । इस कारण मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—अपने आने के बारे में ?

श्री राजनारायण—जी नहीं, कल दोपहर को ही आ गया था । श्रीमन्, यद्यपि इस पर कुछ चर्चा हाउस में हुई है, मगर मैं आपकी आज्ञा से आपके सामने एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं और उस पर आप, चाहे आज आज्ञा दे दें, चाहे दूसरे दिन दें कि क्या एक ही वर्ष में दो सामान्य बजट पेश किये जा सकते हैं ? एक प्रश्न यह है और एक ही वर्ष में जब दो सामान्य बजट हों तो . . .

श्री अध्यक्ष—आप थोड़ा सा नेतृत्व ज्यादा कर गय । आन वाली चीज है उसको . . . .

श्री राजनारायण—श्रीमन् इसलिये पहले से कहता रहता हूं . . . .।

श्री अध्यक्ष—आप सुपर नेता बन गये । आप बैठिये ।

श्री राजनारायण—आपने आज्ञा तो दे दी । उस पर कुछ नहीं कहना है । नारायण-दत्त जी पर कह रहा हूं । सारे सूबे में लार्ज स्केल में कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट चलने लगे तो इस सदन को कब विचार करना होगा ?

श्री अध्यक्ष—वह फैक्ट्स को मानते ही नहीं ।

श्री राजनारायण—मूंदहु आंख कतहुं कोउ नाहीं ।
अगर सब लोग गत हो जायं तब भी वह नहीं मानेंगे ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें ।

*उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--अब स्वशासन मन्त्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय तथा उस में प्रस्तुत संशोधनों पर विवाद जारी रहेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह निवेदन कर रहा था कि वर्तमान संशोधन, जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, इसका उपयोग करके कुछ आवश्यक संशोधन जो होने चाहिए थे, वह भी नहीं किये गये। मैं आपका ध्यान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की धारा ११४ के मुताबिक जो टैक्स लगाने का अधिकार है, उस की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो वर्तमान ऐक्ट है उस की धारा ११४ के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह अधिकार हासिल है कि किसी भी व्यक्ति की, जिसकी वार्षिक आय २ सौ रुपये या उससे अधिक है, उस के ऊपर टैक्स लगा सकता है। मुझे इस बात की हैरत होती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में अगर जब भी कोई संशोधन आता तो पहला संशोधन यही होना चाहिए था। क्योंकि यह टैक्स जिस सम्पत्ति के ऊपर लगता है, उससे गरीब मजदूर, गरीब किसान इसके शिकार होते हैं। जिस समय पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट बना होगा उस समय २ सौ रुपये रखा गया था। आज के २ सौ रुपये में और उस समय के २ सौ रुपये में जमीन आसमान का फर्क है। अगर वह सीमा ली जाय तो २ सौ रुपया जो पहले कीमत थी, आज एक हजार रुपये के बराबर भी नहीं है। ऐसी हालत में २ सौ, जो बहुत कम था ही, उस सीमा को और बढ़ाना चाहिए था,। लेकिन इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया। इस प्रश्न को ले कर के मुगल-सराय, लखनऊ, सहारनपुर रेलवे मजदूरों ने, चीनी मिल के मजदूरों ने बराबर आन्दोलन किया और इस ओर प्रदेशीय सरकार का बराबर ध्यान आकर्षित किया गया। नतीजा इसका यह होता है कि जो देहातों में मजदूर हैं चाहे मिलों में मजदूरी करते हों या दूसरे कामों में, यदि उनकी आमदनी २ सौ रुपया वार्षिक या उस से अधिक है अर्थात् १७ रुपया महीना यदि वह तनख्वाह पाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि उस के ऊपर वह टैक्स लगाये। आज के युग में १७ रुपया मासिक पाने वाला मजदूर और उस के ऊपर टैक्स, मैं नहीं समझता कि यह कहां का न्याय है और माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया। मैं अब भी उनसे इस बात की प्रार्थना करूंगा कि इसको सम्मान का प्रश्न बनाये बिना कम से कम इस धारा में वह संशोधन करें और गरीब मजदूरों और किसानों के ऊपर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मनमाने तरीके से जो इस हथियार का इस्तेमाल करता है उससे उनको राहत दें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन कर रहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की क्या व्यवस्था हो, क्या उसका संगठन हो, क्या उस की रूपरेखा हो। इस सम्बन्ध में सरकार स्वयं अभी कन्फ्यूजन में पड़ी हुई है। आज के युग में यह मानी हुई बात है कि जो प्रजातंत्र की छोटी इकाइयां होती हैं, नीचे की इकाइयां होती हैं, उनका महत्व दिन पर दिन बढ़ता जाता है और किसी भी प्रजातंत्रीय युग में, किसी भी प्रजातंत्रीय व्यवस्था में, यह एक माना हुआ सिद्धान्त है कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। ऐसी हालत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का महत्व पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गया है। यदि इस बात को मन्त्री महोदय मानते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसका जो संगठन है, जो उस को शक्ति और अधिकार हासिल हैं, जो उस को बजट बनाने के अधिकार हासिल हैं और उस की आमदनी के जो जरिये हैं, उसकी सदन के किसी माननीय सदस्य से अधिक, श्रीमन्, आप को जानकारी हासिल है, यह आप स्वयं जानते हैं कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो साधन हैं, जो उसका संगठन है, उसके अन्दर वह सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकता। इस लिए मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर जाना चाहिए था। उनके साधन जब तक सीमित होंगे, तब तक उन की सड़कें अच्छी नहीं बन सकतीं, वह शिक्षा की अच्छी व्यवस्था

---

*३ फरवरी की कार्यवाही में छपा है।

†५ फरवरी, १९५८ से।

नहीं कर सकते या दूसरे जो उनके काम हैं उन्हें वह सुचारु रूप से नहीं कर सकते। इसलिए मेरी निश्चित रूप से यह मांग है कि सरकार अपनी टैक्स लगाने की नीति में तब्दीली करे। दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि जो टैक्सेशन के बेस्ट सोर्सेज होते हैं वह केन्द्रीय सरकार के हाथ में हैं। नेक्स्ट बेस्ट सोर्सेज प्रदेशीय सरकार के हाथ में हैं और जो साधारण सोर्सेज होते हैं वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में हैं और उस के बाद पंचायतों के हाथ में हैं। इस तरीके से टैक्सों का निर्धारण और बटवारा हुआ है। इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और रेवेन्यू की जो इनकम होती है, उसका कम से कम २५ प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अवश्य मिलना चाहिए, तभी उसकी आय बढ़ेगी, गरीबों के ऊपर कम टैक्स लग सकेगा और तभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सुचारु रूप से कार्य कर सकेंगे।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि जो आज कल प्लानिंग का काम हमारे राज्य में चल रहा है इसकी व्यवस्था भी प्रदेशीय सरकार, केन्द्र से करती है। जिले में प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, उस की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इसके लिए जिले के प्रतिनिधि सब से अच्छी जानकारी रख सकते हैं और जब जिले के अन्दर ऐसी संस्था है, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, तो उस के द्वारा यह काम किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से प्लानिंग का काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में जाना चाहिए। लेकिन मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिन की व्यवस्था के लिए यह ऐक्ट आप लाये हैं, मैं नहीं समझता कि यह उस काम को करने में कहां तक समर्थ हो सकेगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक अच्छा संगठन बनाइये और प्लानिंग का काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सुपुर्द कीजिये।

तीसरी बात जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को ग्रान्ट्स दी जाती हैं, सरकार उनके मूल स्रोतों को बढ़ाये, उनको आर्थिक ढंग से स्वतंत्र करे। ग्रान्ट्स देने से काम नहीं चल सकता। ग्रान्ट्स देने में होता यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स विरोधियों के हाथ में होते हैं और अगले चुनाव में निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विरोधियों के हाथ में अधिक जायेंगे, उस समय सरकार अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करेगी, और जो कांग्रेस के हाथ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होंगे उनको ग्रान्ट अधिक दी जायगी और जो विरोधियों के हाथ में होंगे, उन को ग्रान्ट्स कम दी जायंगी . . .

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस तरह का आक्षेप अभी से करना, जब तक कि सरकार की ओर से ऐसा किया नहीं जाता तब तक यह कहना उचित नहीं है।

श्री बृजराज यादव--श्रीमन्, यह तो पिछला अनुभव बता रहा हूं जिस से यह कहना पड़ रहा है। पिछले अनुभव के आधार पर मैं यह कह रहा हूं।

दूसरी बात श्रीमन्, जो मुझे निवेदन करनी है, वह यह है कि इस में एक और व्यवस्था खंड ४ के उपखंड (बी) में की गयी है कि जेनरल एलेक्शन ४ साल के बाद हुआ करेगा। लेकिन सरकार यदि चाहे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अवधि को बढ़ा सकती है। मेरा निश्चित मत है कि प्रादेशिक सरकार को यह अधिकार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पिछले १० वर्षों का कड़वा तजुर्बा इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने इस अधिकार का बराबर दुरुपयोग किया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्य-काल की अवधि को बराबर बढ़ाते जाना, कारपोरेशन का चुनाव न कराना और कारपोरेशन बिना सदन के अन्दर आया हुआ है, प्रवर समिति से भी हो आया है, उस के बाद भी उस की अवधि को बढ़ाते जाना, चुनाव न कराना, ये इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि सरकार इस अधिकार का दुरुपयोग करती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अवधि यदि बढ़ाने की आवश्यकता हो तो ग्रेव नेशनल एमर्जेंसी काल में ही बढ़नी चाहिए। और इसका सब से अच्छा निर्णय विधान सभा कर सकती है जो प्रदेश की सर्वोच्च बाडी होती है। उस को इस बात का अधिकार होना चाहिए। सरकार को अपने हाथों में यह अधिकार नहीं लेना चाहिए। पिछले १० वर्षों में देश के पैमाने पर दो, दो साधारण निर्वाचन हुए हैं। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई जिस से सरकार को यह मौका मिले कि वह लगातार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्यकाल को बढ़ाती जाय। लेकिन सरकार ने बढ़ाया है। इस लिए मेरा निश्चित मत है कि इस में संशोधन की

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आवश्यकता है और इस बात के लिए इस विधेयक को कम से कम जो तीन दिन की हमारी मांग है कि प्रवर समिति में इसको दिया जाय ताकि जो सुझाव हमने दिये हैं और जो आवश्यक संशोधन इस में होने चाहिए, और अविलम्ब होने चाहिए, उन के ऊपर हम बैठ कर प्रवर समिति में गौर करें, और उस के बाद समिति अपनी रिपोर्ट दे। चुनाव निश्चित रूप से आगामी मई के महीने में हर हालत में हो जाने चाहिए। जो यह बात कही जाती है कि मई, गर्मी के दिन होंगे, मतदाताओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए या दूसरों के लिए कठिनाई पड़ेगी, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। यदि सरकार की ऐसी मंशा है तो मैं समझता हूं सरकार ने जो गैर जनवादी काम लगातार पिछले दिनों में किये हैं, उस में वह एक कदम और आगे जायगी। निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का निर्वाचन मई में होना चाहिए।

मैं, आखिर में, एक निवेदन और करता हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को एक जनवादी संस्था बनाने के लिए, सही माने में जनता का प्रतिनिधित्व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हो सके और सारी जनता का अधिक से अधिक हित, अच्छे ढंग से डिस्ट्रक्ट बोर्ड कर सकें, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जो वर्तमान संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, यह अपर्याप्त हैं, इस में और संशोधन करने की आवश्यकता है। इस लिए इसको प्रवर समिति में तीन दिन के लिए भेजा जाय और फिर उसकी रिपोर्ट आने पर ऐक्ट बने।

(श्री लक्ष्मीनारायण बंसल का नाम पुकारे जाने के बाद)

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)----अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष--मैंने श्री लक्ष्मीनारायण बंसल जी को भाषण देने के लिए बुला लिया है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी को धन्यबाद देना चाहता हूं, उन्होंने इस विधेयक को पेश किया। लेकिन यह विधेयक मुझे तो आशाजनक प्रतीत नहीं होता। वह तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि पुरानी शराब नई बोतल में उड़ेल दी गयी हो। आखिर जब इतने दिनों बाद विधेयक सामने आया है तो उस में कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन होना चाहिए था। पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की वर्किंग में जो पिछले १० साल से रही है उस में और इस में कोई फर्क नहीं है। बल्कि पहले जो एक बात थी वह भी निकाल दी गयी, जैसे पुराने ऐक्ट में कोआप्शन का अधिकार था। वह इस लिए था कि स्त्रियों को या अन रिप्रेजेन्टेड लोगों को रिप्रेजेन्टेशन देने का मौका था, वह भी नहीं रहा। उस के ऊपर यह चाहते हैं कि इस ऐक्ट को जल्दी से पास कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि इसकी जल्दी नहीं है। जहां तक आश्वासन का सम्बन्ध है मन्त्री जी यह कहते हैं कि हमारा कमिटमेंट है, हम को मई में इलेक्शन कराना है। तो कमिटमेंट्स तो बहुत अर्से से चले आ रहे हैं, सन् १९४८ से चले आ रहे हैं, अगर ८, १० महीने और लग जायं तो कोई आपत्ति नहीं है। आगरे में तो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव सन् १९३५ में हुआ था, वहां तो बात बिगड़ी नहीं। इस लिए अगर इतका समय थोड़ा और बढ़ जाता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रही यह बात कि अपोजीशन इस बात पर एतराज करेगा कि एलेक्शन क्यों टाले जा रहे हैं, तो अपोजीशन तो मई के एलेक्शन्स पर भी एतराज कर रहा है कि मार्च में लोकल बाडीज की तरफ से कौंसिल्स के एलेक्शन्स हो रहे हैं। इस लिए गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के एलेक्शन्स मार्च में हों। अगर मार्च में नहीं होते तो मई में एलेक्शन्स होने से कोई फायदा नहीं है। अक्तूबर में कर सकते हैं।

इस ऐक्ट में कोई नयी चीज होनी चाहिए जिस से जनता को भी लाभ हो और जनता से यह भी कहा जा सके कि हम ने एक नयी चीज रक्खी है। सरकार का इरादा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाने का है, जिस की रूप रेखा, सरकार तैयार नहीं कर सकी है। मौजूदा अधिकारों के साथ, जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिये गये हैं, उन के अन्तर्गत चुनाव कराना, जिस में दो, ढाई करोड़ रुपया जनता और सरकार का खर्च हो जायगा, कोई फायदेमन्द साबित नहीं होगा।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत बड़ी दयनीय है। एक माननीय वक्ता महोदय ने तो यहां तक कहा कि जो सड़क खराब मिले, समझ लीजिये कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है। जब यह हालत है, तो दो, ढाई करोड़ रुपया खर्च करने से क्या फायदा होगा? जरूरत यह है कि इसमें कोई परिवर्तन हो, ऐसा परिवर्तन मन्त्री महोदय करें, जिस से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आय बढ़ सके और उस को कुछ सेवा करने का भी अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए होना यह चाहिए कि सरकार की जो २० करोड़ रुपये की मालगुजारी है उसकी वसूलयाबी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दें। इससे उसे १० परसेंट अबवाब और १० परसेंट कलेक्शन चार्जेज यानी मालगुजारी की २० प्रतिशत की आमदनी मिल जायगी, यानी ४–५ करोड़ रुपया मिल जायगा, जिस से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का काम चल सकता है।

पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कार्य-क्षेत्र में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। पंचायतें अलग टैक्स लगाती हैं। उनका कुछ टैक्स वसूल होता भी नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को पंचायतों के ऊपर कन्ट्रोलिंग यूनिट बना दिया जाय और पंचायतें जिन टैक्सों को वसूल करती हैं उन को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वसूल करें तो उन का कार्य-क्षेत्र बढ़ जाता है और उन्हें काफी मात्रा में धन भी मिल जायगा। इन दोनों चीजों को कार्य में लाने के लिए रेवेन्यू ऐक्ट और पंचायत ऐक्ट में संशोधन भी करना पड़ेगा और अगर ये संशोधन होते हैं तो उनकी वजह से मई में चुनाव टल सकते हैं और इस से कोई भारी हानि होने की सम्भावना भी नहीं है। अक्तूबर में ये चुनाव कराये जा सकते हैं और मई से अक्तूबर हो जाने से कोई जबरदस्त बला नाजिल नहीं हो जायगी।

एक चीज यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अगर कुछ अधिकार होंगे, तो मुल्क में ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेनिंग मिलने का वहां अवसर मिलेगा। एक सेकिंड लाइन होनी चाहिए जिस में मुल्क में ऐडमिनिस्ट्रेटर्स ट्रेन हो सकें। वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेनिंग मिलेगी। इस लिए यह जो प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय, जो इसकी परिधि बढ़ा सके, मैं इसकी ताईद करता हूं और अगर इस के कारण एलेक्शन्स टल भी जाते हैं तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन आजमगढ़ जिले के माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है कि यह विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो २–३ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे, उसका समर्थन करता हूं, इस शर्त के साथ कि परिधि बढ़ाने का हक प्रवर समिति को न हो। उन्होंने परिधि बढ़ाने की भी बात कही है। मैं सेलेक्ट कमेटी को भेजने का हामी हूं, ३ दिन के अन्दर रिपोर्ट आने का हामी हूं, लेकिन बिल के स्कोप के बढ़ाने के हक में नहीं हूं।

कारण यह है मान्यवर, कि सन् १९४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हुये थे। कानून के अनुसार सन् १९५२ में चुनाव हो जाने चाहिये थे। ६ साल गुजर गये या गुजर चुके हैं, क्योंकि अप्रैल में चुनाव हुये थे। ६ साल के अन्दर नया मसविदा हम नहीं तैयार कर सके कि क्या कानून होना चाहिये, क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फरायज और अधिकार होने चाहिये, और अपने फरायज की अंजामदेही के लिये उसके क्या जराये आमदनी होने चाहिये यही तीन बातें हैं। लकिन कोई राय नहीं हो पाई।

एक भ्रम है कि प्लानिंग का काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को देने के लिए उस के कर्त्तव्य बढ़ाये जायं। मैं जानना चाहूंगा कि प्लानिंग का कौन सा ऐसा काम है जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की दफा ९१ या ९२ के बाहर हो? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अधिकार है मान्यवर कि काटेज इन्डस्ट्री के लिए प्रयत्न करे, कृषि को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करे, ऐग्रीकल्चर के लिए, सूखा, कहत या फ्लड हो तो उस के रोकथाम के लिए प्रबन्ध करे, पुअर और लेपर असाइलम्स खोले, ट्रामवे चलाये, नहर निकाले, टयूबवेल बनवाये, पानी पीने के कुएं बनवावे, रोडवेज चलावे। मैं भी जब से प्लानिंग कमेटी बनी है, या डेवलपमेंट इस प्रदेश में शुरू हुआ है, सौभाग्य से कभी ऐसा नहीं रहा कि लखनऊ की उस कमेटी का मेम्बर न रहा हूं। मेरा अटूट उससे सम्बन्ध रहा

[श्री त्रिलोकीसिंह]

और प्लानिंग कमीशन की पूरी रिपोर्ट को भी पढ़ा है। कोई ऐसी चीज मुझे प्लानिंग कमीशन की नहीं मिली, जो कि दफा ९१ और ९२ के बाहर हो—अगर है तो मैं किसी भी माननीय सदस्य से जानकर उनके आगे मस्तक झुकाऊंगा। मुसीबत यह है मान्यवर, कि बिना पढ़े ही तरमीम करना चाहते हैं। क्या कानून है, उसको समझकर तब तरमीम होनी चाहिए, लेकिन कानून तो पढ़ेंगे नहीं, तरमीम करेंगे। क्या है, इसका ज्ञान नहीं। मुझे अफसोस है इसके कहने में, मैंने इसलिए माफी मांग ली।

६ वर्ष से चुनाव रुके हैं। सब से बड़ी चीज प्रजातंत्र के काम के लिए यह है कि चुनाव किसी प्रकार से टलने नहीं चाहिये। ६ वर्ष टले, अब और टल जायं—अक्तूबर, नवम्बर में हो जाय। इस लिए कि एक बड़ा भारी बिल आयेगा। बिल लिखने वाले के दिमाग में, अगर कोई नजरिया है और न जरिये के साथ इरादा भी है, दृढ़ निश्चय है कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आफर करता हूं कि एक हफ्ते के अन्दर मसविदा बनाकर पेश कर दूंगा कि यह कांस्टीटयूशन होना चाहिए और यह उस के लिए फाइनेंसेज होने चाहिये। लेकिन सुनने वाला कौन है? सवाल सिर्फ आज यह है कि जल्द से जल्द डिस्ट्रक्ट बोर्ड के चुनाव कराये जायं। यह गला घोंटा जा रहा है, ६ साल से लगातार एक बड़ा भारी हक छीना गया है। अब उस की मुद्दत ३० जून रखी गयी थी कि उस के कब्ल हो जायं। खुशी की बात है कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट ऐंड रीजन्स में लिखा हुआ है कि मई मे चुनाव कराना है। अगर जल्दी हो सकता तो मैं उस के हक में भी था, लेकिन यह अच्छी बात है। इधर कुछ लोगों की तरफ से यह कहा गया कि मई में जेठ का महीना होता है, लू चलती है। एक तरफ तो एतराज यह होता है कि नैनीताल नहीं जाना चाहिए मई में, फिजूल-खर्ची होती है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लोग लू से घबराएं, यह मेरी समझ मे बात नहीं आती। सन् १९४८ का चुनाव भी अप्रैल में हुआ। जब हल्की हल्की लू चल रही रही थी।

एक सदस्य—प्रथम सप्ताह में।

श्री त्रिलोकी सिंह—जी नहीं, तृतीय सप्ताह में। तो मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें कि चुनाव जल्द से जल्द हों या न हों। तो चुनाव के कराने के लिए जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, वे ३–४ हैं और ठीक हैं। संविधान के अनुसार, सिवाय हरिजनों के लिए और किसी के लिए रिजर्वेशन आफ सीट्स नहीं हो सकता है। कोआप्शन की प्रथा भी हटाई जाय, क्योंकि मेम्बर चुन लें, यह बात गलत है और जब यह प्रथा हटायी जायगी, तो हल्का-बन्दी यकीनन करनी पड़ेगी। लेकिन मैं क्यों चाहता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी में चला जाय? इसके मुख्य कारण यह हैं कि इसमें कुछ अधिकार सरकार फिर से अपने हाथ में लेना चाहती है। मैं इस हक में हूं और सदा रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या और भी जितने स्थानीय निकाय हैं, उन के काम में किसी भी प्रकार से सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

श्रीमन्, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि कभी म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सदस्यों को मुअत्तल नहीं किया जाता था। माननीय अध्यक्ष महोदय को स्थानीय निकायों के काम के बारे में काफी तजुर्बा है। मैं अपने को बदकिस्मत समझता हूं कि मेरा झगड़ा लखनऊ के कमिश्नर से हुआ और मुअत्तली का कानून बना। वह जमाना वार का था, मेम्बर मुअत्तिल हो सके, यह एक आर्डिनेंस के द्वारा हुआ, यह बदकिस्मती थी। सरकार को जनता के द्वारा चुने हुए आदमी को मुअत्तिल करने के अधिकार क्यों थे? क्या कोई अहलकार हैं, यह सब क्या है? उनकी सर्विस बुक किस के पास है? हमारी सर्विस बुक किसी सरकारी दफ्तर में नहीं है। वह तो जनता के पास है, जिस ने चुनकर हमें भेजा है।

ठीक इसी प्रकार से प्रेसीडेंट चुना गया और सरकार उसको निकाल दे और क्यों एक ही फिकरा लिखा गया है कि अगर वे अपने फरायज को ठीक तरह से अन्जामदेही न करें? इस पर

तो कभी कोई सरकारी कर्मचारी भी डिसमिस नहीं हुआ। कानून को पढ़ लीजिये। कुछ परसिस्टेंस होना चाहिए। और पुराना कानून था "Flagrant abuse of his authority and power" इसका सिलसिला होना चाहिए।

टर्म के एक्सटेंड होने के बारे में आजमगढ़ के एक दूसरे सदस्य ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपैलिटी के टर्म को एक्सटेंड करने की बात आये तो, जब तक देश के ऊपर कोई महान आपत्ति न हो, तब तक यह न हो और वह भी कौन करे? सरकार नहीं करेगी बल्कि बाई लेजिस्लेशन होगा यानी असेम्बली और कौंसिल कानून बनायेगी।

दूसरा तजुर्बा मुझे यह है कि जो गुलामी के जमाने से कायदा चला आ रहा है सरकार उसको सख्ती से जकड़े हुए है। एक तरफ तो विकेन्द्रीकरण की बात कही जाती है और दूसरी तरफ अधिक से अधिक अधिकार सरकार में हों उतना ही अच्छा है। यदि हम गौर करें तो पिछले ८ साल से केंन्द्रीय सरकार ने पहले से ज्यादा अधिकार ले लिये हैं और वही गति प्रादेशिक सरकारों की है चाहे यूनिवर्सिटी हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हों या कोआपरेटिव सोसाइटी हो सबमें यही बात है। यह एक सीमा के अंदर होना चाहिये, बाहर नहीं होना चाहिये। मुझे ज्यादा अर्ज नहीं करना है। मौजूदा कानून काफी है सिर्फ जरायें नहीं हैं वह एक मिनट में पैदा नहीं हो सकते। इसके लिये सोचना चाहिये। मैं अपनी सेवा अर्पित करता हूं, अगर मंत्री जी मुनासिब समझें, इसके लिये कि जरायें कैसे बढ़ाये जांय? आज हर आदमी कहता है कि पूर्वी जिलों में सूखा पड़ा लेकिन किसी बोर्ड ने रिलीफ आर्गेनाइज किया, किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने ऐग्रीकल्चर की तरक्की के लिये कोई काम आजतक किया है? किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिये आजतक कुछ काम किया? नहीं किया। क्यों? पैसा नहीं है। और अगर पैसा है तो सरकार की तरफ से मजबूरी है कि फिजूलखर्ची करो। यह इस कानून के अन्तर्गत है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो इन कारणों से मान्यवर, आपके द्वारा मैं इस आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि परिधि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है सेलेक्ट कमेटी को रेफरेन्स करें जो तीन दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे।

अध्यक्ष के चुनाव की बात है। राष्ट्रपति का चुनाव सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से होता है। सोचना चाहिये कि यह सिंगिल ट्रांसफरेबिल है क्या बला? क्या गरज है इसकी? माइनारिटीज के रेप्रेजेन्टेशन के लिये इसका वजूद हुआ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट एक एग्जीक्यूटिव हेड है, कोई लेजिस्लेटिव पावर उसकी नहीं है। उसका चुनाव सीधे बाइ मेजारिटी वोट से होना चाहिये, जैसे पुराना था। अब क्या कैफियत होगी? अगर १० उम्मीदवार हो गये और प्रिफरेन्शल वोटिंग हुई तो जिसको ३ आदमी चाहते हैं ४० में, वह भी हो सकता है। अगर स्ट्रेट वोटिंग हो तो फर्स्ट रांउड में लोएस्ट एलिमिनेट हो जायंगे, सिर्फ दो रह जायंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर यह समझ सके कि इन दोनो में से किस को हमें चुनना चाहिये। बोर्ड के चेयरमैन को तो सेवा का कार्य करना है, । लेकिन इसमें भी नकल, जैसे राष्ट्रपति चुना जाता है, वैसे ही हो। समझना चाहिये कि क्या बात है और क्या इमकानात हैं।

इन बातों का लिहाज कर यह जरूरी है कि बजाय इसके कि इस पर पूरे सदन में विचार हो अगर सेलेक्ट कमेटी में रेफरेन्स कर दिया जाय तो आसानी से विचार हो सकेगा और, जैसा मैंने अर्ज किया, आजमगढ़ के माननीय सदस्य के उतने संशोधन का मैं समर्थन करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि १० या १५ मिनट, जैसा आप मुनासिब समझें, समय निर्धारित कर दीजिये क्योंकि बहुत से लोग बोलना चाहते हैं। मैं समझता हूं १५ मिनट ठीक होगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—१० मिनट काफी है।

श्री अध्यक्ष—वे यह कह रहे हैं कि १५ मिनट सबके लिये कर दिये जांय ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा निवेदन आपके द्वारा माननीय वीरेन्द्रशाह जी से यह है कि कहीं ऐसी समय की लिमिट वह न कर दें कि ४–६ सदस्यों के बोलने के बाद कोई बोलने वाला ही न रह जाय । ऐसा होता है कभी-कभी कि समय लिमिट कर दिया जाता है फिर ४–६ आदमियों के बाद कोई बोलने वाला नहीं रहता ।

श्री अध्यक्ष—आप कल आये हैं, वे आप से पहले दिनों सदन में रहे हैं, उनको ज्यादा बातें मालूम हैं ।

श्री राजनारायण—मगर हमसे ज्यादा सदन में नहीं बैठते । दूसरी बात यह है कि १० मिनट का समय बहुत ही कम होगा ।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि साधारण रूप से १५ मिनट से ज्यादा न हो और एक व्यक्ति को ज्यादा समय भी दिया जा सकता है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमें तो ज्यादा समय मिलना चाहिये क्योंकि हमारे लिये तो यह बड़ा फंडामेंटल सवाल है और माननीय त्रिलोकीसिंह जी को सुनने के बाद तो और भी जरूरी हो गया ।

श्री त्रिलोकीसिंह—मेरी गुजारिश यह है कि १० मिनट का समय रखा जाय और जो मुख्तलिफ दलों के नेता हैं अगर वे चाहें तो कुछ ज्यादा समय ले लें ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है । तो अधिकतर सदस्यों के लिये तो १० मिनट ही रखेंगे और जो दलों के नेता हैं वे १५ मिनट से भी ज्यादा बोल सकेंगे और मैं हर पार्टी के एक-दो सदस्यों को और मौका दूंगा कि अगर वे चाहें तो १० की जगह १५ मिनट बोल सकेंगे ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय स्पीकर साहब, आपने १० मिनट का वक्त तय किया है ?

श्री अध्यक्ष—मैं आपको १५ मिनट का समय दूंगा ।

*श्री सुल्तान आलम खां—मैं आपका मशकूर हूं । मुझे अफसोस है कि कल मैं इस सदन में हाजिर न हो सका और जो सुन्दर भाषण माननीय मंत्री जी ने इस बिल को पेश करते वक्त किया उसको मैं सुन नहीं सका । लेकिन जो कुछ मैंने अखबारों में पढ़ा और उसके बाद जो दो-एक तकरीरें आज मैंने सुनीं, उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा मालूम हुआ कि हम अपनी जगह पर कुछ कन्फ्यूज हो गये हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का पिछला चुनाव १० साल पहले हुआ था और इस में कोई शक नहीं कि जो यह १० साल की मुद्दत बीती है, यह बहुत ज्यादा है । चुनाव इस के पहले ही हो जाते तो अच्छा था । लेकिन सरकार की मखसूसियतों और दूसरे ही कामों में उसके लगे रहने की वजह से ही शायद ये चुनाव वक्त पर न हो सके । इन चुनावों के मुताल्लिक हम कई महीनों से सुनते चले आ रहे हैं और उसी के सिलसिले में जो यह बिल हमारे सामने पेश है, मैं इसका स्वागत करता हूं ।

इस बिल पर जो तकरीरें हुई हैं उन से दो बातें टपकती हैं । लोग यह भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो जायं और यह भी चाहते हैं और समझते हैं कि यह बिल नाकाफी है, एक कांप्रिहेंसिव बिल आना चाहिये । इसको एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जाना चाहिये, एक महीने की मुद्दत उसको दी जाय कि जिसमें यह बिल मंजूर हो कर वहां से आये और उस के बाद चुनाव हो जायं । मैं ऐसा समझता हूं कि यह दोनों बातें अपनी जगह पर मुतजाद हैं । यह बिल उन जरूरतों को पूरा करता है जो हमारी फौरी जरूरतें हैं । यह सही है कि यह बिल कान्प्रिहेंसिव नहीं है और मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार की तरफ से या किसी शख्स की तरफ से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह क्लेम नहीं किया गया कि यह बिल कांप्रेहेंसिव है। काम्प्रेहेंसिव बिल की बहुत जरूरत है और उस को लाने के लिये हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। पिछले जमाने में जो बहुत से काम कमेटियों ने किये हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, जिनके स्पीकर महोदय भी सदर रह चुके हैं, उसकी रिपोर्ट हमारे सामने है, और जिस के अंदर बहुत सी चीजें तजवीज की गई हैं। उसमें प्राविंशियलाइजेशन आफ सर्विसेज की बात भी है जिस के लिये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड एक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के तौर पर बनाये जाने की बात भी है। ये तमाम बातें इस बिल के अंदर नहीं आ सकी हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात को महसूस करते हैं कि जब पिछले १० सालों में, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से हमें साबिका पड़ चुका है, उसको देखते हुए अगर हम ५ या ६ महीने के लिये अपने चुनाव और आगे बढ़ा दें और इस अर्से में एक पूरा कांप्रिहेंसिव बिल ला कर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक पूरी पिक्चर सामने आने दें तो वह हर एक के लिये मुफीद होगा और यह बात बहुत मुनासिब होगी। मैं यह भी चाहता हूं कि जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हमारे सूबे मे कायम हैं, ये बिलकुल आउट आफ डेट हो चुके हैं और यह डस्ट्रिक्ट बोर्ड अनपापुलर भी हो गये हैं और अगर आज हम उनको स्क्रैप कर दें तो उस के लिये यहां सूबे में कोई रोने वाला नहीं है। अगर हम एक वैकुअम भी छोड़ दें तो उस के अंदर भी, मैं समझता हूं, हम काम कर सकते हैं और लोग उसमें अपने को 'बेटर आफ' समझेंगे। मेरा इसके लिये खुद जाती तजुर्बा है और मैं बराबर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोशियेटेड रहा हूं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की खराबी की जो वजह है वह पहली तो यह कि वह ऐसे जमान में डिजाइन हुए थे कि जब लोगों की ऐसी भावनायें नहीं थीं और न उस जमाने का एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप ही ऐसा था। दूसरी वजह यह है कि उन के पास फंड्स नहीं हैं। कोई स्कीम, जैसा कि हमारे माननीय लीडर आफ दि अपोजीशन ने कहा, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फंक्शंस हैं, जो उसकी ड्यूटीज हैं, वह चाहे लाजमी हों या वालंटरी हों, उनको वे अंजाम नहीं दे पाते। तो सब से बड़ी दिक्कत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की यह है कि उनके पास फंड्स नहीं हैं। फंडस् न होने की वजह से वह जिस चीज को करना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं।

माननीय स्पीकर साहब, एक बड़ी दिक्कत यह है कि टैक्स का नाम बहुत बुरा है। अगर कोई शख्स टैक्स की बात करता है तो उसको सुनना कोई पसन्द नहीं करता। अगर यहां सदन में टैक्स की बात की जाय तो उसको सुनने के लिये कोई तैयार नहीं है। अगर आज इस हाउस के अन्दर बजाय इसके कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये एक दूसरा अमेंडिंग बिल लाते और इस बात को सोचते कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फंड्स बढ़ाने के लिये क्या-क्या टैक्सेशन किया जाय, तो मैं समझता हूं कि इस हाउस के अन्दर बहुत थोड़े लोग ऐसे निकलेंगे कि जो इस बात को सोच सकें, वरना सब से ज्यादा एतराज यही किया जायगा कि टैक्स लगाना जनता के बोझ को और बढ़ाना है। हम नहीं चाहते हैं कि जनता के टैक्स के बोझ को और बढ़ाया जाय और वह जिन्दा रहने के लायक भी न रहे। लेकिन हमारे सामने कुछ चीजें हैं। अगर हमको प्लानिंग को चलाना है, अगर हमको तरक्की करना है और हमें डेमोक्रेसी को कामयाब बनाना है तो फिर हमको यह सोचना पड़ेगा कि रुपया कहीं से लायें। मैं नहीं कहता कि रुपया गरीबों से ही लाया जाय या उनसे लिया जाय जिनके पास रुपया नहीं है। अभी मेरे एक भाई ने तजवीज पेश की इस बिल के अन्दर यह चीज नहीं है कि जो टैक्स लगा हुआ है, गरीबों के उपर जो २०० रुपये साल की इन्कम पर टैक्स लगा हुआ है उसको कम किया जाय। आप चाहते हैं कि २०० रुपये सालाना यानी १६ रुपया महीना जो शख्स पैदा करता है, उस पर टैक्स न लगाया जाय। मैं भी समझता हूं कि यह टैक्सेबिल इन्कम नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जो इन्कम हो, उसको बढ़ाया भी जरूर जाय। तभी आप इन दिक्कतों को दूर कर सकते हैं वरना यह दिक्कतें कैसे दूर हो सकती हैं। मैं अर्ज करूं कि अगर टैक्स लगाने की बात आती है तो मुश्किल से हम इसके लिये तैयार होते हैं। एक कमेटी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बिठाई थी जिसका नाम लोकल टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी था। उसी के काउन्टर पार्ट इस सूबे ने भी एक कमेटी बिठाई थी। मुझे भी उसमें काम करने का मौका

[श्री सुल्तान आलम खां]

मिला था । उसने बहुत डिटेल में कुछ सिफारिशें इसके मुताल्लिक दी हैं । पता नहीं उन सिफारिशों का क्या हुआ लेकिन मैं समझता हूं कि उस कमेटी की सिफारिशें जरूर शेल्व हो गयीं ।

माननीय स्पीकर साहब, अगर एलेक्शन इस बिल की बुनियाद पर किया जाता है कि जो इस वक्त हमारे सामने है, तो मुझे अन्देशा है कि यह एलेक्शन करने के बाद हमें ३,४ साल तक जो रिफार्मस्, हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में लाना चाहते हैं, उनके लिये रुकना पड़ेगा । अगर हम साल, ६ महीने में दूसरा एलेक्शन करेंगे तो जैसा अभी एक दोस्त ने कहा कि इस में ढ़ाई करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा, जिस से कि प्लानिंग के एक्जीक्यूट करने में फर्क आयेगा । ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूं कि जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को हमने दस साल निभाया बजाय इसके कि वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने फरायज पूरी तरीके से अन्जाम नहीं दे रहे हैं, ५, ६ महीने के लिये इस मुद्दत को और बढ़ा दें और अक्तूबर तक एलेक्शन करें और सब लोग मिलकर, ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के जरिये से या जिस तरीके से मुनासिब हो, एक ऐसा कम्प्रिहेन्सिव बिल लायें जिसके मातहात, वह तमाम तजुर्बे ला सकें जो हमारे दिमाग में हैं और १०, १५ साल से दिमाग में हैं और जिसके बारे में मुख्तलिफ कमेटी बैठीं और गौर किया, तो ज्यादा मुनासिब होगा । तो उसके पहले, अगर इस अर्से में पूरी बात सामने आती, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी की तमाम सिफारिशों पर अमल किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता । हमारे सामने बहुत से सवाल हैं, हमारे यहां पंचायतें हैं, हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, डबल टैक्सेशन भी होता है, प्लानिंग का भी सवाल है कि वह किसके हाथ में जाय । इसके साथ-साथ और भी दुश्वारियां और दिक्कतें हैं । इसके लिये हमको एक ऐसा बिल लाना चाहिये जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो तमाम बाडीज हैं, उनके फरायज को डिफाइन किया गया हो कि किस बाडी को किस फरायज का अंजाम देना है । अगर हम इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को रखना चाहते हैं तो क्या वे सुपरवाजिंग बाडीज के तौर पर होंगे या क्या होंगे । लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लानिंग कमेटी भी होगी, तो इस तरह से डुप्लीकेशन हो सकता है और टैक्सेशन भी डबल हो सकता है । तो हमको इन तमाम बातों पर सोचना पड़ेगा । मैं तो यह समझता हूं कि गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि वह मई में एलेक्शन जरूर करावेगी लेकिन मैं तो समझता था कि बेहतर और मुनासिब यह है और मैं तो बहुत अदब के साथ गवर्नमेंट से और अपने उन तमाम भाइयों से जो इस तरफ बैठे हैं या उस तरफ बैठे हैं, यह दरख्वास्त करता हूं कि वे इस मामले को सेन्टिमेंटल तरीके से सोचने की कोशिश न करें बल्कि यह कोशिश की जाय कि वाकई जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तमाम बाडीज हैं, उनके पावर्स को डिफाइन कर दिया जाय कि किसके हाथ में प्लानिंग का काम रहेगा, किसके हाथ में फलां काम रहेगा । अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से भी वही काम कराया जाय, जो पंचायतों से कराया जाय तो इस तरह से डुप्लिकेशन होगा । इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुये एक कम्प्रिहेन्सिव बिल लाया जाय, जिसमें रूरल एरियाज का बिलकुल एक नक्शा खींचा जाय कि पंचायतों के क्या पावर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के क्या पावर्स हैं, आगे उसकी क्या सूरत होगी, आज जो प्लानिंग का काम करते हैं, उनके काम को अमलगेमेट किया जायगा या क्या होगा, ये तमाम बातें उसमें डिफाइन होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि अगर इन कामों में हम सब लोगों का सहयोग रहे तो इन कामों के करने में बड़ी आसानी हो सकती है । मैं अर्ज करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का मसला या एक्जीक्यूटिव का मसला ऐसा नहीं है जिसको पार्टी के वसूलों पर देखा जाय । मैं तो समझता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट में और सूबे के इंटरेस्ट में यही है कि हम सब मिलकर सहयोग दें और बुनियादी तौर से इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट एक कम्प्रिहेन्सिव बिल ला सकती है जिसके अन्दर रूरल एरियाज के ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये अमली फैसला होगा और जो अरसे तक कायम रह सकेगा ।

*राजा वीरेन्द्रशाह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सम्बन्ध में सरकार की ओर से पेश हुआ है , उसके उद्देश्य से मैं पूर्णतः सहमत हूं । जैसा कि विरोधी दल के नेता ने बतलाया कि इस वक्त सन् १९२२ के ऐक्ट को बदलने के लिये सरकार की तरफ से कहा गया है , तो जैसा कि अभी हमारे मित्र ने यह सुझाव दिया कि इस पर पूरी तौर से गौर होता और उसके बाद चुनाव होता तो एक अच्छी सूरत नजर आती । लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है कि पिछले १० वर्ष से चुनाव हुआ नहीं है, जिसकी वजह से जनता के अन्दर यह विरोधी भावना पैदा हो गयी है कि यह सरकार चुनाव ही टालना चाहती है । इस भावना को दूर करने के लिये ही सरकार ने सोचा है कि चुनाव जल्दी से जल्दी होना चाहिये । मेरी तरफ से यह सुझाव है कि अगर आप यह चाहते हैं कि प्लानिंग कमेटीज , जो आजकल जिले में नियोजन का काम कर रही है, उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से करावें, या पंचायतों से उनका सम्बन्ध रखना चाहते हैं, तो एक मिलीजुली स्कीम सरकार की आनी चाहिये कि यह होना चाहिये । लेकिन दिक्कत यह ह कि चुनाव न होने से लोग बड़े परेशान हैं, और मैं तो यह कहता हूं, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि अगर ६ महीने के लिये इसे टाल ही दिया जाय तो क्या नुकसान हो जायगा । जैसा कि हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि ८ दिन के अन्दर ही इसको किया जा सकता है । मेरा खयाल है कि ८ दिन तो नहीं, लेकिन तीन चार महीने के अन्दर इस काम को किया जा सकता है और इस तरह से चुनाव को अधिक दिनों तक रोकना गैर जरूरी है । अगर चुनाव हो जायगा तो इस बीच में वे अपने फरायज को भी, जो प्लानिंग के या नियोजन के हैं, कुछ कर लेंगे । कुछ कलेक्टर करेगा लेकिन उनका अब एक दिन भी चलना मुनासिब नहीं है । इस का कारण यह है कि पिछले दस साल से चुनाव नहीं हुये हैं और जो बोर्ड्स हैं उन्होंने जनता के ऊपर एक आफत मचा रखी है । शिक्षा का बहुत नुक्सान हो रहा है और हर चीज में तमाम तरह की रुकावटें बढ़ती जाती हैं । मेरा सुझाव है कि अगर आगे अब चुनाव रोके जाते हैं तो फौरन मौजूदा बो कोर्डो भंग कर दिया जाय और हम और हमारा दल हर तरह से सरकार को सहयोग देगा अगर कोई ऐसी स्कीम सरकार लाती है कि बोर्ड को और क्या-क्या अधिकार दिये जांय और रूरल क्षेत्र का इन्तजाम कैसे हो । हम चाहते हैं कि एक नयी स्कीम ग्रामीण क्षेत्र के लिये बने लेकिन हम इस से सहमत नहीं हैं कि सितम्बर, या नवम्बर तक टाला जाय इस से बड़ा भ्रम जनता में फैलता है । अगर मई में चुनाव नहीं हुये तो हमारे जिले की जनता तो इस कदर इन बोर्डों से उकता गई है कि वह मई के बाद मेम्बरों को घर से नहीं निकलने देगी, उनसे कहेंगो कि वह इस्तीफा देदें और चेयरमैन से भी कहेंगी कि काम न करो । इसलिये कि यह नज्जारा सामने न आये यह अच्छा है कि उनको ससपेंड कर दिया जाय, अगर चुनाव मई में नहीं हो सकते हैं । जब तक कोई सर्वांगपूर्ण बिल सरकार नहीं लाती है जिस में तय हो जाय कि जिला बोर्ड रखने हैं , पंचायतों से काम कराना है या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स बनानी हैं तबतक के लिये अच्छा है कि मौजूदा बोर्ड को ससपेंड कर दिया जाय । मैं कहता हूं कि उस दल की हार भी इसी कारण से हुई है कि दस साल से इन जिला बोर्डों के चुनाव नहीं कराये गये । इस हार का कारण ग्रामीण क्षेत्र में जिला बोर्डों की ज्यादतियां हैं । इसलिये सरकार इन चुनाओं को शीघ्र कराये और अगर नहीं कराती है तो इन बोर्डों को ससपेंड कर दे और उसके बाद ६ मास में पूरा प्लान बनाकर सामने रखे और सब लोगों की जो राय हो उसके अनुसार काम हो । इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है । यही मेरा सुझाव है ।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी आपने देखा कि हमारे आदरणीय मित्र वीरेन्द्रशाह जी ने वक्त से पहले अपना व्याख्यान समाप्त कर दिया और उन्होंने स्वयं कोशिश की थी कि टाइम लिमिट कर दिया जाय । हम लोग जानते हैं कि सदन का कम से कम समय लेना चाहिये ।इस मामले में मैं माननीय राज़नारायण जी से सहमत हूं । शायद समय रह जाय और बोलने वाले न रहें इसलिये मेरी गुजारिश यह है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सीताराम शुक्ल]

कि अगर कोई मेम्बर टु दि प्वांइट बोल रहे हों और अच्छे सुझाव दे रहे हों तो मेहरबानी करके आप उन्हें कुछ अधिक समय देकर बोलने का मौका दें ।

मुझे थोड़े से शब्दों में यह अर्ज करना है कि बड़ी खूबसूरती से हमारे भाई लोगों ने एतराज किया कि दस साल तक टाला गया और चुनाव नहीं कराये गये । कहा गया कि डेमोक्रेसी में चुनावों का टालना बड़ा खतरनाक चीज होती है । मेरा तो जी चाहता है कि मैं अपनी पार्टी से कहूं कि मुझे उधर से बोलने का मौका दिया जाय (बहुत सी आवाजें इधर आजाइये) तो मैं बताऊं कि विरोध कैसे किया जाता है, पढ़े लिखे आदमी टु दि प्वांइट बात करें तो मुनासिब होगा । अगर हमारे मिनिस्टर साहबान बेकार बैठे रहते हों, हमारे सरकारी कर्मचारी बेकार बैठे रहते हों, काम न करते हों, तब तो शिकायत हो सकती है । अगर गप लड़ाते हों, ताश खेलते हों, शतरंज खेलते हों, घूमते हों तो कह सकते हैं कि काम नहीं किया । लेकिन अगर २४ घंटे पिसते हों, सुबह उठते हों और बारह बजे रात से पहले सोते न हों, फिर यह शिकायत है कि इस कानून में जल्दी नहीं की, ठीक नहीं है । घन्टे वही हैं समय वही है, काम करने का तरीका वही है । आजादी मिलने के बाद सैकड़ों काम सामने आगये हैं । सभी काम जरूरी हैं । लेकिन जो काम सामने आगया कर दिया गया । आप फरमा रहे हैं कि चुनाव नहीं हुये । चुनाव में अक्सर वही आते हैं थोड़ा सा फर्क होता है । लिहाजा अगर क्रिटिसिज्म हो तो हेल्थी क्रिटिसिज्म हो । टु दि प्वांइट ऐतराज करना चाहिये, तब हम कहेंगे कि हेल्थी क्रिटिसिज्म किया । मैं मुबारकबाद देता हूं मंत्री जी को कि आप इस बिल को ले आये हैं । इस को पेश करके माइनारिटी को खुश करने की कोशिश भी की गयी है । इसके लिये मैं आपका तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं । आप उन मंत्रियों में से हैं, जो कथन को कार्य में परिणत करना चाहते हैं । जब आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो जाकर उसमें खड़े हो जाते थे, जा कर उनके अन्दर बैठ गये । (व्यवधान)

कोई देहाती आदमी कहता कि प्वांइट से बाहर जा रहे हो तो मैं उसको जवाब भी देता । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---जरा शांन्त रहिये । आप लोग बीच में न टोकें । मेरा ध्यान आकर्षित करें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । सदन की नियमावली के अनुसार "आप" शब्द चेयर को कहना चाहिये । माननीय सदस्य ने मंत्री जी को "आप" कह कर सम्बोधन किया है ।

श्री अध्यक्ष---ऐसा तो कह सकते हैं कि आप ऐसे मंत्रियों में से हैं, मगर आप, आप कहकर आप किसी मंत्री को सम्बोधित नहीं कर सकते ।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं आपको धन्यबाद देता हूं । ठीक है, मेरी गलती है, मुझे माननीय मंत्री जी कहना चाहिये ।

वह खड़े हो जाते थे, पीछे से पकड़ लेते थे । अगर अच्छा काम किया तो इनाम दिया, बुरा किया तो रिमार्क पास कर दिया ।

इसी सिलसिले में, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस में योग्यता क्या हो, हमारे चेयरमैन साहबान जो हैं, उनको वोटर होना चाहिये, उनकी उम्र तीस साल होनी चाहिये । इसमें एक चीज नहीं है कि उनकी योग्यता क्या हो । मेरी प्रार्थना यह है कि एक शर्त और बढ़ा दी जाय कि कम से कम हिन्दी जरूर जानते हों । आज करीब दस वर्ष हुये इस आदरणीय सदन ने पास किया था कि यहां की कार्यवाही हिन्दी में होगी । लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, और जगहों में क्या, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड तक में सारा काम हिन्दी में नहीं होता । वहां भी बड़ी शान के साथ अंग्रेजी में कार्यवाही होती है । मैंने अभी पता लगाया तो मालूम हुआ कि कम से कम ५० परसेंट खत डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अंग्रेजी में आते हैं । पचास परसेंट जवाब भी अंग्रेजी में जाते हैं ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---मांग भी आप अंग्रेजी में कर रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---जरा इतना जानना चाहिये कि हर जबान में नये नये शब्द आते रहते हैं। जो अंग्रेजी का शब्द, उर्दू का शब्द हिन्दी में आगया, हिन्दी हो गया। जो अंग्रेजी और उर्दू के शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं, वह हिन्दी हो गये।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि हिन्दी में काम होना चाहिये मेहरबानी करके, जब कोई खत अंग्रेजी में आये तो उनसे कहें कि क्या बात है? आप हिन्दी नहीं जानते या यह समझते हैं कि अगर अंग्रेजी नहीं लिखेंगे तो उनकी कद्र खत्म हो जायगी?

एक चिट्ठी अवश्य भेज दी जाय और यह कहा जाय कि आइन्दा उम्मीद की जाती है कि चिट्ठी हिन्दी में भेजेंगे और यहां से भी आइन्दा अंग्रेजी में पत्र न जायं। सिर्फ प्वांइट आउट करने से ही काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष---आप हर एक का जवाब देने की कोशिश न करें। नहीं तो आपका भाषण, टोकने वालों का ही जवाब देने का भाषण हो जायगा।

श्री सीताराम शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सिर्फ आकर्षित कर देना ही आवश्यक नहीं है, उसको किस तरह से कार्यान्वित किया जा सकता है, उसका बिचार करना होगा कि बात क्या है। सदन ने पास कर दिया था कि कार्यवाही हिन्दी में होगी, पंत जी ने कहा कि अक्तूबर के महीने से सारी कार्यवाही हिन्दी में होगी। इसके बावजूद भी हिन्दी में नहीं हो रही है। तो हमको सोचना होगा कि क्यों ऐसा है और उसको दूर किया जाय। इस की वजह यह है कि हमारे अफ़सर साहबान दिल से तो मानते हैं कि कार्यवाही हिन्दी में होनी चाहिये, लेकिन आदत अंग्रेजी की पड़ गयी है। जितनी जल्दी वे अंग्रेजी लिख सकते हैं उतनी जल्दी हिन्दी नहीं। अपने विचारों को .....

श्री अध्यक्ष---आप विधेयक के वसूलों पर आ जांय।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं अर्ज कर रहा हूं कि कैसे हिन्दी हो। अंग्रेजों के जमाने में नौकरी उसको मिलती थी जो अंग्रेजी बोलता था, लिखता था और चाहे काबलियत न हो...

श्री अध्यक्ष---आप समझते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जो रेलेवेंसी की कीमत थी, वह इस वक्त नहीं होनी चाहिये? आप जरा असंगत न होइये।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं अर्ज करता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी पढ़ना जरूरी था। ...

श्री अध्यक्ष---इसका विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल---अध्यक्ष महोदय है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो वहां के चेयरमैन साहब हों, वह हिन्दी जाने .....

श्री अध्यक्ष---आप तो अंग्रेजों का इतिहास बतला रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---अंग्रेजी तो अंग्रेजों की ही बदौलत आयी ...

श्री अध्यक्ष---आप यह बातें बच्चों को नहीं बता रहे हैं। आप को एक सदस्य के नाते भाषण देना है। आप बच्चों को समझाने की तरह सदस्यों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ऐसे भाषण की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि ये बातें रेलेवेंट नहीं होंगी। आप अपना प्वांइट रखिये।

श्री सीताराम शुक्ल---अब इधर अध्यक्ष महोदय, घड़ी रोक रही है, अभी तक आप रोक रहे थे।

श्री अध्यक्ष---अभी आप बोलेंगे ?

श्री सीताराम शुक्ल---जी हां ।

श्री अध्यक्ष---तो अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा ।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री सीताराम शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जब मैं बोलने के लिये खड़ा था तो उस वक्त आदरणीय अध्यक्ष महोदय उपस्थित थे। मैंने अर्ज किया था कि अगर मैं टु दी प्वाइन्ट बोलता जाऊं तो थोड़ा सा वक्त मुझे और मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आपके लिये तो प्रेस रहता ही है। आप पांच मिनट और बोल लीजिये ।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं यह जानना चाहता था कि कितने मिनट मैं बोल चुका और कितने मिनट मेरे और हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—बोलने को तो आप दस मिनट बोल चुके । लेकिन विशेषतौर पर मैं पांच मिनट आपको और दे देता हूं ।

श्री सीताराम शुक्ल—पांच मिनट तो कम होगा। लेकिन आपका हुक्म मानना जरूरी है ? पांच मिनट और मिल जाते तो आपकी बड़ी कृपा होती क्योंकि हाउस ने तो टाइम तय नहीं किया। स्पीकर महोदय ने ही तय किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। हाउस की सम्मत्ति उसम जरूर होगी। वैसे स्पीकर को कोई समय बांधने का अधिकार नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल—तो आप चाहें तो इस पर फिर हाउस की राय ले लें ।

मैं अर्ज यह कर रहा था कि पहले उसको सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती थी जो कि अंग्रेजी अच्छी जानता था, बोलता था, लिखता था और वह अब भी चला आ रहा है क्योंकि सरकारी नौकरी के लिये जो इम्तहान होता है उसमें अंग्रेजी की भी परीक्षा होती है। लोग समझते हैं कि हिन्दी तो मातृभाषा है, वह तो आप से आप आ जायगी, अंग्रेजी विदेशी भाषा है जल्दी नहीं आयेगी। लिहाजा जो इस पर दिया जाता है कि अंग्रेजी हम अच्छी तरह से पढ़ लें जिसमें वहां कहीं पिछड़ न जायं। नतीजा यह हो रहा है कि आपने देखा होगा, जब दो बंगाली इकट्ठा मिल जाते हैं तो बंगला में बात करते हैं, गुजराती अगर आये तो गुजराती में बोलने लगते हैं, मराठी, मराठी में अपनी बात करते हैं और हम लोग यू० पी० वाले अंग्रेजी में बात करते हैं और अगर कोई झगड़ा हुआ तो जरूर वह अंग्रेजी में होता है। छोटे-छोटे बच्चों से भी अंग्रेजी में बोलते हैं जिससे उनका प्रोनन्शियेशन ठीक हो। नतीजा यह हुआ कि हम अपनी मातृभाषा हिन्दी ही भूल गये। अब सरकारी अफसर चाहते तो हैं मगर वह खत हिन्दी में नहीं लिख सकते। लिहाजा हिन्दी लिखते हुए कांपते हैं, बहुत आसानी से अंग्रेजी में काम करते हैं। इसलिये अगर हम चाहते हैं कि यहां की भाषा हिन्दी हो कुछ करना होगा। अखबार पढ़ने वाले जानते हैं कि हो क्या रहा है। कई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की भाषा हिन्दी नहीं हो सकी। एक म्युनिसिपल बोर्ड ने अभी-अभी हिन्दी से बदल कर उर्दू कर दी। मेरी गुजारिश है कि आदरणीय मंत्री जी इस पर ऐक्शन लें कि अब तक हिन्दी में कार्यवाही होती थी, फिर उर्दू क्यों कर दी। अगर हिन्दी करना चाहते हैं तो जरूरी है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के स्कूलों में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूलों में अंग्रेजी न पढ़ाई जाय। हिन्दी पहले सीख लें, बाद में चाहे अंग्रेजी सीखें, चाहे अरबी। देश को बड़े-बड़े विद्वानों की जरूरत है। लिहाजा आरम्भ में वह जबान न लादी जाय। होता यह है कि न वह हिन्दी जानते हैं और न अंग्रेजी जानते हैं। किसी ने पढ़ा और पढ़ना छोड़ दिया तो पढ़ना बेकार

गया। न हिन्दी सीख सके, न अंग्रेजी पढ़ सके। मेरी गुजारिश है कि इस पर ध्यान दिया जाय । अगर संभव हो तो शुरू से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूलों में अंग्रेजी न पढ़ायी जाय और इसमें शर्त लगा दी जाय कि वही चेयरमैन होंगे जिनको अच्छी तरह से हिन्दी आती होगी।

श्री राजनारायण—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों कह रहे हैं या केवल हिन्दी ही जरूरी है ।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं तो हिन्दी कह रहा हूं। वैसे मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं। जो लड़के तेज होंगे वे अंग्रेजी सीखेंगे ही। कई जबानें सीखेंगे। मेरी प्रार्थना यह है कि अंग्रेजी सीखें तो अच्छी बात है लेकिन कम से कम हिन्दी के पंडित हो जायं। यह होगा तभी परीक्षा होने लगे तो हिन्दी के पर्चे को जरा सख्ती से देखा जाय। अगर बाबू साहब को नौकरी मिल गयी हो तो देख लिया जाय कि हिन्दी आती है या नहीं और यह हिदायत कर दी जाय कि हिन्दी अगर नहीं सीखेंगे तो सरकारी नौकरी नहीं पायेंगे। सिर्फ कायदे कानून से काम नहीं चलेगा जरूरत है कि इसका प्रचार भी किया जाय कि हिन्दी पढ़ने से क्या लाभ होगा। यह प्रचार किया जाय कि हिन्दी के पढ़ने से आल इंडिया की नौकरी मिल सकती है। कई जिलों में नशाबन्दी की जा चुकी है लेकिन साथ ही साथ उसके खिलाफ प्रचार भी होता है। इसी तरह से यह प्रचार करना आवश्यक है कि हिन्दी की क्यों जरूरत है और अंग्रेजी में कारबार करने से आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दिक्कत होगी। लोगों में गलतफहमी है कि अंग्रेजी अच्छी नहीं हुई तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यह प्रचार कर दें कि हिन्दी का विद्वान होने पर बड़ी से बड़ी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि यू० पी० की जबान हिन्दी रहेगी, हाई कोर्ट का कारबार हिन्दी में होगा।

एक बात कह कर समाप्त करता हूं कि आइंदा ओरिजनल ऐक्ट अगर अंग्रेजी में है तो पहले उसका हिन्दी में अनुवाद कर लिया जाय तब उसका संशोधन लाइये। यहां तो यह तय हो गया कि हिन्दी यहां की जबान हो गयी और काम अंग्रेजी में करते जायं। 'खुद मियां फजीहत, दीगरे नसीहत।' सरकार खुद कार्यवाही अंग्रेजी में करती है ।

त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि वे अपना वक्त देंगे। अगर मेम्बरान अपना वक्त देने को तैयार हैं तो बहुत काम ऐक्टों में हिन्दी के अनुवाद का है, उसे उनसे कराया जा सकता है। अगर मंत्री जी को फुर्सत नहीं है और वे खुद आफर करत हैं अपने वक्त को तो उसको यूटिलाइज कीजिये। उनसे वक्त लिया जाय और अगर मुमकिन है कि इस गरमी में चुनाव न हो सके तो जाड़े में चुनाव किया जाय।

अब मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल से बड़े गौर से इस बिल की बहस को सुनता रहा हूं। इस बिल पर हाउस के इधर उधर बैठने वालों की डिवाइडेड ओपीनियंस हैं और उनका यह कहना सही है। आपने बिल को जिस तरीके से सोचना चाहिये, सोचा नहीं है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट यों तो एक बड़ी जखीम किताब है, लगभग ३०० दफात हैं और थोड़ी सी दफात में तरमीमात की गयी हैं। इन तरमीमात का जो मकसद है उसको एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स में बिलवजाहत हमारे सामने बहुत सफाई के साथ रखा है। गवर्नमेंट का जो मकसद है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में तरमीम करना नहीं है, बल्कि जल्दी से जल्दी चुनाव करना है—बड़ी अच्छी बात है। काश कि जिस काम को हम बहुत दिनों से बराबर टालते चले आ रहे हैं, यह एलेक्शन का काम मई के महीने में हो जाय, तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिये बहुत अच्छी बात होगी। आज जिस प्रजातंत्र और डैमाक्रैसी के लिये हम जिन्दा हैं उसके लिये जरूरी है कि किसी भी एलेक्शन को ज्यादा दिनों तक टाला न जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[शिवराजबहादुर]

इस अमेंडमेंट को मैंने पढ़ा है इसमें ३–४ ऐसी चीजें हैं जिनकी मैं सराहना किये बगैर नहीं रह सकता। पहली चीज तो यह है कि टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया को इसमें से निकाला गया है। यह मैं समझता हूं कि अच्छा कदम है। इसका निकालना जरूरी था। इसका असर उनपर भी पड़ता। हम यह बहुत दिनों से कहते रहे हैं कि ऊपर से मेम्बर्स को लादा न जाय, कोआप्शन न हो, नामिनेशंस न हों। इसमें कोआप्शन को नजरअन्दाज किया गया है, इसका मैं खैर मक़दम करता हूं।

दूसरी चीज यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन का एलेक्शन हम कहते थे कि डायरेक्ट होना चाहिये। इसमें जो तरमीम की गयी है वह यह है कि वह इनडायरेक्ट तरीके से होना चाहिये। सिद्धांततः हम डायरेक्ट एलेक्शन को ज्यादा पसन्द करते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह बेहतर है कि चेयरमैन का एलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से हो जाय। इन बातों पर मैं गवर्नमेंट से इत्तफाक करता हूं।

उसके साथ-साथ अबतक जिन चीजों से मुझे इनहराफ है, मैं अर्ज करूं। मुझे ही इनहराफ नहीं है, बल्कि इसमें गवर्नमेंट को भी रहा है। दिक्कत यह है कि जो चीजें कांग्रेस के वक्तों में पहले पास कीं, आज उनको फरामोश किये हुये हैं, आज उनको बइनजर भूले हुए हैं। जो आज आपके अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में खेर कमटी बैठी थी, उसमें आप ने कहा था कि हम एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का निर्माण करेंगे और उसमें तफसील के साथ बताया है कि हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरियाज और टाउन एरियाज हैं इनके अख्तियारात ज्यादा वसीअ होने चाहिये। इसपर एक मुत्तफिका राय थी कि ऐसा होना चाहिये और मैं उसके कोटेशन भी आपके सामने पेश कर सकता हूं। लेकिन इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की १६४ से लेकर १७१ तक धारायें पढ़ जाइये, इन ८ दफाओं में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर और सरकार के जो अधिकार हैं इन पर कहीं भी कोई तब्दीली और तरमीम नहीं की गयी है। आज भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहे तो हर काम में मदाखलत कर सकते हैं, कमिश्नर्स कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और कमिश्नर्स के पास तो बहुत सी ऐक्टिविटीज ऐसी हैं कि वह इस तरफ इतना वक्त भी नही दे सकते हैं और न वह ध्यान ही दे पाते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुये, खेर कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसको मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं:—

"We feel that the present system of control over the local bodies is defective and should be entirely changed. It is not necessary for us to discuss the defects in the present system, and it will be, in our opinion, sufficient to say that since the principle of popular control over all institutions is to be extended, all control by local officials over these institutions should disappear."

उनका कहना यह है कि हम अहसास करते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में गवर्नमेंट का ज्यादा हाथ है और गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल रहता है इसलिये हम चाहते हैं कि इसके बजाय हर दिल अजीज कंट्रोल लाया जाय और इसको निकाला जाय। मैं आपके जरिये जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोशिश की गयी है? जरा भी इसका इंतजाम किया गया है कि इस कंट्रोल को हटाया जाय? मैं, आपके जरिये गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस चीज को हम अंग्रेजी राज्य में बुरा समझते थे, आज उसको अच्छा क्यों समझते हैं। जिस चीज को आपने पहले बुरा कहा था, आज अपनी सरकार बनाने के बाद, आपने उन चीजों को फरोगुजाश्त कर दिया। वे चीजें आज आपके दिमाग में नहीं हैं।

आपने यह भी कहा था कि किसी भी हालत में, किसी बोर्ड का सुपरसेशन न हो, चाहे डिसोल्यूशन भले ही हो जाय। इसके बारे में भी मैं खेर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूं:—

"We are strongly against supersession of a District or Municipal Board being allowed under any circumstances but we have no objection to Government dissolving a Board when it persists in making default in the performance of its statutory duties, in exceeding or abusing its power or increasing deadlock provided warning has first been issued. In the interest of the Board as also of the general public we strongly think that a Board should not be dissolved more than once during its term."

इसमें भी उन्होंने कहा है कि हम सुपरसेशन के खिलाफ हैं और यह किसी भी हालत में न किया जाय और डिसोल्यूशन भी बहुत कम वक्त के लिये हो और उसके लिये एक मियाद मुकर्रर हो और उसके बाद चुनाव करा दिया जाय। लेकिन आपने कहीं भी इस तरह की तरमीम नहीं की। मैं इन तरमीमों पर ज्यादा जोर देना नहीं चाहता हूं। मेरा मकसद यह है कि आपको ज्यादा दिक्कत न हो क्योंकि आप तरमीम तो जब चाहे तब कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन न टालें क्योंकि यह जनता में है जान पैदा कर देगा। १९४८ के बाद अब तक आप कुछ नहीं कर सके हैं और इसको टालने के लिये आपके पास कोई अच्छी दलील भी नहीं है, जिससे आप कह सकें कि हम अभी चुनाव नहीं कर सकते। एक दलील आपकी तरफ से दी जाती है कि आप चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की रूपरेखा ही बदल दी जाय। १९४८ से लेकर आज तक आप उसकी रूपरेखा नहीं बना पाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस प्वाइंट पर काफी बहस हो चुकी है इसलिये आप रेफ़रेंस भले ही दे दें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

श्री शिवराजबहादुर—जी हां, इस पर कुछ कहने से वक्त ही बरबाद होगा। म समझता हूं कि सरकार की तरफ से कोई कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं आयी है। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन को टालना जनता के हित के खिलाफ है वरना अगर आपने टाला तो बहुत सी दिक्कतें पैदा हो जायंगी क्योंकि आज देखा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चेयरमैन या मेम्बर्स हैं वह बोर्ड की जीप वगैरह चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं मानों उनकी पर्सनल प्रापर्टी हो। हमें इसमें बड़ी शर्म लगती है। इसी तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके जरिये से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का इलेक्शन टालना गवर्नमेंट के लिये उचित नहीं है और पब्लिक के हित में भी ज्यादा दिक्कततलब है। इसके साथ-साथ इसमें जो तरीका असेम्बली के एलेक्शन का है वह अपनाया गया है। इसका मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ जो मोटी-मोटी बातें मैंने आपके सामने अर्ज कीं, जिन से हमारे सिद्धांत पर असर पड़ता है, उनको हमें जरूर टच कर लेना है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री खूब सिंह (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को सपोर्ट करने क लिये खड़ा हुआ हूं। इसका कारण यह है कि इस बिल के जरिये गवर्नमेंट ने एक ऐसी सिचुएशन को टालने की कोशिश की है जिसको इस देश की जनता ने पसन्द नहीं किया और वह यह थी कि गवर्नमेंट का यह खयाल था कि जिलों में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बना कर उनको बहुत बड़े अख्तियारात दे कर जिलों के मफाद के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को खत्म कर दें। जाहिर है कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स का काफी बड़ा बिल होगा और उस पर काफ़ी विचार करना पड़ेगा जिसमें काफी वक्त की जरूरत भी होगी। अगर मौजूदा चेयरमैनों से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का इन्तजाम ले लिया जाता और बोर्ड्स को तोड़ दिया जाता और उनकी जगह पर बोर्डों का काम चलाने के लिये गवर्नमेंट कोई दूसरा इन्तजाम करती तो मेरे खयाल से यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खूबसिंह]

मुनासिब न होता। गवर्नमेंट ने एक इशारा किया था लोगों के सोचने के वास्ते कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कर दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। मेरा खयाल है कि उसका रिऐक्शन अच्छा नहीं हुआ। लिहाजा गवर्नमेंट ने यह सोचा कि जो मौजूदा चुने हुए प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के अन्दर हैं, उन्हीं के हाथ में यह काम उस वक्त तक रहना चाहिये जब तक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स न बनें और यह भी सोचा कि चूंकि पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जमाने से वक्त बहुत तब्दील हो गया है और उनको आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं है, लिहाजा थोड़ी सी तरमीम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् का चुनाव अजसरेनौ करा दिया जाय। जब इस बैकग्राउन्ड के साथ हम मौजूदा बिल को देखते हैं तो कोई वजह नहीं है कि इस हाउस का हर क्वार्टर उसको सपोर्ट न करे।

इस बिल में आखिर है क्या चीज? जैसा मेरे एक दोस्त ने बतलाया, यह तो चुनाव बिल है। थोड़ा चेयरमैन के चुनाव के सिस्टम को बदला और इसके साथ-साथ थोड़ी सी कांस्टीटुएंसीज नयी बनायीं। वे कैसे बनेंगी? कैसे चुनाव होगा? एलेक्टोरल रोल कैसे तैयार होंगे? इसके अलावा दो-चार छोटी मोटी चीजें और भी हैं। इसी से जाहिर होता है कि गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है कि एक छोटे से बिल को कानून की शक्ल दे कर मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव करा लिया जाय और इस बीच में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के बिल को तैयार करा लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सिलसिले में जितनी तरमीमात आयी हैं, मैं उन सब की मुखालिफत करता हूं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की यूटिलिटी इस जमाने के वास्ते बिलकुल खत्म हो गयी है लिहाजा उसको बदलना है और जाहिर है कि उसके मुकाम पर एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना है जो उन सब कामों को अच्छी तरह से कर सके जिनको डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर करने की जरूरत पड़ती है। मेरा तजुर्बा यह है कि हर जिले के अन्दर जनता के चुने हुये आदमियों की निगरानी में जितने काम होते हैं वे अच्छे होते हैं, मुनासिब होते हैं और उनमें करप्शन नहीं होता। इसके बरखिलाफ गवर्नमेंट के अधिकारियों के मातहत और वे अधिकारी जो सूबे के हेडक्वार्टर, लखनऊ में बैठ कर दूर दराज फ़ासले पर जिलों में हुकूमत करते हैं, वे यहां बैठ कर उतना उम्दा काम नहीं कर सकते जितना कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठ कर जिले के आदमी कर सकते हैं। मेरा यह दावा है कि आज करप्शन को दूर करने के वास्ते गवर्नमेंट ने जो तदबीरें अख्तियार की हैं, उन सब में यह तदबीर सबसे एफेक्टिव और उम्दा होगी कि छोटे इंतजामी मामले, जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिलें बनेंगी उनके हाथ में दे दिये जायं। मिसाल के तौर पर एडजुडिकेशन का काम वह अच्छी तरह से चला सकती हैं और इरिगेशन का काम अगर उनको दे दिया जाय तो मेरा खयाल है कि जो करप्शन होता है वह बिलकुल नहीं रहेगा। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक मास्टर करप्शन नहीं करता और कोई बदउन्मानी नहीं करता, उसी तरह से ट्यूबवेल डिपार्टमेंट का एक आपरेटर और अमीन भी न कोई बदउन्मानी करेगा और न करप्शन, यह मेरा खयाल है। इन सब वजूहात से ही गवर्नमेंट ने यह सोचा है कि जितना प्लानिंग का काम है, जिसमें सड़क बनाने का काम भी शामिल है, जिसमें इरिगेशन के लिये साधन मुहैय्या करने की बात भी है और जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत जो काम है, वह भी है। यानी ला ऐंड आर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन के काम को छोड़ कर, बाकी सारे छोटे-मोटे इंतजामी मामले इस कौंसिल के हाथ में दे दिये जायं। अगर ऐसा हो गया तो मेरा खयाल है कि थोड़े पैसे में अच्छे से अच्छा इन्तजाम और उसके अच्छे से अच्छे नतायज हम डिस्ट्रिक्ट कौंसिलों के द्वारा हासिल कर सकते हैं।

इसी उद्देश्य को लेकर एक दूसरा कानून सरकार बनाने जा रही है और उसके लिये ही यह वक्त लिया जा रहा है और मीन व्हाइल यह भी मुनासिब न होगा कि चुनाव न कराये जायं। चुनाव कराने की बात जो सरकार ने सोची है वह मुनासिब है। इस स्टेज पर जो

बिल लाया गया है, निहायत मुनासिब है और इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की या इस में कोई तरमीम करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करने का मकसद यह होगा कि जिस मकसद को हम जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं, उसके हासिल करने में देर होती जाय। मेरा खयाल है कि हाउस इस पूरे बिल को पूरी तरह सपोर्ट करेगा ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स संशोधन विधेयक पर जो माननीय सदस्यों ने और मंत्री जी ने अपने-अपने विचार इस सदन में प्रकट किये, मैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुनता रहा। मैं मोटेतौर पर, जहांतक समझ पाया कि यह बिल चार, पांच साल इसलिये पड़ा रहा कि इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में एक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता थी और यह ठीक है कि यह बात सरकार के हक में थी। पिछली सरकार इस काम को नहीं कर पायी। सन् ४८ के बाद चुनाव ५२ में होने चाहिये थे, उसकी जगह आज ५८ में चुनाव होने की बात सामने आयी है। इस अवधि में जो डिफेक्ट उसमें मालूम हुये हैं उनके लिये यह बिल लाया गया है। इस बिल को जो हमारे सामने है, मैं जहां तक समझ सका हूं, उसमें एक तो यह व्यवस्था है कि प्रेसीडेंट का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। दूसरे बालिग मताधिकार की व्यवस्था है और तीसरे हरिजनों के लिये रिजर्वेशन होगा।

इसमें एक व्यवस्था और है कि चुनाव का संचालन बजाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के डाइरेक्टर आफ एलेक्शन के द्वारा होगा। अगर यही तरमीम उसमें करनी थी और इससे ही सारे डिफेक्ट दूर करने थे तो मैं समझता हूं कि यह एक दिन में ही, कभी भी, पहले आ सकता था। मैं तो समझता हूं कि जिस प्रकार के आमूल परिवर्तन की आवश्यकता थी और जो विधेयक लाया गया है, उसको देखने से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार ने खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो सका। यहां मैंने सुना कि २ वर्ष के बाद फिर चुनाव होंगे। इन २ वर्षों के बीच में कोई नया ढांचा तैयार होगा जो कि बड़ा क्रांतिकारी होगा। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि मुझे भी इसका अवसर मिला है और आज भी मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य हूं। जहां तक मुझे याद है सन् १९३६ में, जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव होने लगा तो यह कहा गया कि २ वर्ष के लिये यह चुनाव है। मैं भी समझता था कि २ वर्ष के लिये यह लड़ रहा हूं लेकिन वह सन् १९३६ से सन् १९४८ तक चला। दूसरी बार भी मुझे यह संभावना थी कि यह ४ वर्ष चक चलेगा, लेकिन उसमें ९ वर्ष बीत गये हैं। तो अब मैं क्या समझूं कि २ वर्ष के बाद यह जरूर ही होंगे। मैं तो कहूंगा कि अगर सरकार इस बात को चाहती कि इसमें आमूल परिवर्तन किया जाय और ठीक से सुधार हो जिससे काम चल सके तो बहुत समय उसके पास था, जिसमें जरूर यह आसानी से हो सकता था।

अब मैं यह समझता हूं कि सरकार की तरफ से, जैसा संकेत माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में दिया कि इधर विरोधीदल के बारबार मांग करने पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव होने जा रहा है और वह मई के महीने में तजवीज किया गया है। ठीक है, यह मई का महीना भी अनुचित नहीं है, लेकिन मुझे तो सन्देह है कि यह मई के महीने में हो पायगा या नहीं। मैं आपको बताऊं कि जो चुनाव मई के महीने में होने को है उसमें जितने परिवर्तन हुये हैं और जो होने को जा रहे हैं उनसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। महज यह तरीका जरूर हो जायगा कि शायद चुनाव हो सके, और वह २ वर्ष के बजाय १० वर्ष या १२ वर्ष चलें, लेकिन कुछ दिन जरूर चल जायेंगे।

अभी, जैसा कि विरोधी दल के नेता त्रिलोकीसिंह जी ने बताया कि दफा १९१ मौजूद है कि जिसमें इस सारी प्लानिंग की जरूरत नहीं थी। वह सारे बोर्ड को करने का अधिकार था। तो श्रीमन्, अब मैं यह समझ बैठा हूं कि यह चुनाव महज शरमाशरमी से करने का इरादा है। जो इसके अन्दर आमूल परिवर्तन करने का इरादा था, वह गायब हो गया है और अब केवल चुनाव करने का इरादा है। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि वह

[श्री बलदेवसिंह]

जो परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिये, चाहे सदन का समय बढ़ाया जाय और चाहे रात को बैठा जाय, लेकिन उस तरह का बिल तैयार किया जाय, जिससे देश का कल्याण हो और जनता का भला हो। इसी तरह से विरोधीदल के नेता ने अपनी तरफ से कहा है। इस तरह से इसको किया जाय जिससे हमारे बिखरे हुए काम ठीक हो सकें और वह १४ जगहों पर न चल सकें।

आज हमारे यहां बहुत गड़बड़ी है। एक ही गांव में भट्ठा लगता है, उस पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी टैक्स मांगता है और गांव सभा भी टैक्स मांगती है। अब वह बेचारा तमाम जगह घूमता फिरा। सैकड़ों रुपया खर्च करने के बाद वह यह साबित कर पाया कि उसका भट्ठा टाउन एरिया में है। तब जाकर उसको छुटकारा मिला। इसलिये मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आमूल परिवर्तन यदि करना चाहते हैं तो वह हो सकते हैं. और चुनाव भी हो सकता है। जैसा कि एक भाई ने अभी बतलाया और मैं भी उसको संभव समझता हूं कि अगर सरकार चाहे तो बहुत जल्द उसका मसविदा आ सकता है।

विरोधीदल की तरफ से कहा गया है कि आप इस तरह का बिल लायें, वह किसी तरह से देर नहीं लगायेंगे और उसको जल्दी पास करेंगे, कोई अड़चन नहीं लगायेंगे।

कहा गया कि इसमें टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के लोगों को भी मत देने का अधिकार होना चाहिये। यह बिल तो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के कार्यों के लिये है कि देहाती क्षेत्रों का कार्य कैसे होगा। इसलिये नोटीफाइड एरिया और टाउन एरियाओं का इसमें जोड़ना अनुचित होगा। मैं इसका विरोध करता हूं।

मणि जी ने कहा कि मास्टरों के लिये स्थान सुरक्षित रहने चाहिये। मैं अपने जिले की बतलाता हूं कि आज स्थान सुरक्षित न होने पर भी हमारे जिले के मास्टरगण ५० फीसदी तो कभी समय पर पहुंचते ही नहीं हैं। यदि मास्टरों से ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चलवाने हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर स्थान सुरक्षित न होते हुये भी उनके लिये कोई रोक नहीं है और वे चुनाव लड़ सकते हैं।

इस विधेयक में एक महान् दोष है, पहले भी था और अब अधिक है कि सरकार जब चाहे तब चुने हुये प्रतिनिधियों को मुअत्तल या बरखास्त कर दे, इसका मैं ज़ोरदार शब्दों में विरोध करता हूं और सदन से आशा करता हूं कि वह इसे कबूल नहीं करेगा।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस विधेयक की बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन इसके पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह सन् ५१-५२ में ड्राफ्ट किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश का नाम सब जगह United Provinces लिखा है और दूसरा सबूत यह भी है कि जब यह बिल ड्राफ्ट हुआ था, उस समय शैड्यूल्ड कास्ट आर्डर, १९५० का था, जो इसमें छपा है, जबकि १९५६ का आर्डर भी निकल चुका है। तो यह बिल लाल फीते में कहीं दबा हुआ पड़ा रहा और अब निकला है। हमारे माननीय सदस्य और अनेक पार्टियों के नेतागण छटपटा रहे थे कि किस तरह से जल्दी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पहुंचकर अपनी दांवबन्दी करें। तो उनकी तमन्ना अब पूरी होने जा रही है। इस विधेयक में डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारियों की या ऐसी दूसरी बातों का जिक्र नहीं है। इसमें महज एलेक्शन की बातें हैं। इसे नेताओं का बिल कहा जा सकता है, यद्यपि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इसमें नाम अवश्य है।

यह कहना उचित नहीं होगा कि सरकार इलेक्शन नहीं कराना चाहती है। इस विधेयक से साबित होता है कि वह तो सन् ५२ से ही चाहती थी। कभी-कभी हम चाहे बदनीयती से कोई कार्य न करें तो भी कुछ न कुछ हो ही जाता है। हमारे यहां एक कथा मशहूर है कि अष्टावक्र अपनी मां के गर्भ में १० वर्ष रहे थे यद्यपि उनकी मां नहीं चाहती थीं कि १० वर्ष तक बालक को गर्भ में धारण किये रहें। तो यह विधेयक भी इसी तरह पड़ा रहा, इसलिये इसमें कोई नई बात नहीं है। सरकार सैकड़ों इलेक्शन कराती है, म्युनिसिपैलिटी

में कराये गये। इसलिये संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गयी, बालिग़ मताधिकार शामिल किया गया, कोआप्शन ख़त्म किया गया और इसी प्रकार के सुधार किये गये। यह भी अच्छा ही है कि टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया इससे निकाल दिये गये हैं चूंकि वहां दोहरा टैक्स पड़ता था। कोआप्शन ख़त्म करने के कारण डिलिमिटेशन का सवाल पैदा हुआ, वह किया जा रहा है लेकिन उसका पूरा नक्शा नहीं बन सका है। डिलिमिटेशन की इस विधेयक में जो भी बातें रखी गयी ह, वे स्थायी नहीं हैं, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। उनकी अनिश्चितता मिटनी चाहिये।

इलेक्टोरल रोल के लिये भी यही रखा गया है कि जब चाहें संशोधन किया जा सकता है। असेम्बली का इलेक्टोरल रोल हर साल रिवाइज होता है और उस सम्बन्ध में जो भी नियम हैं, हमें उन्हीं को स्वीकार कर लेना चाहिये था। इस विधेयक में बड़े लम्बे-चौड़े और फ़र्क़ डालने वाले नियम नहीं होने चाहिये थे। कम से कम चुनाव के १ महीने पहले उनका अन्तिम रूप आ जाना चाहिये। इसमें स्पेशल रिवीज़न आफ इलेक्टोरल रोल की भी बात कही गयी है। यह बात कुछ सिद्धान्ततः समझ में नहीं आती, चूंकि चुनाव के पहले ही ये बातें पूरी हो जानी चाहिये।

एक विचित्र बात और देखने में आयी। इसमें कहा गया है कि २५ गज़ की दूरी पर चुनाव कैम्प्स होंगे जब कि हम लोगों के चुनाव कैम्प्स १०० गज़ पर रहते थे। लोकल बाडीज़ में मारपीट का खतरा ज्यादा है चूंकि वहां लोगों में अधिक फर्क होते हैं। इसलिये हम समझते हैं कि पुराना नियम १०० गज़ की दूरी का ठीक था। हर चुनाव में नियमों में अन्तर करना भी कोई अच्छा सिद्धांत नहीं है। इलक्टोरल रोल में निश्चितता होनी चाहिये और चुनाव होने के १ महीने पहले ही ये सब बातें स्पष्ट हो जानी चाहिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्टोरल रोल की तैयारी के सम्बन्ध में खर्च करने की मांग के लिये विधेयक में प्रावीज़न है, वह भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि हर साल एलेक्टोरल रोल बनता ही है, लोकल बाडीज़ के लिये एलक्टोरल रोल तैयार करने के लिये हर साल एक नया अफसर मुकर्रर करने की क्या जरूरत है। वह तो उसी एक अफसर स, जो हर साल असम्बली के एलक्टोरल रोल को दुरुस्त करता है, उसी से काम चल जायगा।

चुनाव के सम्बन्ध में एक और बात इसके अन्दर कही गयी है और वोट देने के सम्बन्ध में इस बात को बार-बार दोहराया गया ह कि फलां आदमी एक से अधिक कांस्टीटुएंसी में वोट नहीं दे सकता है। जब एक से अधिक कांस्टीटुएंसी में उसका नाम ही नहीं लिखा जा सकता है तो फिर उसके दोबारा वोट देने का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः इसके लिये इस बिल के अन्दर प्राविज़न करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक आदमी एक से अधिक स्थान पर वोट दे ही नहीं सकता है, इसलिये इस तरह के प्राविजन को रखना एक अनावश्यक सी बात प्रतीत होती है। चूंकि अब लाल झंडी दिखला दी गयी है इसलिये मैं अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि चुनाव का नशा असर कर रहा है क्योंकि यहां कोई झंडी नहीं दिखलायी गयी है, यह तो बत्ती ही है।

श्री मदनगोपाल वैद्य---चुनाव के सम्बन्ध में मुझे यह मालूम हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक मेम्बर वाला जो हल्का होगा, उस हल्के का चुनाव एक दिन में न होकर ३ दिनों में, एक एक दिन का अन्तर देकर कराया जायगा। हम समझते हैं कि असेम्बली का हल्का बहुत बड़ा रहता है, उतना बड़ा चुनाव एक दिन में एक क्षेत्र का हो सकता है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक मेम्बर का हल्का जो बहुत छोटा होगा, उसका चुनाव ३ दिनों में यानी एक-एक दिन का गैप देकर ६ दिनों में कराया जायगा। यह बात कुछ अव्यावहारिक सी है और इससे मेम्बर, शासन और स्थानीय अधिकारियों की परेशानी भी बहुत बढ़ जायगी। इसलिये हम समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक मेम्बर के क्षेत्र का चुनाव एक ही दिन में होना चाहिये।

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

इसके अलावा एक और बात की तरफ भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी जो म्युनिसिपैलिटीज का जनरल एलेक्शन हुआ था उसमें वोटिंग के समय मार्किंग सिस्टम को कार्यान्वित किया गया था। सन् ५२ और ५७ के आम एलेक्शन में हमने सिम्बल सिस्टम का इस्तेमाल किया था और जनता ने पूरी तरह से उसकी ट्रेनिंग हासिल कर ली थी, उसका बहुत काफी तजुर्बा हो गया था, लेकिन म्युनिसिपल एलेक्शन में उसके बजाय मार्किंग सिस्टम को अपनाया गया। इसकी शिकायत सरकार के पास आयी और एलेक्शन कमिश्नर की रिपोर्ट भी आयी कि बहुत से लोग ठीक से निशान नहीं लगा सके जिससे उनके वोट रद्द हो गये। जहां तक मार्किंग सिस्टम की बात है, उसको मैं अच्छा समझता हूं, लेकिन जहां तक व्यावहारिक अनुभव है, उससे तो यही मालूम होता है कि जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी में कभी कलम और पेन्सल नहीं पकड़ी, उनके लिये पुराना सिस्टम ही रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि निशान लगाने के तरीके से सिम्बल सिस्टम ही अच्छा है, क्योंकि सब लोग उसमें ट्रेंड हो चुके हैं, और उसीमें सब को ज्यादा सहूलियत है। अंत में सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि एक मेम्बर के क्षेत्र का चुनाव एक ही दिन में किया जाय और जो सिम्बल सिस्टम है उसी के जरिये चुनाव कराया जाय।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म सब स पहले तो आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक सदन के सामने रखा है, उसका विरोध करने के लिये और साथ ही उसमें जो संशोधन पेश किये गये हैं, उनका भी विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे अपने अलग कारण हैं जिनसे मैं उस विधेयक का और उसमें पेश किये जाने वाले संशोधनों, का भी विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट का प्रश्न है, यह सन् १९२२ में बनाया गया था जब कि अंग्रेजी शासन हमारे देश में था और हम स्वराज्य की मांग कर रहे थे और हमको बहकाने के लिये स्थानीय स्वराज्य के नाम पर, मांटेगू चेम्सफोर्ड स्कीम के नाम पर यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट बनाया गया था। आज जब कि हम पूर्ण स्वाधीन हुये दस वर्ष बीत चुके हैं, इस ऐक्ट का कायम रहना हमारे प्रान्त के लिये, हमारी स्वाधीनता के लिये कोई सम्मान की चीज नहीं है। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इतना लम्बा समय इस विधेयक के लाने में उन्होंने लिया है वहां शायद आगे वह जल्दी कर सकें। इस विधेयक को वापस लेकर आमूल परिवर्तन करते हुये, स्वाधीनता को ध्यान में रखते हुये, और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अब जनता को भुलावे में रखने की जरूरत नहीं है एक नये विधेयक को लावें। पुराने ऐक्ट को ही मूल मानकर हम एक संशोधन विधेयक द्वारा इस काम को करें, यह उचित नहीं है।

मैं एक और भी कारण समझता हूं जिसकी वजह से यह विधेयक विरोध के योग्य है। इस बिल में जो भी बातें रखी गयी हैं उनके सम्बन्ध में हम तो माननीय मंत्री जी से यह आशा करते थे कि इतने लम्बे समय के बाद वह सदन के सामने कोई अच्छे सुझाव लायेंगे। यों तो इससे पहले भी सन् १९३५ में चुनाव हुआ था और उस के बाद सन् १९४८ में चुनाव हो सके और एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में १३ वर्ष का समय लगा परन्तु उस समय देश में ऐसी परिस्थितियां थीं। सन् १९३५ के चुनाव के समय यहां अंग्रेजी शासन का बोलबाला था। सन् ३७ में यहां कांग्रेसी मंत्रिमंडल आया और उसके बाद पूर्ण स्वाधीनता की लड़ाई यहां छिड़ी जो सन् ४६-४७ में समाप्त हो गयी और अंग्रेजों को यह देश छोड़ना पड़ा। वह समय ऐसा था जब इस बात का औचित्य हो सकता था कि १३ वर्ष के बाद चुनाव हों, लेकिन अब, जब कि हम सन् ४७ में पूर्णरूपेण स्वाधीन हो चुके थे, तब सन् १९५२ में चुनाव न कराकर उनको सन् १९५८ में कराना और उसी सन् २२ के ऐक्ट के आधार पर थोड़ा सा उसी में परिवर्तन कर के कराना उचित नहीं है। हम माननीय मंत्री जी से इससे कुछ अधिक आशा करते थे लेकिन हमारी उन आशाओं पर इस बिल को देख कर कुछ वज्रपात सा हुआ।

मैं संशोधनों का विरोध इसलिये कर रहा हूं कि जो संशोधन आये हैं वह कुछ समय चाहते हैं, कोई ३ दिन का, कोई १५ दिन का, कोई एक मास का। मैं समझता हूं कि अब जैसा भी यह विधेयक हमारे सामने आया है और जिस नीति पर सरकार चुनाव कराना चाहती है हमें उसे स्वीकार ही कर लेना चाहिये। हमें उसमें विलम्ब करना उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिये मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं और साथ ही यदि मंत्री जी स्वीकार करें तो मैं उनसे एक निवेदन अवश्य करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें और बजाय मई के नवम्बर में या आगामी फरवरी में चुनाव करायें और इसको युग के अनुकूल बनाकर, इसमें आवश्यक सुधार लाकर एक नया विधेयक सदन के सामने लायें और उसके अनुसार चुनाव करायें। जिन सज्जनों ने अपने संशोधन रखे हैं उनसे भी मैं आशा करूंगा कि वह अपने संशोधन वापस ले लेंगे और मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वह भी इस विधेयक को वापस ले लें और जितना भी शीघ्र हो सके वह एक नया पूर्ण विधेयक सदन के सामने लाने का प्रयत्न करें। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि उनको नया विधेयक तैयार करने में अधिक परिश्रम की जरूरत न होगी। वैसे तो हमारे नेता विरोधी दल ने आज अपने आप को आफर किया है कि वह आठ दिन में एक ऐसा विधेयक तैयार कर के माननीय मंत्री जी की सेवा में पेश कर सकते हैं जिसमें आमूल परिवर्तन कर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव करा सकें। लेकिन आप उसे न भी मानें तो मैं आपके सामने उस कमेटी की कार्यवाही पेश करना चाहता हूं जो सन् १९३८ में बैठी थी और जो खेर कमेटी के नाम से मशहूर है। मुझे भी उस कमेटी का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस में बड़े विस्तार के साथ, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमारा देश स्वाधीन होने जा रहा है, हम स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम अंग्रेजों की गुलामी से जल्द मुक्त होने वाले हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का नक्शा उस कमेटी में खींचा था। उस कमेटी की रिपोर्ट को माननीय मंत्री जी अपनी सहायता के लिये ले सकते हैं और उससे बहुत शीघ्र एक ऐसा विधेयक तैयार कर सकते हैं जिसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव करा सकते हैं।

मैं इस विधेयक का विरोध एक कारण से और कर रहा हूं। वह यह है कि हम जिलों में देख रहे हैं कि जनता की मेहनत की कमाई का कितना अपव्यय हो रहा है। आज जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का काम है, उसी के लिये एक प्लानिंग कमेटी जिले में मौजूद है, उसी के लिये एक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी जिले में मौजूद है। तो एक काम के लिये डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट संगठन हैं और सरकार का वह व्यय जो जनता की भलाई के कामों में लगता वह आज इस तरीके पर तीन संस्थाओं के कायम रखने में व्यय हो रहा है। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर विचार करें और जल्दी से जल्दी इस बात का प्रयत्न करें और यह तिगुना व्यय न हो। तीनों जगहों का कार्य एक ही संस्था के अधीन हो जाय और वह संस्था वह हो जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित हो। उस पर जितना भी प्रादेशिक सरकार का अंकुश कम से कम हो सके वह होना चाहिये।

आज जो विधेयक हमारे सामने है उसमें यह स्थिति मौजूद है कि जब चाहे तब प्रान्तीय सरकार सुपरसीड या डिजाल्व कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि जो संस्थाएं जिलों के प्रतिनिधियों के द्वारा बनें उनको प्रान्त के अधिकारी अथवा प्रान्तीय सरकार सुपरसीड अथवा डिजाल्व कर सके। इस विधेयक में जो धारायें इस सम्बन्ध में बनायी गयी हैं, मैं चाहता हूं कि वह नहीं होनी चाहिये और आगे जो विधेयक आये जैसी मैंने अभी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि यह जो भिन्न भिन्न विधेयक हैं उनके अधीन जो भिन्न भिन्न संस्थाएं जिलों में कायम हैं वे सब एक ही केन्द्र में आ जायं। उन सब का संचालन एक ही शक्ति के द्वारा हो और उस पर प्रान्त का कम से कम हाथ हो। आज जो शक्ति केन्द्रित है प्रान्त में उसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और वह शक्ति जिला पंचायत के हाथ में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में अथवा जो भी नाम रखें उस के हाथ में जाना चाहिए। उस को पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह अपने जिले के स्थानीय सुभीते को ध्यान में रखते हुये जैसा उचित समझे अपना प्रबन्ध करे। मुझे लाल बत्ती दिखला दी गयी है इसलिये मैं ज्यादा न कह कर अन्त में

[श्री देवनारायण भारतीय]

फिर श्रीमन्, आप के द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले लें। जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन पेश किये हैं उनसे भी अत्यन्त नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन वापस ले लें। साथ ही, एक नया विधेयक जल्दी से जल्दी सरकार इस सदन में पेश करे जिसके द्वारा आमूल परिवर्तन हो जाय और समय के अनुसार हम एक ऐसा विधेयक बना सकें जिसका हर तरफ से स्वागत हो और प्रदेश का धन इस तरीके पर बरबाद न हो।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों को, जैसा मुझ से पहले बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, बहुत दिन हो गये और इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे ओवर ड्यू हैं, उनको टालना किसी तरह से उचित नहीं मालूम होता। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये आया हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय। इस बिल के सम्बन्ध में हम यह महसूस कर रहे हैं कि यह कोई आमूल परिवर्तन इस ऐक्ट में नहीं करता। यह महसूस करते करते हम यह भी जानते हैं कि इस बिल का उद्देश्य कोई आमूल परिवर्तन करने का नहीं है। यह केवल कुछ वैधानिक दिक्कतों को दूर करने के लिये, जिनके कारण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव नहीं हो पाया, हमारे सामने लाया जा रहा है। यह बात भी सत्य है कि इसी प्रकार का बिल यदि पास करना था तो आज से तीन चार साल पहले पास हो सकता था और कदाचित एक ही दिन में पास हो सकता था। तो हम यह आशा करें कि इसमें कोई नीति का परिवर्तन हो, कोई मौलिक परिवर्तन हो, यह निरर्थक है। इसका यह उद्देश्य ही नहीं है। परन्तु साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऐडमिनिस्ट्रेशन में जिले के स्तर पर नियोजन, शिक्षा, पब्लिक वर्क्स, जितने भी काम हैं, सब को देखते हुए हम यह महसूस करते रहे हैं कि इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

आज यह भी हमने देखा कि सरकार ने एक बार कोई घोषणा के रूप में नहीं, परन्तु प्रदेश को विश्वास दिलाया था कि आमूल परिवर्तन कर के एक विधेयक वह सदन के सामने लाने वाली है। कुछ दिक्कतें हो सकती हैं जिनकी वजह से वह विधेयक नहीं आया। परन्तु मैं आज भी देखता रहा हूं कि इस सदन में सरकारी दल के तथा विरोधी दल के सदस्य और कुछ भी कहें परन्तु अधिकतर इस राय के जरूर हैं कि यदि सम्भव हो तो किसी प्रकार वही विधेयक लाया जाय जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में आमूल परिवर्तन करे। केवल एक बात कही गयी है और वह समय की है कि कितना समय लगेगा। माननीय विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि वह एक हफ्ते में ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर के दे सकते हैं। उसका अर्थ मैं समझता हूं कोई रिजिड अर्थ नहीं है कि एक ही हफ्ते में सब कुछ हो। यदि हम वैसे बैठ जायं बनाने के लिये तो जिस चीज को हम तीन वर्ष में करते हैं उसको एक वर्ष में कर सकते हैं। मैं आप के द्वारा सरकार से और स्वशासन मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को सोचें कि जब विरोधी दल के और सभी दलों के वक्ताओं ने लगभग यही विचार व्यक्त किये हैं कि इस बिल को वापस ले लें और दूसरा बिल मौलिक परिवर्तन करते हुए, जिसके विषय में इस समय कुछ कहना निरर्थक है, वह लायें तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उसके ऊपर सोचें और ऐसा बिल लाने का प्रयत्न करें। समय का जहां तक सम्बन्ध है उस के बारे में सभी दलों के नेता बैठ कर तय कर सकते हैं। सरकार भी तेजी से लगे तो गलतफहमी न होगी। साथ ही वैसे ही सरकार को क्रिटिसाइज भी न किया जाय कि समय ज्यादा लगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने अब तक कहा है उस को दृष्टि में रखते हुये इस बिल पर और कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। दो, तीन बातें जो मुझे स्ट्राइक हुईं एक दम वह कह रहा हूं। इसमें बिल की परिधि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। मैं इस राय का हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय। अतः इसमें कुछ कहने को नहीं है, केवल दो तीन बातें हैं, उनको आपके सामने रखना चाहता हूं।

मैं भी इस राय का हूं कि जनता द्वारा चुने सदस्यों को तथा सरकार के किसी आर्डर से अलग करने की प्रथा उचित नहीं है। यह हमारे प्रजातंत्र के अधिकारों का कुछ न कुछ अपहरण अवश्य करता है। जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्य करने के लिये हमारे पास और रास्ते खुले हुये हैं उसी तरह से हम उनके विरुद्ध भी कार्य कर सकते हैं।

एक बात मुझे इसमें जगह-जगह पर यह दिखाई दी कि रूल्स के साथ-साथ "आर्डर" और बढ़ा दिया गया है। मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाया कि इसका क्या अर्थ था। जहां तक मैं समझ पाया हूं इसका एक यही अर्थ है कि रूल्स सदन के सामने लाने होते हैं और आर्डर्स को सदन के सामने लाना नहीं होता। यदि यही इसका अर्थ है, यदि मैं सही समझता हूं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि उस आर्डर शब्द को जगह जगह से निकाला जाय।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सिलसिले में बात करते-करते यह बात सामने आती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आर्थिक दशा बहुत खराब रहती है। यह हम सब जानते हैं और मैं समझता हूं कि इस सदन के काफी सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अनुभव है। उन्हें मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आर्थिक दशा खराब रहती है। उनके टैक्सेशन की मैक्सिमम लिमिट बढ़नी चाहिये, और उनको कुछ और भी अधिकार देने चाहिये। लेकिन उनकी चर्चा इसलिये मैं यहां नहीं कर रहा हूं कि एक आमूल परिवर्त्तन कर के बिल लाने का अनुरोध मैंने माननीय मन्त्री जी से किया है।

जिस तरह से इस बिल पर आज चर्चा हो रही थी उसमें यह कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि सरकार जो ग्रान्ट देती है वह यह देख कर देती है कि कौन से दल का बोर्ड बना हुआ है। इस सदन में सब कुछ कहने का अधिकार होता ह, परन्तु मैं नहीं समझ पाया और आज तक कोई ऐसी मिसाल मेरे सामने आयी भी नहीं। अगर आयेगी तो मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मैंने जो प्रार्थना अभी रखी है उसे आप के द्वारा मैं पुनः सदन के सामने रखता हूं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्तुत विधेयक है इस पर माननीय गोविन्दसिंह जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कितनी आशा के पश्चात, कितने दिनों की प्रतीक्षा के पश्चात्, आज यह संशोधन विधेयक माननीय स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा रखा गया है। बड़ी आशा थी, बड़ी उम्मीद थी जनता को, हम लोग भी सोच रहे थे कि आज इतने समय पश्चात् जो यह विधेयक माननीय मंत्री जी ला रहे हैं इसमें कुछ बहुत सी बातें होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वस्तुतः यह जो संशोधन लाया गया और यह जो चुनाव करने की बात माननीय मंत्री जी ने कही, उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव जल्दी करने के लिये विरोधी दल के लोग बड़े उत्सुक थे इसलिये हम इस बिल में आमूल परिवर्तन न करके इसमें संशोधन लाये हैं ताकि चुनाव जल्दी हो जायं। मान्यवर, यह जो बात हम लोगों के लिये माननीय मंत्री जी की ओर से कही गयी और एक ऐसा एहसान सा किया गया है इससे मैं सहमत नहीं हूं।

(इस समय ३ बज कर २६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री मलखानसिंह, पीठासीन हुए।)

अभी हमारे कांग्रेस बेंच से खड़े हुए माननीय वैद्य जी ने जो बात कही थी कि यह जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बहुत से लोगों की इच्छायें पूरी होंगी और जो ऐसी इच्छा रखते हैं कि उनसे उनको खुश किया जाय तो मैं जरूर उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। वस्तुतः जो यह पद्धति लायी गयी है इसमें माननीय मंत्री जी ने एक तीर से दो शिकार किये हैं। एक तो यह कि चूंकि इतने दिन तक बोर्ड के चुनाव टलते रहे जिसकी वजह से आज गांव गांव में सरकारी शासन की बड़ी आलोचना हो रही है। उस आलोचना को दूर करने के लिये और कुछ हम लोगों का मुंह बन्द करने के लिये एक यह विधेयक लाया गया है।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

दूसरी बात यह भी है जिस संगठन के जिस दल के, हमारे माननीय मंत्री जी हैं इतने लम्बे समय के बाद उसमें भी कुछ फूटन-सी पड़ रही है । चूंकि आम चुनाव हो चुके हैं और उनमें बहुत से उनके दल के लोग नाराज हो गये हैं, उनकी नाराजगी दूर करने के लिये सिवा कुर्सियां दिलाने के कोई चारा नहीं था अपने संगठन को मजबूत करने के लिये, इसलिये जल्दी से बोर्ड का चुनाव करा कर उन्हें खुश किया जाय, यही इस संशोधन विधेयक को लाने की मंशा है ।

मान्यवर, मेरी कोई इच्छा माननीय मंत्री महोदय पर कुठाराघात करने की नहीं है, इसलिये एक बात मुझे जरूर निवेदन करनी है और वह यह कि यह जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का जाल आज जिलों में बिछा हुआ है उनका बना रहना मंत्री महोदय ने इसीलिये जरूरी समझा ताकि उसके द्वारा उनकी सत्ता बनी रहे । वैसे अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि आज बहुत से काम जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स करते थे वे काम ग्राम पंचायतें, ग्राम समाज, प्लानिंग कमेटियां कर रही हैं । जो काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के हाथ में रह गये हैं वे पूरे नहीं होते । जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उनकी सड़कों पर चलने से ही ऐसा प्रतीत होता है कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है । बिना साइन बोर्ड के उसमें साइन बोर्ड लगा होता है ।

ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अंग्रेजों के जमाने में उनकी हुकूमत कायम रखने के लिये कायम किये गये थे । आज के युग में इनमें कुछ आमूल परिवर्तन होना चाहिये था और कुछ नयी बात होनी चाहिये थी और इनका विधान जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है उसे समूल नष्ट करके एक नयी चीज लानी चाहिये थी । मगर ऐसा नहीं हुआ । आज ११ साल के पश्चात्, एक युग बीतने को हुआ, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने यह संशोधन विधेयक आज रक्खा है जिसके लिये इतनी बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी । फिर जो इसमें संशोधन लाया गया है वह तो एक दिन में लाया जा सकता था । जब इसी प्रकार का संशोधन लाना था तो इसको तो माननीय मंत्री जी सन् ५२ में ही ला सकते थे, तो क्या वजह थी कि चुनाव इतने दिन टाले गय और इतनी अवधि तक ? जो लोग कुर्सी पर बैठे थे उन्हीं को कुर्सियों पर क्यों बैठे रहने दिया गया ।

चुनाव मई में होंगे । चुनाव और देर में हों तो भी कोई आपत्ति नहीं । लेकिन मौजूदा बोर्ड जो काम कर रहे हैं इन्हें डिजाल्व कर देना चाहिये था । अगर य इतन दिन और बने रहे तो अपनी मशीनरी को अगले चुनावों में काम में लायेंगे । होना यह चाहिये था कि वे उसका उपयोग न कर पाते इसकी व्यवस्था होनी चाहिये थी । इधर माननीय मंत्री जो संशोधन विधेयक ला रहे हैं और उधर जो दल डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में बैठा है, जो व्यक्ति शासन कर रहे हैं उनका एक प्लान बन रहा है कि किस प्रकार अगले चुनाव लड़े जायं और उसमें वे लोग या उनके साथी पुनः लौट कर आयें ।

एक बात यह भी गौरतलब है कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को, जिनको ४०–५० रुपये तनख्वाह मिलती है, जो कानून बना हुआ है उसमें चेयरमैन को यह अधिकार है कि वह, जहां चाहे ट्रान्सफर कर सकता है । ऐसे मास्टरों को जो हमारे लड़कों को शुरू में शिक्षा देते हैं, ट्रांसफर आज अध्यक्ष महोदय की मर्जी पर है, मेम्बर की मर्जी पर है, जहां चाहें उसका ट्रांसफर कर दें । जिले के इस बोर्डर का रहने वाला मास्टर केवल इसलिये कि ठीक प्रकार से उनकी इच्छा के अनुसार राजनीति में भाग नहीं लेता, उसको दूर ट्रांसफर कर दिया जाता है । इस विधेयक में कोई ऐसा लिमिटेशन, हदबन्दी अवश्य होनी चाहिये कि जहां का रहने वाला मास्टर हो उसी जगह में या उसके ४–६–१० मील के दायरे में ही उसका ट्रांसफर होना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं होता और दूसरी ओर जो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बैठता

है, काम करता है, अधिक तनख्वाह पाता है, उसके लिये कोई ऐसा कानून नहीं है कि उसका दूसरे जिले में ट्रांसफर हो। तो इसमें ऐसा संशोधन आना चाहिये था, परन्तु कोई ऐसी बात नहीं हुई।

मान्यवर, मैं देखता हूं कि कितना दुरुपयोग चुनाव में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मशीनरी का होता है। ऐसा मुझे जेनरल चुनाव में देखने को मिला और मैं समझता हूं हम सभी को इसका तजुर्बा होगा। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष की कार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का दौरा करने के लिये इधर उधर दौड़ती है, लेकिन वस्तुतः क्या कोई ठीक प्रकार से निरीक्षण करने के लिये दौड़ता है? वहां तो गुटबन्दियां होती हैं, जिससे उनकी राजनीतिक सफलता बनी रहे, इस प्रकार उसका उपयोग किया जाता है।

मान्यवर, आज जो वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात् यह संशोधन विधेयक लाया गया था तो इसमें कुछ और भी बातें और तब्दीलियां लायी जातीं कि जिससे यह जो कलंक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कानूनों के रूप में हमारे प्रजातंत्र के युग में लगा हुआ है, वह दूर होता, परन्तु ऐसी कोई चीज नहीं लायी गयी। यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जाल इस प्रकार से गांव-गांव में बिछा है कि प्रत्येक गांव उससे संबंधित है और सत्ताधारी दल जब चाहे उसकी मशीन को जिधर चाहे चलाये और घुमाये और अपना मनमाना काम ले सके। हम सभी विरोधी लोग इसका स्वागत करते अगर इस ऐक्ट के लाने के साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को डिजाल्व कर दिया जाता तो आगे आने वाला जो जिला बोर्डों का चुनाव है उसमें बोर्डों की मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हो पाता। होता यह है कि देख लिया कि कौन मास्टर, कौन व्यक्ति उस इलाके में असर रखता है और फिट हो सकता है। यदि नहीं हो सकता तो उसका दूर ट्रांसफर करो, यदि हो सकता है तो फिर सौदा करो कि वह मदद करे और फिर उसको उसी स्थान पर लौटाया जाय तथा इधर जनता को भी जो शिकायतें थीं बोर्ड के विरुद्ध, उनको पूरा किया जाय और पूरा करने के पश्चात् जो वोटर हैं उनको किसी प्रकार से अपने कब्जे में लिया जाय। मान्यवर, दो मिनट में मैं निवेदन कर दूंगा, कृपया मुझे दो मिनट का समय और दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता:—आपका समय हो चुका।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा:—श्रीमन्, मैं थोड़े में ही निवेदन करके अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। इसमें जो यह रखा गया है कि टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया में पहले जो वोटर भाग ले चुके हैं, जो व्यक्ति उस श्रेणी में आते हैं, वह वोट न दे सकेंगे, इसका मैं स्वागत करता हूं, ठीक है, परन्तु इसका नाम है "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड"। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रत्येक रहने वाले व्यक्ति को अधिकार रहना चाहिये था कि वह ठीक प्रकार से अपना मत प्रदान करता, नहीं तो इसका नाम ही बदल देना चाहिये था। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि शहरों का नाम ठीक है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका नाम तो बदल देना चाहिये था। इसमें कुछ ऐसे सुधार आने चाहिये थे, लेकिन वह तो नहीं आये, केवल लोगों को खुश करने के लिये यह विधेयक ला दिया कि चुनाव कर रहे हैं।

अधिक क्या कहूं। मान्यवर, इतना कहकर मैं कहूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये, जो माननीय गोविन्द सिंह जी का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बात को मान लें ताकि इस पर ठीक तरह से विचार हो सके।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स संशोधन विधेयक पर कल से विचार हो रहा है। उसके सम्बन्ध में यहां पर दो मत प्रकट किये गये हैं। एक तो यह कि १० वर्ष हो गये हैं इसलिये चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिये और इसको टालना या बिलम्ब करना हानिकारक होगा और हमें चुनाव की पूरी पूरी तैयारी

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

कर लेनी चाहिये। दूसरी ओर यह कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जिस तरह से काम करते आ रहे हैं, वही काम उनके पास आगे भी रहें। यह कहां तक ठीक है और जो हम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स बनाने जा रहे थे, उसी की तैयारी क्यों न करें।

अभी विरोधी दल के नेता ने भी इस बात पर जोर दिया कि चुनाव जल्दी हो जाने चाहिये। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव १९४८ में हुआ था और १९४८ के बाद मियाद बढ़ायी गयी। इस बीच में क्या क्या बातें हमारे प्रदेश में हुईं, इसको भी जरा देखा जाय। जो स्थिति १९४८ में थी, वही इस समय भी मौजूद है या इसमें कोई ऐसा परिवर्तन हो गया है जिससे हमें नई विचारधारा पर जाना होगा। जब १९४८ से लेकर अब तक की बातें देखते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि इस बीच में हमारे प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हुई। इनके बहुत से कार्य और अधिकार वही हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के होते हैं। इसके बाद हर जिले में नियोजन कमेटी भी हैं। अभी जैसा कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने हम लोगों का ध्यान दफा १९१ की ओर दिलाया था कि इसमें जो कार्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को करने के लिये दिये गये थे, वही नियोजन कमेटी को भी दिये गये हैं और जो बड़े-बड़े काम हैं, वह कर रही हैं। ऐसी सूरत में जब पंचायतों और नियोजन समिति की स्थापना हो गई है और तीसरे जिला बोर्डों के पास इतना धन नहीं है कि वह अपने कामों को पूरा कर सकें, हर तरफ धन के अभाव में हाय हाय मच रही है। तो वह अपने काम आगे तो क्या बढ़ा सकते हैं बल्कि वह उन्हीं कामों को पूरा नहीं कर पाते हैं।

कहा यह जाता है कि जनता की यह बड़ी भारी मांग है कि फिर से चुनाव कराये जायं। मैं समझता हूं कि यह चीज एक गलत तरीके पर रखी जाती है। यह हो सकता है कि विरोधी पार्टियों की यह ख्वाहिश हो कि नया चुनाव अगर हो जायगा तो उनके सदस्य जिला बोर्डों में आ जांयगे और इसलिये वे यह प्रोपेगैंडा करती हैं। लेकिन जनता चुनाव देर में होने से असंतुष्ट नहीं है, बल्कि वह इस बात से असंतुष्ट है कि उसके ऊपर तिगुना खर्च पड़ता है, जिला बोर्ड के शासन के कर्मचारियों का खर्च, जिला नियोजन कमेटियों के शासन के कर्मचारियों का खर्च और पंचायत के शासन का खर्च भी उसे देना पड़ता है। तीनों के अधिकारी गांवों में जाते हैं और अलग-अलग आदेश देते हैं। जनता इससे परेशान होती है और भ्रम में पड़ती है कि किसका आदेश उसे मानना चाहिये। तो परेशानी उसको है इन टैक्सों से, और काम अगर देखा जाय तो तीनों का यकसां है। अगर मौजूदा बोर्डों के पास धन का अभाव न होता और वे अच्छा कार्य करते होते तो जनता को कोई भी शिकायत न होती कि चुनाव देर में क्यों हो रहा है। लेकिन यह चीज कि चुनाव जल्द से जल्द हो जाय, मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अपना कर्तव्य धनाभाव के कारण पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वह एक मुर्दा संस्था हो गयी है। क्या हम इस चुनाव को जल्दी करा के और एक तमाशा करके, रोज लोगों का मजमा इकट्ठा करके, उस मुर्दे घोड़े में जान पैदा कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा, जैसा कि हमारे दो एक विरोधी दल के सदस्यों ने भी इशारा किया। मैं तो यही समझता हूं कि वह इस बात को पसन्द करते हैं कि चुनाव भले ही मई में न होकर अक्तूबर, नवम्बर में हों, लेकिन कोई आमूल परिवर्तन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की संस्था में होना चाहिये ताकि इनमें एक नयी जिन्दगी पैदा हो जाय, न कि कुछ लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिये मई में चुनाव कराये जायं। इससे जनता के धन का अपव्यय होगा और जो उम्मीदवार खड़े होंगे, उनका भी रुपया खर्च होगा और इस सबका नतीजा यह होगा कि जो संस्था आज है, वही कायम रहेगी।

तो क्या हम ऐसा चुनाव कराने जा रहे हैं जिससे कोई लाभ न हो? मैं कहता हूं कि एक मर्तबा अगर यह चुनाव हो गया तो जो चीज हम आगे लाना चाहते हैं वह बहुत दिनों के लिये टल जायगी।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय खत्म हो गया।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह पहले ही निवेदन कर दूं कि हमारे लिये कोई समय निश्चित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---आप के लिये १५ मिनट का समय है।

श्री राजनारायण---जिन्होंने प्रस्ताव मूव किया था, उन्होंने भी कह दिया था कि आप के लिये समय की पाबन्दी नहीं है और अध्यक्ष महोदय ने भी कह दिया था। अगर आप १५ मिनट की लिमिट रखेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा।

श्री अधिष्ठाता---आप के लिये १५ मिनट ही हैं।

श्री राजनारायण---तो मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इतने मौलिक प्रश्न हमारे उपस्थित हैं कि जिनके उत्तर देने के लिये मैं किसी समय की लिमिट में बंध कर नहीं कह पाऊंगा। हो सकता है कि आधा घंटा लग जाय, हो सकता है घंटा भर लगे और हो सकता है कि डेढ़ घंटा लग जाय।

श्री अधिष्ठाता---मैं २५ मिनट दे दूंगा, इस से ज्यादा नहीं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आप से पुनः निवेदन करता हूं कि किसी समय में आप मुझे न बांधिये। मैं इस निश्चित मत का हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव अविलम्ब तो हो ही, मगर उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव भी अविलंब हो और मैं आप को बताऊं, कुछ नादान लोग हंसेंगे मेरी इस मांग पर, मैंने अपना पूरा केस बना कर पार्लियामेंट के लिये रखा है और जब उसका अधिवेशन शुरू होगा तो हो सकता है कि हमारी यह मांग हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार हर नुक्तेनजर से [×] सिद्ध हो चुकी है और उसने न्याय, कानून और संविधान की इतनी ज्यादा हत्या कर डाली है कि इस सरकार को अब रहने का कोई हक नहीं है ....

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि इस बात से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप विषय पर ही बोलें तो अच्छा है।

श्री राजनारायण---यह बिलकुल विषय के अनुसार ही है, क्योंकि मैं जिस सरकार को समझता हूं कि उस ने हर प्रकार से न्याय की अवहेलना की है और जिसके शासन काल में हर प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, वह सरकार इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव न्याय के साथ कैसे करा सकती है? मैं इस बात को कह रहा था।

अब आप इसको देखें कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव पिछले १० सालों तक नहीं हुआ तो इसमें हमारा क्या कसूर है। यहां इस समय माननीय त्रिलोकी सिंह जी नहीं हैं। मुझे जहांतक स्मरण है २६ नवम्बर को यहां के मुख्य मंत्री माननीय संपूर्णानन्द ने अपने निवास स्थान पर विरोधी दलों की एक बैठक बुलायी थी। हमें वह गौरव प्राप्त है कि हम उस विरोधी दल के सदस्य हैं कि जो वास्तव में अपने कार्यक्रम और सिद्धांत में सरकार का विरोधी रहा है, केवल नाम में नहीं। हम उसमें नहीं गये। यहां सभी सदस्यों ने कहा और मुख्य मंत्री ने भी कहा कि तीन महीने का समय बढ़ा दिया गया। मार्च में चुनाव होंगे। क्यों न यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अविलम्ब भंग कर दिये जायं और हमारे लीडर रामस्वरूप वर्मा जी ने २६ नवम्बर की मीटिंग के लिये लिख कर भेज दिया था कि यह मुर्दा लाश जिससे दुर्गंध निकल रही है, इसको अब आप जनता के कंधों पर न रखिये। एक सेकिंड और एक मिनट की देर किये बिना इसको भंग किया जाय। मैं आज भी मांग करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंग किये जायं और आज ही किये जायं तो अच्छा है। एक सेकिंड और मिनट के लिये भी इनको आगे न चलाया जाय।

नोट---[×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

[श्री राजनारायण]

आज कांग्रेस सरकार चाहती है कि सन् १९४८ के चुने हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जिनके शरीर से दुर्गंध निकल रही है, इस कौंसिल के चुनाव में उनके मतों को ले कर अपने उम्मीदवारों को भेजें और अगर यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भंग हो जायं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के वे लोग, जो अपने मत से कौंसिल में कांग्रेस पार्टी को जिताने वाले हों, वह नहीं होंगे। तो उस पाप से जनता बच जाय इसलिये मैं आज माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इसमें उनका निजी दोष नहीं है। मैं तो उनसे बराबर यही कहा करता हूं कि [× × ×] अगर वह फंस गये तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उनका अकेले दोष नहीं है। इसीलिये मैं सरकार शब्द का प्रयोग करता हूं। यह सरकार यह बताये कि जब उस समय चुनाव होने वाला था और हमारी ओर से यह कहा गया कि लोकल अथारिटीज के जरिये से चुनाव कौंसिल का न कराया जाय तो सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया और एलेक्शन कमीशन का भी संकेत हुआ कि यह चुनाव बाद में होगा और मार्च के महीने में हो जायगा, नये लोग आयेंगे और वह कौंसिल के नये उम्मीदवारों को चुनेंगे। सरकार का वह आश्वासन आज कहां रह गया? क्या सरकार की इसके लिये जितनी भर्त्सना की जाय वह बहुत होगी? मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक आया है यह चूंचूं का मुरब्बा है। इसमें है क्या, यह हमको बताया जाय।

मैं तो त्रिलोकीसिंह जी का तर्क सुनकर आश्चर्य में रह गया। मैंने उस समय कहा था कि त्रिलोकीसिंह जी को सुनकर मुझे बोलने का और समय मिलना चाहिये। डेमोक्रेसी के क्या मायने हैं। जनतन्त्र और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के क्या अर्थ हैं? उन्होंने यहां दफा १९१ को पढ़ दिया और कह दिया कि इसमें सब कुछ है उसमें कहां है कि पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में हो? यह मैं जरा उनसे जानना चाहता हूं। १९१ के अन्दर यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्डर पुलिस आ जाय। आज जिलों में एस० एस० पी० डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और मंत्री यह तीनों मिलकर खुराफात बरपा कर रहे हैं, जनतन्त्र की हत्या हो रही है। पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत आना चाहिये, यह इसमें कहीं नहीं लिखा है जो माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने पढ़ा है। इसमें अगर कहीं पर कुछ लिखा हुआ है तो यह लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अस्पताल बनाये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सड़क बनाये और तब वह उसकी मरम्मत करे और उसकी हिफाजत करे। मगर यह कहां लिखा हुआ है कि जिलों के अन्दर जो विकास का कार्य है, जिले के स्तर पर, वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कराया जाय? यह इसमें नहीं लिखा हुआ है। मैंने इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजने का संशोधन देखा था। उस संशोधन को श्री पद्माकरलाल जी श्रीवास्तव ने दिया था जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। उन्होंने परिधि बढ़ाने की बात भी कही थी। मुझे तो त्रिलोकीसिंह जी को सुनकर आश्चर्य हुआ जब उन्होंने यह कह दिया कि हमारे सदस्य बिना पढ़े लिखे ही संशोधन रख दिया करते हैं, उनको यह समझाना चाहिये था।

मैं मानता हूं कि यह निकम्मा विधेयक है, लेकिन यदि यह सेलेक्ट कमेटी में जाय और उसकी परिधि को बढ़ाया जाय और उसमें इन बातों को लिया जाय तो मैं श्री त्रिलोकीसिंह जी से इस बात में सहमत हूं, जो उन्होंने कहा कि अगर दिमाग साफ हो तो, दो तीन दिन और एक हफ्ते के अन्दर बढ़िया से बढ़िया विधेयक बन सकता है। मैं उनकी इस बात के लिये तारीफ करता हूं कि उन्होंने अपनी सेवा सरकार को अर्पित की कि अगर सरकार चाहती है तो उनकी सेवा भी अर्पित है, जिसमें ७ दिन के अन्दर विधेयक तैयार हो कर आ जाय। मैं अपनी सेवा भी माननीय त्रिलोकी सिंह जी को अर्पित करता हूं कि अगर व तैयार हों और सरकार को इस बात के लिये राजी करें कि वह विधेयक की परिधि भी बढ़ा देगी तो मैं भी पुलिस कंट्रोल और विकास की जितनी योजनाएं हैं उन सब को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में लाने के लिये एक सेकेंड में यहीं पर लिखकर

नोट–[× × ×] अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

दे दूंगा। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है, सवाल यहां पर विचारणीय यह है जो कल सरकार की ओर से बात साफ हो चुकी है। दो मुंह से बात नहीं होनी चाहिये। कल ही सरकार की ओर से हमारे पास भी एक सन्देशा आया था कि जो ३दिन के लिये सेलेक्ट कमेटी में इस विधेयक को भेजने की बात रखी गई है, अगर आप परिधि बढ़ाने की बात को निकाल दें तो सरकार इसको मान लेगी। मैंने कहा कि यह हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम कहें कि वे मान लें। सरकार का फर्ज है कि जब हुकूमत उसके हाथ में है तो जो सरकार ने समय निश्चित किया है, वह उस निश्चित तिथि पर काम करे। अगर सरकार ठीक समय पर काम नहीं करती है तो ३ दिन के अन्दर विधयक को पास कराने की कोई हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि चुनाव मई में न होकर कल ही हो जाय, लेकिन मैं आपके सामने कहता हूं कि यह सरकार मई में चुनाव नहीं करायेगी। हम तो चाहते हैं कि आज ही चुनाव हो जाय। हमारे लिये मई का क्या सवाल है, कोई ठेकेदारी तो है नहीं, कोई महंती तो स्थापित नहीं करनी है कि अगर चुनाव में हार गये तो हमारी ठेकेदारी बिगड़ जायगी। हम तो चाहते हैं कि जनतांत्रिक प्रणाली और पद्धति का विकास हो, हम चाहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, हम चाहते हैं कि नये रक्त का संचार हो, हम तो चाहते हैं कि मई के बजाय जल्दी से जल्दी चुनाव खत्म हों। हमारे लिये मई-मार्च और अप्रैल का कोई सवाल नहीं है मगर श्रीमन, जब मैं इस बात को कहता हूं तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ज्यादा इधर उधर की बातें ही कह गये और शायद इनके दिमाग में कोई नक्शा नहीं है। बहुत से लोग यह सोचते होंगे कि मैं इस राय का हूंगा कि चुनाव के अन्दर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अधिकार दे दिये जायं। लेकिन मैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के शासन को ही समाप्त करना चाहता हूं और बार बार सोशलिस्ट पार्टी ने यह मांग की है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पद समाप्त हो, फिर मैं कैसे कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिये जायं? उसके लिये मेरे पास कई सुझाव हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को समय समय पर बतला भी चुका हूं। मेरा कहना है कि इस समय जिले में प्लानिंग कमेटी है। गांव सभाओं के प्रतिनिधि भी प्लानिंग कमेटी में होते हैं, उसके मेम्बर होते हैं, तो क्यों नहीं गांव सभा के उन प्रतिनिधियों को ही जो कि प्लानिंग कमेटी के भी सदस्य हैं, उन्हीं प्रतिनिधियों के हाथ में एक महीना, पन्द्रह दिन या दस दिन के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इन तमाम अधिकार को दे दिया जाय? अगर इस साल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव कराने हैं, तो माननीय मंत्री जी इसकी घोषणा कर दें। इसके लिये और भी अनेक सुझाव हो सकते हैं। लेकिन इस अधूरे और निकम्मे विधेयक पर विचार क्या करना है। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने ठीक ही कहा कि अगर दिमाग साफ हो तो एक हफ्ते के अन्दर अच्छे से अच्छा विधेयक बन सकता है। इस पर तो हम विचार करने के लिये तैयार हैं। हमने सरकार को एक सुझाव दिया है कि गांव सभाओं के जो प्रतिनिधि प्लानिंग कमेटी में चुने गये हैं या प्लानिंग कमेटियों में जो और देहातों के प्रतिनिधि हैं उन सब को आप जिला बोर्ड के अधिकार सौंप दीजिये, इस में हमें कोई एतराज न होगा बशर्ते कि यहां चुनाव की व्यवस्था शीघ्र हो जाय। अप्रैल में चुनाव क्यों नहीं होते? क्यों न वह कौंसिल के चुनाव से पहले ही हो जाय? यह बड़ा भारी सवाल है। क्या १० साल के पुराने चुने हुए सदस्य भी कौंसिल के उम्मीदवारों को अपना मत देंगे और उन सदस्यों को पावर में बुलाने वाली सरकार जनतांत्रिक कही जायगी? इसको आप स्वयं सोचें और दूसरे सदस्य भी सोचें।

इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि बोर्ड की अवधि बढ़ाने के अधिकार की जो व्यवस्था है कि ४ साल तक अवधि रहेगी लेकिन जितना मूल अवधि हो उसकी दुगुनी, तिगुनी और चौगुनी तक बढ़ाया जा सकता है, कोई रोक नहीं है, यह गलत है। इस विधेयक में यही चीज है। ऐसा क्यों हो? यह क्यों न हो कि मूल समय के आधे से या चौथाई से अधिक अवधि न बढ़ाई जा सके? सरकार अनियंत्रित अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है।

फिर डायरेक्टर का सवाल। हमने तमाम खोज डाला कि वह कौन होगा? सरकार की ओर से कोई व्यक्ति बताये कि वह कौन होगा? एक डायरेक्टर तमाम जिला

[श्री राजनारायण]

बोर्डों के निर्वाचन का कार्य संचालित करेगा। कौन डायरेक्टर बनाया जायगा? कौन उसे एप्वाइंट करेगा? कब एप्वाइंटमेंट होगा? कहीं इस बात की चर्चा विधेयक में नहीं है। बस एक शब्द डायरेक्टर लिख दिया, हमने मध्य, आदि और अन्त, विधेयक का सब खोज डाला लेकिन कुछ पता नहीं लगता।

इस के अलावा मतदाता सूची के सम्बन्ध में गोरखपुर और देवरिया के माननीय सदस्य वहां की कथा बतायेंगे कि वहां की कितनी जनसंख्या है और कितने प्रतिनिधि वहां से लिये जायंग। जो कम आबादी वाले जिले हैं उनमें प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होगी और जहां गोरखपुर, देवरिया में आबादी अधिक है वहां उनकी तादाद कम। क्यों ऐसी अव्यवस्था है? क्यों नहीं सरकार इसकी देखरेख करती? क्या इसलिये नहीं करती कि कांग्रेसी उम्मीदवार वहां बहुत हारे हैं और ऐसा न हो कि कहीं जिला बोर्डों में भी दूसरे दलों की संख्या अधिक हो जाय तो करारी हार हो?

चौथी बात सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न है। उसमें लिखा है सजा। मैं तो चाहता हूं कि वह हमेशा अयोग्य रहे। सजा ४ साल की हो, २ बरस की हो, २॥ वर्ष की हो, ७ साल की हो, मारल टरपीट्यूड की बात हो तो वह एक प्रश्न विचारणीय हो सकता था, लेकिन आम तौर से यह कहा जाय कि जिनको सजा हो गयी हो या जो जेल में बन्द हों वह चुनाव के लिये नहीं खड़े हो सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि मई के महीने में हम शायद जेल में बन्द रहेंगे, तो हमारा भी अधिकार वोट का गया। उसके २ मास बाद हम मुक्त हो जायेंगे और गिरफ्तारी अवैध करार दे दी जायगी। अगर हम जेल में बन्द हों तो क्यों न हम जेल में बन्द रहते हुए चुनाव में वोट दें? १० मई से होने वाले सत्याग्रह को लेकर जितने भी हाईकोर्ट के फैसले हुये हैं उन सब में सजाओं को कम किया गया है और गिरफ्तारी को अवैध कहा गया है लेकिन इस बात के रहते हुये भी यह विधेयक जो सरकार लायी है उस में वह रख रहे हैं कि जो जेल में बन्द हों, प्रिजन में हों वह वोट नहीं दे पावेंगे, डिस्क्वालीफाई समझे जायेंगे। यह बहुत अनर्थ हो जायगा और हमको इसमें बहुत बड़ा डर है कि कम से कम सोशलिस्ट पार्टी के बहुत से लोग जेलों में बन्द कर दिये जायेंगे और कह दिया जायगा कि तुमको वोट देने का अधिकार नहीं है। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी के सामने इसी सूबे में डाक्टर लोहिया का कांड हुआ और तमाम कांड हुए। इन कांडों को अपनी दृष्टि में रखते हुए अपनी सरकार को राजी करें कि जेल में जिनको पोलिटिकल रीजन्स से गिरफ्तार कर के बन्द रखा जाय तो उनके लिये कोई मुमानियत नहीं रहेगी।

स्वशासन मन्त्री (श्री विश्वित्र नारायण शर्मा)—बेल पर आ सकते हैं।

श्री राजनारायण—बेल पर आ सकते हैं, मगर सरकार टस से मस न होगी।

श्री विश्वित्रनारायण शर्मा—बेल पर भी नहीं आना चाहेंगे तो क्या करें?

श्री राजनारायण—हम को मालूम है। आप को कांग्रेसी राज्य में जेल नहीं जाना पड़ा है। हम को कांग्रेसी राज्य में हर साल जेल काटनी पड़ी है और बेल में कितनी दिक्कत होती है आप को शायद ही मालूम हो। मैं प्रसंगवश कहे देता हूं। रामानुज औदीच्य का नाम सुना होगा। हाईकोर्ट ने लिखा है कि यह मैजिस्ट्रेट रहने लायक नहीं है। उसने वारंट निकाल दिया जबकि हाईकोर्ट के आर्डर से मुकदमा स्टे हो चुका था। २२ जनवरी को फैसला हुआ। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। तीन चार कालम में निकला है। ऐसे मैजिस्ट्रेटों को लेकर आप बेल की बात कर रहे हैं? और आप ऐसी बात कर रहे हैं जो तमाम बातों को जानते हुये चित्त की दुर्बलतावश कैबिनेट में पड़े हुए हैं।

जिस वोट की प्रणाली से असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव सफल रहे और जिसकी बड़ी सराहना की गयी सरकारी पक्ष की ओर से भी, वही प्रणाली क्यों न लागू हो, क्या खतरा आ गया, क्या दिक्कत आ गयी ? उस बैलट सिस्टम का क्यों त्याग किया जा रहा है ? क्रासिंग सिस्टम की मुसीबत की जानकारी सब को है। अभी टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव हुए। आप शायद जानते होंगे कि उसमें कितनी परेशानी हुई। कहीं-कहीं के पोलिंग अफसर तमाम पर निशान लगा देते थे। कितने मुकदमे लड़ें ? हर बात में कहें कि कोर्ट में चले जाओ। कहां तक कोर्ट में जायं। आज हमारे कमरे में जाइये, सरसों गिराने की जगह नहीं है। तमाम बनारस के, कानपुर के मामले पड़े हुए हैं। बहुत से किसानों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। कहीं कानपुर से, कहीं अलीगढ़ से, कहीं बाराबंकी से चले आ रहे हैं।

अजीब परेशानी है। इसलिये जो बुनियादी कानून बने उसे ही ठीक से रखना चाहिये मैं इस क्रासिंग सिस्टम का घोर विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि गत असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनावों में जो वोट देने की प्रथा थी वही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में कायम रहे, बैलेट सिस्टम कायम रहे। क्रास करने की बात नहीं रहनी चाहिये, इसको हटाना चाहिये।

इसके बाद श्रीमन्, बोर्ड को डिजाल्व करने का सवाल है। जब अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जायगा तो तीन दिन के बाद सरकार को नोटिस दे। सरकार अगर चाहे तो पूरे बोर्ड को डिजाल्व कर दे। एक सम्मानित साथी उधर से पूछे थे—हमें बतायें कौन ऐसा बोर्ड का चेयरमैन रहा है जिसको गैर-कांग्रेसी होने की वजह से मदद नहीं मिली ? मैं जानता हूं, बनारस में रामनगर बोर्ड का जो चेयरमैन था, तीन बार सस्पेंड किया गया और तीनों बार रिट से बहाल हुआ। मैं जानता हूं कि मिर्जापुर में जब तक नानकांग्रेसी चेयरमैन रहा तब तक मदद नहीं मिली। जब उसने कांग्रेस में सिगनेचर कर दिये तो उसको मदद मिलने लगी।

"सीता कर अति विपति विशाला।
बिनहि कहे भल दीन दयाला ।।"

इतना पाप, इतना अन्याय, और जोर जुल्म, काले कारनामे आज इस सरकार की ओर से हो गये हैं--"कौन, कौन गुन बरनों झबरी तोर"।

सरकम्स्टान्सेज और प्रापर्टी टैक्स मैं चाहता हूं और करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस टैक्स को हटायें। २०० रुपया ऐनुअल जिसकी आमदनी होगी उसपर प्रापर्टी और सरकम्सटान्सेज टैक्स लगेगा। क्यों नहीं, जो सोशलिस्ट पार्टी की मांग है कि, जो सूबे की आमदनी हो उसका चौथाई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया जाय। मैं आज कहना चाहता हूं अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये नये टैक्स लगाने की प्रणाली को समाप्त किया जाय और जो पैसे का दुरुपयोग इधर, उधर हो रहा है उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया जाय जिससे वह पढ़ाई, रोशनी, सफाई, स्वास्थ्य आदि का इंतजाम करे, पुलिस का इंतजाम करे। मगर सरकार भी टैक्स लगाये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी टैक्स लगाये, टाउन एरिया कमेटी, गांव पंचायत, सभी टैक्स लगायें। अगर सरकार से पूछा जाय कि एक आदमी को कितने प्रकार के टैक्स देने पड़ रहे हैं तो कोई जवाब नहीं है। यह बड़ी अव्यवस्था है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो टैक्स न पे करे .....

श्री अधिष्ठाता—समय का भी ध्यान रखें आप।

श्री राजनारायण—आखिर लाल बत्ती आप ने दे ही दी। कम से कम इतना तो खयाल करते कि आप हमारे दल में भी रह चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता—बहुत खयाल किया।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, तो मैं कह रहा था कि जो टैक्स का सवाल है वह नहीं रखना चाहिये। असेम्बली के लिये क्यों नहीं है ? असेम्बली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से बड़ी चीज है या छोटी ? आज तक इस सरकार की समझ में नहीं आया कि असेम्बली के लिये जो वोटर

[श्री राजनारायण]

हो और उसके लिये जो अयोग्यतायें हैं उससे भी कम अयोग्यतायें रहनी चाहिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये । मगर यह और बढ़ाती चली जा रही है । टैक्स अगर कोई न दिये हो तो वह भी न रहने पाये । तो मैं कहना चाहता हूं कि उसको भी सरकार हटाये । इसलिये निश्चित रूप से यह निकम्मा और अधूरा विधेयक है जिससे न तो जनतंत्र सुधरेगा न शक्ति का बटवारा होगा, न बोर्ड सम्मानित होगा, न बोर्ड में अध्यापकों की स्थिति सुधारेगी जो अत्यन्त दयनीय है । उन अध्यापकों की दशा पर कतई भी चिन्ता इस विधेयक में प्रकट नहीं होती । वही रोना रह जायगा । मैं इधर इलाहाबाद गया हुआ था । वहां एक स्कूल कालेज कर्मचारी संघ स्थापित हुआ है । तो जितने स्कूल, कालेज के कर्मचारी हैं चाहे वह स्कूल म्युनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत हों या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत सब उसमें शामिल हैं । तनख्वाह उनको क्या मिलती है ? जितने का साबुन मंत्री लोग अपने कुत्तों पर लगा डालते होंगे । तो मेरा कहना है कि इन मूल समस्याओं पर विचार करके इनके समाधान का बिल आये जिससे उनकी दशा सुधरे । हर दृष्टिकोण से यह बिल अधूरा है । जैसा भारतीय जी ने कहा सरकार वापस ले ले, वर्तमान बोर्ड को भंग करे, इसकी जगह जो एलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव हैं उनकी अस्थायी समिति बना दे और महीने, १५ दिन के बाद चुनाव करा ले । इससे काउन्सिल की सीटों वाले चुनाव में भी जो परेशानी आ रही है वह भी बच जायगी । तमाम चीजें साफ हो जायंगी । अब जो बोर्ड बने निश्चित रूप में उसके मातहत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पुलिस का भी जाना निहायत जरूरी है, और पुलिस को जाना चाहिये । सरकारी आमदनी का एक चौथाई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मिलना चाहिये । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को नये टैक्स लगाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये । इन शब्दों के साथ चूंकि आपने लाल बत्ती दे दी इसलिये आप के सामने नतमस्तक हो रहा हूं, श्रीमन् ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है इसमें श्री पद्माकर लाल जी के संशोधन के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन् कल से मैं बहुत गौर से सुन रहा था । ऐसा प्रतीत होता है कि उधर के बैठने वाले और कुछ और सज्जन भी न मालूम क्यों इस चुनाव को और आगे ले जाने की बात सोचते हैं साफ तरीके से आपको बतला दूं कि मैं तो इस निश्चित राय का हूं और माननीय राजनारायण जी से इत्तफाक करता हूं कि अगर आज इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भंग कर दिया जाय तो यह सरकार इस बात का प्रमाण देगी कि इसने जानबूझ कर एलेक्शन को नहीं रोका, क्योंकि इसमें दो राय नहीं हो सकती कि मार्च में कौंसिल के चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को यह सरकार कौंसिल के चुनाव के लिये इस्तेमाल करती रही है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि जो मेम्बर १० साल पहले चुने गए हों उनको क्या हमेशा चुनावों में भाग लेते रहने का अधिकार है ? एक कांग्रेसी सज्जन ने तो यहां तक कहा कि आखिर वह भी तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, १० साल हो गये तो क्या हुआ । लेकिन १० साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें ऐडल्ट फ्रैंचाइज नहीं थी । वह किस प्रकार हुए थे, यह सबको मालूम है । दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर जो १० साल पहले चुने गए थे आज जनता उनमें अविश्वास प्रकट कर चुकी है । उनमें से बहुत से मेम्बर आम चुनाव में हार चुके है । तो आपका यह कहना कि वह भी तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, इसमें कोई जान की बात नहीं है । अगर आप राजनारायण जी के प्रस्ताव को मानें, उनकी बात मानें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को तुरंत बिना किसी विलम्ब के खत्म कर दें तो इस बात का प्रमाण आप देंगे और जनता के सामने कह सकेंगे कि हमने जान-बूझकर चुनाव को नहीं टाला। हमारी नीयत खराब नहीं थी । इसमें कोई बेईमानी की बात नहीं थी । अगर मैं यह कह दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी कि सन् १९४८ में चुनाव हुए सन् १९५२ में वह फिर होने चाहिए थे । आज परिस्थितियां बतलायी जाती हैं, कहा जाता है कि हमारे सामने बहुत सी मुश्किलें थीं, बहुत सी बातें थीं । क्या मैं मालूम करूं कि दो आम चुनाव हो सकते हैं, सन् १९५२ और सन् १९५७ के, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव के लिये हमारी सरकार

के सामने परिस्थितियां थीं ? मैं तो यह कहूंगा कि सरकार ने जान-बूझकर अपने पार्टी के लोगों को चेयरमैन रखने के लिये चुनाव नहीं कराया। अगर मैं यहां पर एक बात बता दूं तो शायद असंगत न होगा, श्रीमन् कि ऐसे-ऐसे चेयरमैन भी हैं जिन्होंने गैंग्स को अपने फार्म्स पर ले जाकर इस्तेमाल किया। वह चेयरमैन आज तक मौजूद हैं। उनके फोटो लिये गए, लेकिन कोई चिन्ता हमारी सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को हटाने की न हुई। अगर सरकार ने किसी तरीके से एक बार यह कदम भी उठाया कि उनको हटा दिया जाय या सस्पेंड कर दिया जाय, तो श्रीमन् मैं आपके द्वारा बतला दूं कि इसी सरकार ने १९५७ में अपने फैसले को तीन दिन के अन्दर बदला और उन चेयरमैन महोदय को वहीं पर रखा। अगर सरकार इतनी जल्दी-जल्दी फैसले करेगी तो इसका क्या मतलब है, जान-बूझकर बात टाली जाती है या किस तरीके से टाली जाती है, मैं खुद नहीं समझ पाता।

बहुत सी बातें कही गयीं। यहां पर माननीय विभव जी मौजूद नहीं हैं, और एक सज्जन ने हमें अर्थशास्त्र पढ़ाने की बात की। उन्होंने बताया कि ढाई करोड़ रुपया चुनाव कराने में खर्च होगा दो करोड़ तो शायद जनता का और कुछ सरकार का बतलाया। मैं बड़े साफ तरीके से एक बात बतला दूं कि अगर ढाई करोड़ नहीं ५ करोड़ रुपया खर्च करके हम जनता का ठीक हक जनता को दे सकें तो मुझे उसके खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं उनका बड़ा आभारी होता अगर विभव जी ने हिसाब बतलाया होता कि ढ़ाई करोड़ रुपया किस प्रकार खर्च होगा। मैंने बहुत कोशिश की यह जानने की कि ढ़ाई करोड़ का क्या हिसाब है, किस तरह से यह रुपया खर्च होगा। सरकार ५० हजार रुपया फी जिला देती है, जिसके मानी होते हैं कि २५-२६ लाख रुपये खर्च होंगे। कुल २,००० सीट्स हैं जिनका चुनाव होना है। असेम्बली के एलेक्टोरल रोल्स बने हुए हैं, उनको काम में लाया जा रहा है। इसके मानी हैं कि बहुत ही थोड़ी रकम खर्च होनी चाहिए, लेकिन न मालूम उधर के बैठने वाले सज्जन करोड़ों की बात कैसे सोचते हैं। शायद उनका वास्ता करोड़पतियों से रहता है और हमारा गरीब जनता से, जिसकी वजह से वे करोड़ों की बात सोचते हैं और हम हजारों की। यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो चुनाव होंगे उनमें ढाई करोड़ रुपये का व्यय नहीं होगा।

जहां तक इस विधेयक की बात है वैसे तो इसकी परिधि बढ़ाने की बात बड़ी सुन्दर है किन्तु साथ में मैं यह भी चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में आमूल परिवर्तन हो। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन मुझे किसी तरह से यह विश्वास नहीं कि हमारी सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को समाप्त करने जा रही है। यदि किसी तरह से कोई ऐसा स्टेप मैं भी उठा गया जिसके बहाने से हमारी सरकार इन चुनावों को मई से आगे ले गई तो मैं उसे अपनी एक गलती मानूंगा। सरकार तो शायद चाहती हो, मैं कोई उसकी नीयत पर हमला नहीं करता कि ये इलेक्शंस टल जायं। जितने विश्वास वह दिलाती है वे कभी पूरे नहीं होते। आज मंत्री जी अगर मुकम्मिल तौर पर यहां यह ऐलान करेंगे कि मई में वे इलेक्शन जरूर करायेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं यह कहूंगा कि जो एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है उसको वे पूरा करेंगे।

यहां अध्यापकों की बात भी कही गयी। मैं इस बात का पूरे तरीके से समर्थन करता हूं कि अध्यापक लोगों का रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में होना चाहिये। मुझे एक किस्सा मालूम है जिसे अधिष्ठाता महोदय अवश्य सुन लें। मेरे जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन ने एक अध्यापक को इसलिए सस्पेंड कर दिया कि किसी वजह से उनके पास १९०५ और १९०९ के दाखिले के रजिस्टर स्कूल में नहीं थे। अध्यापक ने कहा कि मुझ से गलती हो गई और डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स कहता है कि बहुत बड़ी गलती नहीं है और ५ रुपये जुर्माना कर दिया जाय, तब भी ६ महीने तक उनको सस्पेंड रक्खा जाता है और ६ महीने बाद प्रधान अध्यापक की जगह दूसरे को दे दी जाती है और उसको सहायक अध्यापक बना दिया जाता है। नये तरीके से नया ग्रेड उसको दिया जाता है। जब वह अध्यापक कमिश्नर को अपील करने की सोचता

[श्री जगवीर सिंह]

है तो कई महीने तक उनके कागजात कमिश्नर के पास नहीं भेजे जाते। कसूर क्या था उन अध्यापक महोदय का ? उनका कसूर यह था कि चेयरमैन महोदय की मर्जी के मुताबिक वे सरपंच के चुनाव में भाई की राय नहीं दिला पाये थे। अगर ऐसा है तो मंत्री महोदय उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को खत्म कर देते और अगर उन्होंने इतना न किया होता तो कम से कम जिन चेयरमैन साहब को उन्होंने गलत समझा होता उनको अलहदा कर दिया होता। लेकिन अगर उनको फिर बैठाल दिया गया हो और हम यह कहें कि चुनाव टाले जा रहे हैं तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है ।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन विधेयक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पेश है, उसमें खासतौर से दो बातें हैं, जैसा कि हमारे विरोधी साथियों ने और और लोगों ने भी कहा। खासतौर से यह है कि मौजूदा व्यवस्था को बदला जाय। इसमें दो रायें नहीं हो सकती चाहे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के नाम से या किसी और नाम से, लेकिन मौजूदा व्यवस्था को बदल कर एक नया ऐक्ट लगाया जाय और उसके द्वारा एलेक्शन कराये जायं। सभी लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आजकल बहुत फटीचर हालत में जा रहे हैं और एक दो बोर्ड को छोड़कर कर्जे में रन कर रहे हैं। मास्टरों की तनख्वाह देने के लिए या अपने सुधार के अन्य काम करने के लिये पैसा नहीं है। इसलिये ऐसा नया विधेयक सामने लाया जाय जिससे उनकी हालत सुधरे, उनकी पावर और बढ़ायी जायं जिससे वे जितनी भी उनकी जरूरियात की चीजें हैं पूरे तौर से मुहइया कर सकें, और सरकार की तरफ बार-बार धन के लिये न ताकना पड़े।

इस संबंध में दो एक खास बातें यह हैं कि जब एक नया विधेयक ला रहे हैं तो क्यों ऐसा मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऐक्ट में परिवर्तन लायें। क्या इसी के लिये १० साल की अवधि लगायी गयी ? मैं उससे सहमत हूं जो मेरे एक विरोधी भाई ने इस बात को रखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं और राय देता हूं कि जब आपको नयी व्यवस्था लाने के लिए इतना मौका मिला है तो आमूल परिवर्तन किया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि जो संशोधन इस समय सदन के सामने उपस्थित है, क्यों अधूरा है जो पूरे तरीके से मौजूदा हालत को कवर नहीं कर सकता तो फिर चाहे ६ महीने या ८ महीने लगें, चाहे मई के बजाय अक्तूबर के लिये चुनाव टल जाय और चाहे, जैसा कि भुवनेशभूषण जी ने कहा था, कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय। मैं सहमत हूं इसे बेशक भेज दिया जाय, लेकिन इसमें पूरे तरीके से परिवर्तन होने चाहिए। जब दूसरी विरोधी पार्टी के लोग इसको मानने के लिये तैयार हैं कि व्यवस्था बदलने के लिए इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और इसमें सुधार किया जाय तो इसमें क्या दिक्कत है ? मैं भी इससे सहमत हूं कि अगर सुधार करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कमेटी में जरूर भेज देना चाहिये और वहां सुधार कर लेने चाहिये और उसको अवधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। इसमें भी कोई बेजा बात नहीं है।

मेरा जहां तक खयाल है, जैसा कि इसमें कहा गया था एलेक्शन होने के बाद जो भी स्थिति पैदा होगी उसमें खासतौर से एक तो रुपये का सवाल सब से ज्यादा आता है। मान लो हम मई में, एलेक्शन करा भी लें लेकिन उसके बाद साल दो साल में उसको बदलना पड़ेगा, जैसा कि विचार है। तो फिर यह रुपया जो इसमें खर्च होगा वह बेकार का खर्चा होगा। इस वक्त करोड़, डेढ़ करोड़ या ५० लाख जो भी हम खर्चा करेंगे इससे प्लानिंग के बहुत से काम कर सकते हैं जिससे काफी सुधार संभव हो सकता है, बजाय इसके कि हम बेकार का खर्चा इस समय और वह भी साल डेढ़ साल के लिए करें इसलिये मेरा निवेदन है कि जब ऐसी स्थिति इस समय चल रही है तो मैं उस प्रस्ताव से सहमत हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस प्रस्तुत विधेयक में अपना एक संशोधन प्रस्तुत किया था और कल वह आ भी गया था, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उसकी अनुमति नहीं दी। इसलिए उस संशोधन के बिना ही मैं अपने विचार इस आदरणीय सदन के समक्ष व्यक्त करता हूं।

अभी शासक-दल के एक माननीय सदस्य ने कहा और उसमें अलंकारिक भाषा में यह माना कि कांग्रेसी सरकार अष्टावक्र की मां है। जिस प्रकार से अष्टावक्र की मां ने अष्टावक्र को १० वर्ष तक गर्भ में रखा था, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेसी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट को १० वर्ष तक अपने गर्भ में रखा। कांग्रेस सरकार के इस तरह से १० वर्ष तक अपने गर्भ में रखने के विरोध में भारतीय जन संघ है। इसलिये विरोध में है कि अष्टावक्र के रूप में कांग्रेस सरकार इसको अपने गर्भ में रखे रही और अब भी चुनाव नहीं कराती। इसलिए अप्राकृतिक होने के नाते भी भारतीय जन संघ इसके विरोध में है।

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं आपके सामने वह स्थिति रखना चाहता हूं जिस स्थिति में यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट बना था और जो इसकी मूल भावना थी। उस समय हमारा देश परतंत्र था और हमारे देश में विदेशी शासन था और हम गुलाम कहलाते थे। जब हमारे अंदर स्वतंत्र होने की भावना उमड़ी और हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया.....

श्री अधिष्ठाता—यह बात कई बार कही जा चुकी है और कई मित्रों ने कही है।

श्री राजेन्द्र सिंह—अधिष्ठाता महोदय, संक्षेप में, अब मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो ऐक्ट हमारी गुलामी की दशा में बना था उसको समाप्त कर दिया जाय। अब मैं आपके सामने इस विधेयक के कुछ तथ्य रखना चाहता हूं।

इस प्रस्तुत विधेयक में आठ मुख्य बातें हैं, जिन पर यह विधेयक आधारित है। साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का उन्मूलन, वयस्क मताधिकार का अंगीकरण, विधान सभा के चुनाव में जो नियम पालन किये गये उनके समानान्तर नियमों का बनाना, पिछली मतदाता तालिका की मान्यता, कोआप्शन की समाप्ति, प्रेसीडेंट का परोक्ष निर्वाचन, प्रेसीडेंट के हटाने की व्यवस्था तथा रिजर्वेशन की व्यवस्था को मान्यता देना, ये आठ बातें इस विधेयक में हैं। कुछ बातें तो इनमें सही हैं और कुछ के संबंध में मेरा यह कहना है कि सरकार ने अधिक अधिकार लेने का प्रयत्न किया है। समय बहुत कम है इसलिए एक-एक खंड की आलोचना नहीं कर सकूंगा। मैं केवल उन्हीं को बताने का प्रयास करुंगा जिनमें सरकार ने अधिकार लेने का प्रयत्न किया है।

खंड ५ के दूसरे भाग में लिखा हुआ है कि:—

"The Director of Elections (Local Bodies) shall, by order determine"—

इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि डायरेक्टर कौन होगा। उसके अधिकार दे दिये गये हैं कि वह कांस्टीटुएन्सी बदल सकेगा। यह स्पष्ट नहीं है कि चार वर्ष के काल में वह किस समय बदलेगा तो यह एक प्रकार से अवैधानिक है। इसमें डायरेक्टर को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिये गये हैं। इससे यह मालूम होता है कि डायरेक्टर ऐसा व्यक्ति होगा जो सरकार के आदेश पर काम करेगा और सरकार, जो बहुमत में होगी वह डायरेक्टर से, जब चाहेगी क्षेत्र बदलवा सकेगी। इसलिये खंड ५ का रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अब मैं आपके सामने इसी खंड का भाग (६) रखना चाहता हूं वह इस प्रकार है कि:

(6) The Director of Elections (Local Bodies) may at any time in the same manner amend the Delimitation Order or make a new Delimitation Order."

जब क्षेत्र बन जायंगे और एतराज हो जायेगें, तब डायरेक्टर को क्षेत्र बनने के बाद अधिकार दे दिया गया है कि वह उन बने हुये क्षेत्रों को समाप्त कर दें। मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब कानून बन जायगा, डायरेक्टर क्षेत्र बना दे और एतराज हो जायं फिर डायरेक्टर

[श्री राजेन्द्रसिंह]

को क्यों अधिकार दिया जाता है कि वह बने हुए क्षेत्र को समाप्त कर दे। इससे यह भी है कि डायरेक्टर के निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति अदालत में नहीं जा सकता है। इस धारा में सरकार ने बहुत अधिक अधिकार ले लिये हैं। सरकार डायरेक्टर को इशारा करके जब चाहे किसी भी क्षेत्र को समाप्त करा सकेगी।

तीसरी बात मैं आपके सामने यह उपस्थित करता हूं कि खंड ७ के ११ सी० (२) में लिखा है:-

"No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any constituency more than once."

क्या कोई इतना मूर्ख मतदाता हो सकता है कि मतदाता तालिका में एक बार अपना नाम लिखवाने के बाद दोबारा उसमें लिखवाने का प्रयत्न करेगा ? मैं समझता हूं कि यह बिलकुल व्यर्थ है, इसे निकाल देना चाहिए।

फिर खंड ८ के (जे०) में लिखा है—

"has been convicted by a court in India of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years unless a period of five years or such less as the State Government may allow in any particular case has elapsed since his release."

अगर दो वर्ष की सजा हो चुकी है और पांच साल का समय हो चुका है तब तो वह खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर पांच साल से कम व्यतीत हुए हैं और दो वर्ष की सजा हो चुकी है तो गवर्नमेंट चाहेगी तो वह खड़ा हो सकेगा और नहीं चाहेगी तो नहीं खड़ा हो सकेगा। इस तरह एक यह अधिकार सरकार ने ले लिया। दूसरी बात यह स्पष्ट नहीं की गयी कि दो वर्ष की सजा किस अपराध में हुई हो।

लाल बत्ती हो गयी है, अब मैं दो मिनट में आपको बताता हूं। इसमें सरकार ने अपने हाथ में प्रेसीडेट को हटाने का अधिकार ले लिया है। यदि इस नियम के अनुसार बोर्ड बनेगा और वहां के मेम्बर्स प्रेसीडेंट के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पास कर लेंगे और तीन दिन के अन्दर अगर वह प्रेसीडेंट सरकार को लिख कर भेज देता है तो सरकार को यह अधिकार होगा कि वह न सिर्फ प्रेसीडेंट को बल्कि उन मेम्बरों को भी, जिन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव पास किया है, डिजाल्व कर दे। मेरा कहना यह है कि जब सारे सदस्य या बहुमत में सदस्य प्रेसीडेंट के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश करते हैं तो सरकार को यह अधिकार क्यों दिया गया है कि वह मेम्बरों और प्रेसीडेंट दोनों को डिजाल्व कर दे। इसलिये यह प्राविजन इसमें से निकाल देना चाहिये।

अब सबसे अन्तिम प्राविजन में सरकार ने यह कहा कि जब तक यह ऐक्ट पास होगा और नये चुनाव होंगे तब तक पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कार्य करते रहेंगे। मुझे शक है कि जो एम० एल० सीज० का चुनाव आगे होने वाला है उसमें सरकार पुराने मेम्बरों से वोट चाहती है क्योंकि उनमें कांग्रेस का बहुमत है। यदि उनकी ऐसी नीयत नहीं है तो उनको चाहिये कि जैसे ही यह विधेयक पास हो, पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को डिजाल्व कर दे, चुनाव चाहे जब हो।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, करीब दो दिन से इस संशोधन विधेयक पर बहस हो रही है। माननीय मंत्री जी जब इस विधेयक को पेश कर रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में यह जाहिर किया था कि वास्तव में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव सन् १९५२ में हो जाने चाहिये थे लेकिन सरकार के सामने बहुत से ऐसे काम आ गये जिनकी वजह से चुनाव नहीं हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के सामने कोई ऐसा बहुत ज्यादा काम नहीं था कि जिसकी वजह से वह चुनाव न करा सकती। मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की एक ऐसी

परिपाटी हो गयी है, मैंने सन् १९५७ के भ्रम चुनाव में देखा कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के मेम्बरों ने जो सत्ताधारी दल से संबंधित थे, जो जा-जा करके मास्टरों को डरवाना, धमकाना शुरू करते थे और उनसे चुनाव का काम भी लेना चाहते थे। जो मास्टर काम नहीं करते थे उनकी मर्जी पर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बदल दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया। इस तरह से मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में एक तानाशाही की प्रवृत्ति पैदा हो गयी है।

एक दूसरी खामी टैक्स लगाने की है। यह ठीक है कि इस ऐक्ट को अंग्रेजों ने बनाया था लेकिन जिस चीज को अंग्रेज नहीं लागू कर सके, उसको आप अपने, इस प्रजातंत्र और जनतंत्र के काल में, लागू करवा रहे हैं। इस जमाने में कोई आदमी अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता है। असेसमेंट करते समय यह कोई देखने वाला नहीं है कि जिस शख्स पर टैक्स लगाया जा रहा है वह रोजगार करता है या नहीं। मैंने कोई रोजगार नहीं किया लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने मेरे ऊपर भी १५ रुपये १० आने का टैक्स लगा कर भेज दिया था। तो इस तरह से धांधली मची हुई है। जनतंत्र के आधार पर आपने जो थोड़े से सुधार उसमें किये हैं, वह ठीक हैं। मैं मानता हूं लेकिन उस में जो एक क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है जिसका आप ढिंढोरा पीट रहे थे और जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्री ने भी कई बार कहा था कि इन बोर्डों को हटा कर हम कौंसिलों की स्थापना करेंगे, उसके संबंध में कुछ भी नहीं किया गया। इस संशोधन के द्वारा तो आपकी हांकी हुई डींगों का कोई काम होने वाला नहीं है। तो केवल दुहाई देने से ही समाजवाद पनप नहीं सकता। इसलिये मैं मांग करता हूं कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को सरकार भंग करे। विरोधी दलों की तरफ से भी यही आवाज आई कि सरकार चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पुराने सदस्यों से कौंसिल के चुनाव में फायदा उठाया जाय। मैं समझता हूं कि इन बोर्ड्स के मेम्बरों को कौंसिल में वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिये कि जब हमने बालिग मताधिकार मान लिया है तो पुराने मेम्बर जो चुने गये हैं उनको केवल १० प्रतिशत लोगों ने चुना है और इसलिये उनको कौंसिल के मेम्बरों के चुनाव करने का कोई अधिकार नहीं है। इस लिए मैं अपील करूंगा कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भंग किये जायं और जब तक टैक्सों की पुरानी प्रणाली को बदलते नहीं हैं, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इस से देहाती क्षेत्रों में बड़ी निराशा है। लोग रोजगार नहीं करते, लेकिन बोर्ड उन पर टैक्स लगा कर उनको १०, १० बार शहर दौड़ाता है और इस तरह से उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। जब तक इस व्यवस्था का खात्मा नहीं होगा, जब तक इस कानून में आमूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक जनतंत्र और समाजवाद पनप नहीं सकता है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और तीन दिन के अंदर वह अपनी रिपोर्ट दे तथा इस बिल में सुधार करके इसको पास किया जाय। इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भंग किये जांय। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी की मंशा है कि मौजूदा बोर्ड्स भंग किये जायं और चुनाव करा दिये जायं लेकिन सत्तारूढ़ दल यह नहीं चाहता। अंत में, मैं यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द चुनाव कराये जायं ताकि यह जो कलंक का टीका लगा है वह मिट सके और आप जनता के सामने मुंह दिखलाने योग्य हो सकें।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सन् १९४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव हुये और उसके बाद सन्, १९५८ में इस बिल को संशोधन के रूप में पुनः विचार करने के लिये सामने लाया गया है। जहां तक प्रजातंत्र के सिद्धान्तों की बात है, कभी-कभी मैं यह सोचता हूं कि ६ वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट के संशोधन पर विचार नहीं हुआ, अब विचार के लिये आप के सामने लाया गया है। इस सम्बन्ध में एक बात बहुत विचारणीय है कि जब आपके यहां ग्राम पंचायतें बन चुकीं, पंचायत राज की स्थापना हो चुकी और ग्राम सभाओं की स्थापना भी हो चुकी है तो उसके बाद मेरे विचार से इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् की आवश्यकता ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक अनावश्यक चीज है क्योंकि

[श्री रामकृष्ण सारस्वत]

मैं यह अनुभव करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास केवल बड़े-बड़े तीन ही काम रह जाते हैं। एक काम सड़कों के सुधार करने का है, दूसरा शिक्षा की व्यवस्था करने का है और तीसरा काम स्वास्थ्य के प्रबन्ध का।

जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है उसके लिये जिले में स्वास्थ्य विभाग है। उसके सिपुर्द इस स्वास्थ्य के काम को कर देना चाहिये और दोहरे खर्च की व्यवस्था इस तरह से खत्म कर देनी चाहिये।

दूसरी बात शिक्षा के सम्बन्ध में है। जिले में एक शिक्षा विभाग है उसके सिपुर्द इस शिक्षा के काम को कर देना चाहिये। उससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो शिक्षा विभाग है वह समाप्त हो जायगा। अगर शिक्षा विभाग को यह काम दे दिया जाय तो उससे बहुत बड़ा शिक्षा का काम समाप्त हो जाता है, जो जिला बोर्ड को करना पड़ता है।

तीसरी बात सड़कों की रह जाती है। सड़कों के सम्बन्ध में तीन प्रकार के काम सामने आते हैं। एक तो प्लानिंग के द्वारा सड़कें बनती हैं, दूसरी तरफ ग्राम सभाओं द्वारा सड़कें बनती हैं और ग्राम समाजों के द्वारा भी बनती हैं। इस प्रकार से मेरा अपना मत यह है कि गांव की सड़कें गांव सभा के मातहत रहती हैं और रहनी चाहिये, लेकिन जो बड़ी-बड़ी सड़कें हैं वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के मातहत हैं और रहती हैं। और जो छोटी-छोटी कच्ची या पक्की सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास रहती हैं उन के सम्बन्ध में इस बात की आवश्यकता है कि उनके लिये ३ से लेकर ५ या ७ गांव सभायें या गांव पंचायतें मिलाकर एक यूनिट बनाई जाय। उस यूनिट के सिपुर्द यह सड़कें करदी जांय। इस तरह से यह तीनों बड़े काम तीन हिस्सों में बट जाते हैं। मैं तो अपना यह विचार रखता हूं और इस मत को मैंने अपने चुनाव के समय अपने क्षेत्र के मतदाताओं के सामने उपस्थित किया था। उसके बाद इस विचार को माननीय मुख्य मंत्री के सामने भी रखा था और मित्रों के सामने भी रखना चाहता हूं। इसलिये मेरा यह निश्चित मत है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को तोड़ दिया जाय क्योंकि इनकी किसी प्रकार से भी आवश्यकता नहीं है।

हमारे कुछ मित्रों ने इस बात को व्यक्त किया है कि कुर्सी के लालच के लिये, चुनाव जीतने के लिये, पार्टी को मजबूत करने के लिये, जल्दी में यह चुनाव कराये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में, मैं यह कहूंगा कि जो चुनाव जीतने की बात है और चुनाव लड़ने की बात है वह तो जो रास्ता हमारे सामने है, वही हमारे विरोधी दल के सदस्यों के सामने भी है। सब के सामने एक ही रास्ता है चाहे वह अब चुनाव हो या बाद को हो।

हां, एक बात समझ में नहीं आती है कि मई में चुनाव होगा। इसीलिये इस विधेयक को शीघ्र पास करने की बात भी सामने आती है। जहां तक मई की बात है उस महीने में ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय किस तरह से चुनाव कराये जा सकेंगे। आप को याद होगा कि अप्रैल के महीने में करीब १९, २० अप्रैल को सन् १९४८ में चुनाव हुआ था। उस समय कितनी गरमी थी उसको हम सबको स्मरण रखना चाहिये। एक तरफ तो कहा जाता है कि चुनाव टालना प्रजातांत्रिक प्रणाली के विपरीत है और दूसरी ओर कहा जाता है कि इस तरह से चुनाव कराना भी प्रजातांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती हैं। इसलिये मेरा विचार है कि इस पर हमारे साथियों को फिर से विचार करना चाहिये। यदि मंत्री जी इन बोर्डों की आवश्यकता ही समझते हैं और कुर्सियों पर ज्यादा या कम लोगों को बिठालना ही आवश्यक है, तो इस विधेयक को अच्छी तरह से विचार करने के बाद रखना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं देवकी नन्दन जी के उस संशोधन का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने इसे १ मास के लिये प्रवर समिति में भेजने की बात कही है।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक से हमें ऐसा मालूम होता है कि वही पुरानी गुलामी के नियमों, में जो अंग्रेजों के जमाने के हैं, हमें चुनाव लड़ना है। इसमें कोई आमूल परिवर्तन नहीं है। हालांकि मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल में बहुत अधिक परिवर्तन होंगे। उन्होंने यह आवाश्सन दिया था। मगर इस बिल में सिर्फ चन्द सेक्शन्स ही अमेंड किये गये हैं।

दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बनाने का विचार होते हुये भी चुनाव स्थगित किये जावेंगे। यह महज विरोधी दल वालों को बच्चों को खिलौना दिखाकर बहलाने की बात इस विधेयक में रखी गयी है। कब डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बनेगी, इसका इस विधेयक में कोई संकेत नहीं है। कदाचित यह बिल पास हो गया और चुनाव करा भी दिये गये तो इसमें कितने रुपये का खर्चा है, इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। जैसी पूर्वी अंचल में बाढ़ और सूखा से प्रजा पीड़ित है वह भी सब को विदित है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस समय तो इस विधेयक को वापस ले लें और एक कम्प्रेहेन्सिव बिल लावें। ऐसे विधेयक का हम वर्षों से इन्तजार मौजूदा वातावरण में करते रहे हैं।

आप देखते हैं कि तमाम डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट जिले में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ का सेक्शन ९१ बतलाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये-ये काम करेगा। तो फिर क्या आवश्यकता थी इन विभागों की? यह जरा सा बिल लाकर हम लोगों से कहा जाता है कि संशोधन किया जा रहा है। यह सब तो पहले ऐक्ट में था ही और यह बिल न लाकर समय की बहुत बचत हो सकती थी।

दूसरी बात यह है कि जब पब्लिक के रेप्रेजेंटेटिव्ज डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में बैठ कर हर चीज को देखेंगे कि किस चीज की, किस क्षेत्र में, किस जगह आवश्यकता है और जिले के स्तर पर क्या चीज होनी चाहिये, उसमें वे अपना सहयोग दे सकेंगे। इस तरह की चीजों से डिपार्टमेंट को बहुत आसानी हो जाती है। जैसे सड़कों के डेवलपमेंट का काम, कंन डिपार्टमेंट भी करता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है वह अलग करता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग करता है, इसके अलावा श्रमदान अलग होता है। तो इस तरह से दान और अनुदान को मिला कर दुनिया भर का कितना पैसा इधर-उधर होता है। अगर सचमुच रूप से कैटेगरी में लोगों की राय लेकर, उनके समक्ष बातें कर, एक प्लान बनाया जाय और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स, जो भी भविष्य में बनायी जायं, उनके द्वारा यह काम कराया जाय तो मेरे खयाल में सारा पैसा एक जगह इकट्ठा हो जायगा और जो डेवलपमेंट का काम रुका रहता है, धनाभाव के नाम पर, या और किसी अभाव के नाम पर, वह नहीं रुक पायेगा।

इसके अलावा ऐडमिनिस्ट्रेशन की भी जहां तक बात है, आजकल खास बात यह है कि देहाती क्षेत्र की तरफ लोगों की बड़ी उपेक्षा रहती है। शहर वगैरह को तो देख लेते हैं या रोड साइड पर कोई जगह हुई तो उस को देख लेते हैं, और माननीय मंत्री को दिखला देते हैं कि यहां इतना डेवलपमेंट का काम हुआ है और सरकार की रिपोर्ट में यह बात आ जाती है कि फलां-फलां जगह डेवलपमेंट का इतना काम हुआ है या हो रहा है। देहाती क्षेत्रों में जनता का कोई प्रतिनिधि तो आता नहीं है, इसलिये वे रिपोर्ट में, जो चाहते हैं, भर देते हैं। तो भविष्य में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स में ये चीजें निहित हो जायंगी तो काफी मात्रा में जिले के लोग चुन कर आयेंगे तो वे बतलायेंगे कि हमारे क्षेत्र में यह चीज है और यह चीज नहीं है जिसका होना आवश्यक है तथा उधर के लिये सरकार को यह स्कीम बनानी चाहिये।

आज एजूकेशन डिपार्टमेंट की यह हालत है कि एक तरफ तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूलों के सब-डिप्टी और डिप्टी इंसपेक्टर आफ स्कूल्स हैं और उधर गवर्नमेंट के भी इंसपेक्टर आफ स्कूल्स हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूल भी चल रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट के स्कूल भी चल रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूल्स को और गवर्नमेंट के स्कूल्स को,

[श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह]

किसी एक ही संस्था के सुपुर्द कर दिया जाय तो मेरे खयाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। न ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई खर्च होगा और न प्रान्तीय राजस्व का पैसा खर्च होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना यही है कि ऐसे एलेक्शन के कराने से क्या फायदा होगा, उससे क्या नतीजा निकलेगा जिस एलेक्शन में इतना ज्यादा पैसा खर्च हो? इससे तो अच्छा यही है कि कुछ दिनों के बाद एक काम्प्रहेंसिव बिल ही आता जिसमें सारी बातें होतीं। हो सकता है कि मोटा होने की वजह से मेरी मोटी अक्ल में यह बात न आयी हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस एलेक्शन से क्या विशेष फायदा है।

श्री अधिष्ठाता— आप और बोलना चाहते हैं, आपका एक मिनट रह गया है, अब आप कल बोलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
६ फरवरी, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६१ पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, बिसरख, जिला बुलन्दशहर में २ अक्तूबर, १९५६ से ३० सितम्बर, १९५७ तक किये गये विकास कार्यों की विषय सूची।

१—खड़न्जे का कार्य

२—बांध का निर्माण

३—दो नये कुओं का निर्माण

४—सात पुराने कुओं की मरम्मत

५—पंचायतघर तथा स्कूल का निर्माण

६—राजकीय सिंचाई कार्य

७—१०२ मील ६ फर्लांग लम्बी कच्ची सड़कों का निर्माण और जन स्वास्थ्य, भूमि सुधार, पशुपालन, समाज शिक्षा, गृह निर्माण तथा यातायात के कार्य, जिन पर सरकारी रुपया खर्च नहीं हुआ। इनमें जनता द्वारा अनुदान मिला जो नकदी, सामान तथा श्रम के रूप में था।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६४ पर)

जनवरी, १९५८ में प्रगाढ़ विकास क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले ब्लाकों की जिलेवार सूची

ब्लाक का नाम					जिले का नाम
१—हवलबाग	..	..	..	..	अल्मोड़ा
२—मल्लीपोखरी	..	..	..	..	"
३—आसफपुर	..	..	..	..	बदायूं
४—मऊ	..	..	..	..	बांदा
५—हैन्सखाजार	..	..	..	..	बस्ती
६—मथुरा	..	..	..	..	मथुरा
७—ऊन	..	..	..	..	मुजफ्फरनगर
८—मलवान	..	..	..	..	फतेहपुर
९—हलिया	..	..	..	..	मिर्जापुर
१०—पूरनपुर	..	..	..	..	पीलीभीत
११—फतेहपुर	..	..	..	..	उन्नाव
१२—मनकापुर	..	..	..	..	गोंडा
१३—चारगवान्	..	..	..	..	गोरखपुर
१४—मकोरा	..	..	..	..	झांसी

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६८ पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, कुरोली, जिला मैनपुरी में खुलने की तिथि, २ अक्तूबर, १९५६ से ३० नवम्बर, १९५७ तक जन-हित कार्यों पर दिये गये सरकारी अनुदानों का विवरण

जन-स्वास्थ्य (१९५६-५७)

क्र० सं०	नाम ग्राम सभा	नाम व्यक्ति	नाम कार्य	सरकार का अनुदान
१	२	३	४	५
				रु० आ० पा०
१	कल्याणपुर ..	श्री उलफत सिंह ..	पानी पीने का कूप	२०० ० ०
२	,,	श्री रुस्तम सिंह ..	,,	१७५ ० ०
३	लखोरी खुर्द ..	श्री हुकुम सिंह ..	,,	५० ० ०
४	जखोआ ..	श्री मुंशी लाल ..	,,	१७५ ० ०
५	सिरपुड़ा ..	श्री भीमसेन ..	,,	१४१ ० ०
६	नोगांव ..	श्री छोटे सिंह ..	,,	५० ० ०
७	भरतपुर ..	श्री बहादुर सिंह ..	,,	४० ० ०
८	,, ..	,,	,,	४० ० ०
९	रजापुर ..	श्री शिवकरन सिंह ..	,,	२०० ० ०
१०	सिरपुढा ..	श्री रघुवर दयाल ..	,,	१५० ० ०
११	विवरई ..	श्री जोधा राम ..	,,	१७५ ० ०
१२	सिरपुड़ा ..	श्री हरीश चन्द्र कवि	,,	१३५ ० ०
१३	नं० अंगली ..	श्री गेंदा लाल ..	,,	१७५ ० ०
				१,७०६ ० ०

यातायात

१४	सिरना गणेशपुर ..	श्री हवलदार सिंह ..	पुलिया	१३५ ० ०
१५	रोशिगपुर ..	श्री लाल छवपाल सिंह	,,	१६० ० ०
१६	नगला जुला ..	श्री काली चरन ..	,,	११५ ० ०
१७	रुस्तमपुर ..	श्री हनुमन्त सिंह ..	,,	८१ ० ०
१८	मथकरपुर बरोलिया	श्री धरमजीत सिंह ..	,,	११६ ० ०
				६०६ ० ०

क्र०सं०	नाम ग्राम सभा	नाम व्यक्ति	नाम कार्य	सरकार का अनुदान
१	२	३	४	५
				रु० आ०पा०
		(जन स्वास्थ्य) १९५७–५८		
१९	पुनूपुरा ..	श्री दयाराम ..	पानी पीने का कूप	१५० ० ०
२०	शहादतपुर ..	श्री जालिम सिंह ..	,,	२०० ० ०
२१	पहाड़पुर ..	श्री अतरा सिंह ..	,,	१८० ० ०
२२	बरखेड़ा ..	श्री हजूरी लाल	,,	२१५ ० ०
२३	मिढावली ..	श्री डंवर ..	,,	२१५ ० ०
२४	,,	श्री कुंजल सिंह ..	,,	२२० ० ०
२५	सराय लतीफ़ ..	श्री राय दुलारे ..	,,	२२५ ० ०
२६	कनकपुर ..	श्री सोनपाल ..	,,	२२५ ० ०
२७	न० झम्मन ..	श्री राम लाल ..	,,	२१० ० ०
२८	शरीफपुर ..	श्री राम सहाय ..	,,	२०० ० ०
२९	दिवरई ..	श्री वेचे लाल ..	,,	२२० ० ०
३०	फतेहजंगपुर ..	श्री हनुमंत सिंह ..	,,	१८० ० ०
३१	जेम्हेसा ..	श्री राम विसाल ..	,,	१४० ० ०
३२	डेगर ..	श्री राम दीन ..	,,	२२५ ० ०
३३	गुलाबपुर ..	श्री सूद अली ..	,,	२२५ ० ०
३४	ज्योंती ..	श्री प्यारेलाल ..	,,	२०० ० ०
३५	सिरपूडा ..	श्री सीताराम ..	,,	१३३ ० ०
३६	सांडा ..	श्री महाबीर ..	,,	१३३ ० ०
३७	रज्जापुर ..	श्री शिवकरन सिंह ..	,,	४० ० ०
३८	पनवाह ..	श्री सिकदार सिंह	,,	३४ ० ०
३९	ज्योंति ..	श्री प्यारेलाल ..	,,	३५५ ० ०
४०	सुबई ..	श्री हीरालाल ..	,,	७० ० ०
४१	न० झम्मी ..	श्री राम चरन ..	,,	६८ ० ०
४२	दिवली खिरिया ..	श्री रोशन खां ..	,,	४० ० ०
४३	पहाड़ पुर ..	श्री भुमिराज सिंह ..	,,	४७ ० ०
४४	वही पथार ..	श्री मनोहर ..	,,	३५ ० ०
४५	मिढ़ावली कलां ..	श्री सुजान सिंह ..	,,	४० ० ०
४६	पहाड़पुर ..	श्री लंकुश सिंह ..	,,	४० ० ०
४७	सिरसा ..	श्री वेदराम ..	,,	५० ० ०
४८	उछतपुर ..	श्री बाबू राम ..	,,	३५ ० ०
४९	जी० बंदाई ..	श्री भरत सिंह ..	,,	४० ० ०
५०	अशोक कुमार ..	श्री बेनीराम ..	,,	३० ० ०
५१	न० इमलिया ..	श्री नत्थू लाल ..	,,	३० ० ०
५२	भोढ़ावली कलां ..	श्री छोटे लाल ..	,,	२५ ० ०
५३	न० मुरली ..	श्री राम चरन ..	,,	५० ० ०
५४	नौगांव ..	श्री रुस्तम लाल ..	,,	५० ० ०
५५	न० बनी ..	श्री राम चरन ..	,,	५० ० ०
५६	रजापुर ..	श्री आछे लाल ..	,,	४० ० ०
				४,६६५ ० ०

क्र० सं०	नाम ग्राम सभा	नाम व्यक्ति	नाम कार्य	सरकार का अनुदान
१	२	३	४	५
		यातायात		रु० आ० पा०
५७	रजापुर ..	श्री शिवकरन सिंह ..	पुलिया	८० ० ०
५८	शरीफपुर ..	श्री जालिम सिंह ..	,,	७० ० ०
५९	दिवली खिरिया	श्री जसवंत सिंह ..	,,	२४० ० ०
६०	रुस्तमपुर ..	श्री हनुमंत सिंह ..	,,	१२५ ० ०
६१	दिवरई ..	श्री गनपत सिंह ..	,,	३०० ० ०
६२	सलेमपुर ..	श्री मोती सिंह ..	,,	१४७ ० ०
६३	तिमनपुर ..	श्री व्रजराज सिंह ..	,,	१८० ० ०
६४	,, ..	,, ,, ..	,,	१८० ० ०
६५	,, ..	,, ,, ..	,,	२१५ ० ०
६६	,, ..	,, ,, ..	,,	२१५ ० ०
६७	जमलापुर ..	श्री जुगेन्द्र सिंह ..	,,	१२८ ० ०
६८	,, ..	,, ,, ..	,,	१८० ० ०
६९	जुन्हेसा ..	श्री राम स्वरूप ..	,,	२६५ ० ०
७०	,, ..	,, ,, ..	,,	१८० ० ०
७१	रौंसिंगपुर ..	श्री छत्रपाल सिंह ..	,,	११८ ० ०
७२	,, ..	,, ,, ..	,,	१२० ० ०
७३	ज्योलीझींग ..	श्री राम फल ..	,,	१३० ० ०
७४	अलूपुरा ..	श्री रसिक लाला ..	,,	१३२ ० ०
७५	अशोकपुरा ..	श्री सुन्दर लाल ..	,,	२५० ० ०
७६	,, ..	,, ,, ..	,,	१,०५० ० ०
				४,३०५ ० ०
	प्रसार सेवा खण्ड के निर्माण में (आंकड़े अक्तूबर, १९५७ तक) ..			७,४४७ ० ०
		कुल योग ..		१८,७२९ ० ०

तत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७९ पर)

सूची

क्रम-संख्या	जिला अलीगढ़ स्थान	ग्रामों की संख्या जिनको अति वृष्टि एवं पानी भर जाने से किसानों के खेतों की फसल को नुकसान हुआ	क्षतिग्रस्त भूमि एकड़ों में	मकानों की संख्या जो गिर गये अथवा क्षति-ग्रस्त हुए
१	२	३	४	५
१	तहसील कोल ..	२०८	३४,१४०	९८८
२	हाथरस ..	१८३	३०,२३५	४,११७
३	इगलास ..	२३६	२४,४७०	२,१३९
४	खैर ..	२८५	४५,११२	५,६२२
५	अतरौली ..	११९	३,०६९	६४
६	सिकन्द्राराऊ ..	१११	१६,९८८	२,२३३
७	शहर अलीगढ़ ..	—	—	२३७
	कुल योग ..	१,१४२	१,५४,०१४	१५,४००

अनुमानित फूड ग्रेन्स तथा अन्य पदार्थ जो मकान गिरने से नष्ट हुये	अहेतु क सहायता (ग्रेचुटस रिलीफ) का धन जो बांटा गया	मकान बनाने के लिये अनुदान (हाउस सब-सिडी) का धन जो बांटा गया	तकावी ऐक्ट १२ के अन्तर्गत धन जो बांटा गया
(रुपयों में)	(रुपयों में)	(रुपयों में)	(रुपयों में)
६	७	८	९
..	१३,०००	१६,०००	६२,०००
५,०००	१७,०००	२५,०००	५७,०००
..	११,०००	१९,०००	३५,०००
४,७००	१७,०००	२४,०००	१,३५,०००
..	३,०००	३,०००	१५,०००
१०,६००	१५,०००	१८,०००	५२,०००
..	९,०००	१०,०००	—
कुल योग .. २०,३००	८५,०००	१,१५,०००	३,५६,०००

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८२ पर)

सूची

चालू वर्ष, १९५७-५८ मे दी हुई वित्तीय सहायता का विवरण (२६-१२-५७ से ५-२-५८ तक)

नाम जिला	अहैतुक सहायता	गल्ला मुफ्त बांटने के लिये दी हुई सहायता	पानी पीने की सुविधा देने के लिये कुंयें खुदवाने हेतु	शिक्षण शुल्क की युक्ति के कारण हुई हानि की पूर्ति के लिये स्वीकृत धन	प्रयोग कार्य
मिर्जापुर	२,५००	..	..	..	२५,०००
जौनपुर ..	..	६,०००	..	३७,०००	..
गाजीपुर ..	..	..	..	..	१,००,०००
बलिया ..	..	..	..	४२,०००	१०,०००
गोरखपुर ..	..	..	..	..	१,००,०००
बस्ती ..	..	..	..	..	४,००,०००
आजमगढ़ ..	..	..	..	..	२,००,०००
देवरिया ..	..	३२,०००	..	..	२,००,०००
इलाहाबाद ..	..	..	५,०००	..	..
बांदा ..	११,०००	..	..	..	८०,०००
कुल योग ..	१३,५००	३८,०००	५,०००	७९,०००	११,१५,०००

नोट:—बांदा जिले की सहायता का विवरण १-४-५७ से ५-२-५८ तक है। इसके अतिरिक्त ९०,००० रुपये तकावी के लिये स्वीकृत किये जा चुके हैं।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८४ पर)

नौतनवा पंचायत निरीक्षक क्षेत्र में अप्रैल ५५ से मई ५७ तक लगे व बने कुओं व हैण्ड पम्प की सूची :—

हैल्ड पम्प			कुयें		
नाम ग्राम		संख्या	नाम ग्राम		संख्या
कोहड वल	..	२	बरवा कलां	..	१
हाथीगढ़ वा	..	१	बुगहरा	..	१
सगरहवा	..	१	शीषगढ़	..	१
नौनिया	..	१	भगतपुरवा	..	१
शिवपुर कलां	..	१	शिवपुर कलां	..	१
सबरघाटी ..	..	१	परसौना	..	१
टेढ़ी	..	१			
बैद्यनाथपुर	..	१	कुल संख्या		६
एकमा	..	१			
मेंडुहरा	..	१			
शिकारगढ़	..	१			
कैथौली	..	१			
सरसौना	..	१			
खड खोड़ा	..	१			
कुल संख्या ..		१५			

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ व ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८४ पर)

GOVERNMENT OF THE UNITED PROVINCES
COLONIZATION DEPARTMENT

No. 3643/XII-A—317-1949. *Dated Lucknow, August, 29, 1949.*

NOTIFICATION

Under sub-section (I) of section 54 of the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule is needed for a public purpose.

The Governor, being of opinion that the provisions of sub-section (I) of section 17 of the said Act are applicable to the land, is further pleased under sub-section (4) of the said section to direct that the provisions of section 5-A of the Act shall not apply :

SCHEDULE

Distt.	Pargana.	Village	Area in acres	Purpose for which required
Naini Tal	Kashipur ..	Bhagwantpur	.. 616	For resettlement of ex-servicemen.
		Ramnagar	.. 265	
		Dohari Vakil	.. 904	
		Dhakia Kalan	4410	
		Gangapur Gosain	.. 709	
		Ferozepur	.. 542	
		Gopipura	.. 429	
		Bhogpur	.. 476	
		Patti Harru	.. 259	
		Manpur	.. 692	
		Pachhawala	1,060	
		Kundesari	1,117	
		Sheolalpur Dallu	.. 702	
		Patti Bhajjar	.. 252	
		Sitarampur	.. 533	
		Kharmasa	1,006	
		Partapur	.. 573	
		Jurka	.. 993	
		Betwala	.. 837	
		Garhi Negi	2,059	
		Karanpur	.. 792	
		Pastaura	.. 260	
		Bhagwara	.. 563	
		Ganeshpur	.. 112	
		Kesripur	.. 286	
		Girdhaimunshi	.. 385	
		Baratpur	.. 769	
		Sheorapur (Sheorajpur)	828	
		Jagatpur Patti	.. 885	
		Haldua Sah	.. 860	
		Gora	.. 328	
		Bhawanpur	.. 634	
		Garhi Hussain	.. 368	
		Tanda Prabhapur	.. 387	

Distt. Pargana	Village	Area in acres	Purpose for which required
	Narainpur	.. 676	
	Ahmednagar	.. 575	
	Daduwala	.. 899	
	Baberkhera	.. 1,575	
	Llapur	.. 712	
	Kunda	.. 870	
	Miserwala	.. 486	
	Kudainwala	.. 561	
	Beljuri	.. 1,165	
	Harjawala	.. 448	
	Shahganj	.. 295	
	Basai	.. 909	
	Gangapur Rakba	.. 267	
	Sarverkhera	.. 1,538	

NOTE—It is proposed to acquire only the proprietory rights. Cultivatory rights will not be disturbed and only those cultivatory rights will be reorganized which were recorded in the Revenue Records of 1354-F. From the area to be acquired lands for the time being covered by buildings or appurtenances thereto shall be excluded.

A plan of the land may be inspected at the office of the Deputy Commissioner, Naini Tal.

In compliance with the Sub-Divisional and Land Acquisition Officer, Kashipur's order dated March 11, 1950, on the Additional District Magistrate's order no. Memo /VIII—38, dated March 4, 1950, I Girish Chandra Joshi, Tahsildar, Kashipur, assumed formal possession of the following villages acquired for Colonization Scheme, Kashipur, *vide* Colonization Department notification no. 3643/XII-A—317-1949, dated August 29, 1949, on behalf of the Additional District Magistrate, Naini Tal, from their proprietors and delivered the same to Sri Azhar Hussain, Additional Tahsildar, Colonization Scheme, Kashipur, who represented the Administrative Officer, Colonization Scheme, Kashipur :

Name of village	Area acquired
	Acres.
Bhagwantpur	616
Ramnagar	265
Dohari Vakil	904
Dhakia Kalan	4410
Gangapur Gosain	709
Ferozpur	542
Gopipura	429
Bhogpur	476
Pattiharu	259
Manpur	692
Pachhawala	1,060
Kundesri	1,117
Sheolalpur (Dallu)	702
Patti Bhajjar	252
Sitarampur	533

Name of village	Area acquired
	Acres
Kharmasa	1,006
Partappur	573
Jurka	993
Betwala	837
Garhi Negi	2,059
Karanpur	792
Pastora	260
Bagwara	563
Ganeshpur	112
Kesaripur	286
Girdha Munshi	385
Bharatpur	769
Sheorajpur	828
Jagatpur Patti	885
Haldusalem (Haldwa Sahu)	860
Gora	328
Bhawanpur	634
Garhi Husain	368
Tanda Prabhapur	387
Narainpur	676
Ahmadnagar	575
Daduwala	899
Baberkhera	1,575
Lalpur	712
Kunda	870
Miserwala	486
Kundayanwala	561
Beljuri	1,165
Harjawala	448
Shahganj	295
Basai	909
Gaznpur Raqba	267
Sarverkhera	1536

(Sd.) G. C. JOSHI,
Tahsildar,
Kashipur.

19-3-50.
Taken over possession as above.

(Sd.) S. A. HUSAIN,
Additional Tahsildar, Colonization Scheme, Kashipur.

19-3-50.

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८५ पर)

भूमि जो महालक्ष्मी कम्पनी के नाम है।

तहसील		क्षेत्रफल (एकड़ में)	व्योरा
गोंडा	.. ..	२८.४८	साखू जंगल
	..	३१४.८९	जंगल झाड़ी (लगभग १०० वृक्ष महुआ के हैं)
	..	१.८१	खेती होती है।
	..	१५.६८	बंजर
	योग	३६०.८६	
	..	७१.२३	भूमि जो हाल में ट्रस्ट के नाम से कट गई (१३६३ फसली से ७१.२३ एकड़ भूमि महालक्ष्मी कम्पनी के नाम से कट कर ग्राम समाज के नाम दुरुस्ती मुकदमें की आज्ञा दिनांक अक्तूबर ५७ द्वारा अंकित की गई है।)
	..	२८९.६३	शेष जो अब कम्पनी के पास है।
उतरौला ..	.. ..	२०४.१२	खेती होती है।
	..	३३२.३३	महुआ के वृक्ष हैं।
	,,	१९३.१५	झाड़ी का जंगल है।
	योग	७२९.६०	
	कुल योग ..	१०१९.२३	

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८५ पर)

सूची

तहसील उन्नाव

गांव का नाम		प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	खैरात (अहेतुक सहायता) बांटी गई (रुपये में)	तकावी बांटी गई (रुपये में)
१		२	३	४
रायपुर बुजुर्ग	..	३०	..	..
अटिस्पा	..	५	..	..
बसधना	..	१०	...	..
मैंसाई नऊबसता	..	१५	..	..
भरौदासुचित	..	५	..	..
कटरा	..	८६	३४५–००	४००–००
सिमरी शनकरपुर सराय	..	५१७	२९००–००	१२६०–००
भौंडी		५	३०–००	..
पटयारा खैरा बहरौली	..	७०	४४०–००	९४०–००
रूहेस्वापुर खैरा कन्हवापुर	..	१५	..	..
मंझरा पीपर खैरा		१०	..	..
गोता खोर खैरा हेमलट खैराहा		९०	३००–००	..
योग, १२ ग्राम		८५८	४०१५–००	२६००–००

तहसील हसनगंज

नवाई	..	६	..	..
रायपुर गढ़वा	..	११	..	..
नेवरा उदई	..	१२	..	..
गोरा कलां	..	५	..	..
असीवन तरफ पच्छीम	..	३०	..	..
नेवरा घाट	..	२५	..	..
योग—६ ग्राम	..	८९	..	..

तहसील सफीपुर

गांव का नाम	प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	खैरात (अहेतुक सहायता) बांटी गई (रुपये में)	तकावी बांटी गई (रुपये में)
१	२	३	४
सराय सकहन ..	१०	६५—००	..
फखरापुर ..	५१०	१६१५—००	२४००—००
नेवल ..	४	..	..
कुर्खट ..	३	..	..
शम्सपुर अटोया ..	६	..	..
कबूलपुर			
सफीपुर ..	१५	८०—००	..
चुर्तजापुर ..	२१५	३२०—००	..
बांगरमऊ ..	७	..	..
कपूरपुर ..	८	..	..
दवलरहा ..	७०	..	२००—००
लोकीया बादेपुर ..	९	..	..
उगु ..	६	..	..
मदार नगर ..	४०	..	..
योग, १३ ग्राम	९०३	२०८०—००	२६००—००

तहसील पुरवा

बाराहादेव ..	३ परिवार	५०—००	..
लालगंज ..	३ परिवार	..	..
हिलौलो ..	१ परिवार	..	७००—००
अप्सरा ..	१ परिवार	..	..
बीबापुर खुर्द ..	१ परिवार	..	..
मिसरन खैरा ..	३१ परिवार	१००—००	..
कलुलिया ..	१ परिवार	..	..
योग—७ ग्राम ..	४१ परिवार	१५०—००	७००—००
कुल योग—३८ ग्राम ..	१८५० व्यक्ति ४१ परिवार	६,२४५—००	५,९००—००

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८६ पर)

सूची

सन् १९५७ में लखनऊ ज़िले में आग द्वारा प्रभावित ग्राम तथा उनमें हुई हानि का विवरण

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	जले हुए मकानों की संख्या	प्रभावित मनुष्यों की संख्या	हानि रुपये में
१	सथबारा, तहसील मोहनलालगंज	..	१ परिवार	९८५
२	निगोहा ,, ,,	..	३ परिवार	१,१७०
३	मौकापुर तहसील लखनऊ	१	१ परिवार	१,०००
४	पहाड़ नगर तहसील मोहनलालगंज	..	१ परिवार	७५०
५	मुहम्मदपुर फरदी ,,	..	२ परिवार	१,०३३
६	मीरख नगर ,,	—	१ परिवार	११३
७	भोली बरकत नगर ,,	..	१ परिवार	५००
८	भगवानपुर ,,	..	१ परिवार	३७०
९	अमेठी ,,	..	१७ परिवार	१,०००
१०	पिपरसन्द ,,	१	१ परिवार	३००
११	मदारी खेरा ,,	१६	१६ परिवार	२,२००
१२	निगोहा ,,	१२	१२ परिवार	१०,६२५
	योग ..	३०	५७ परिवार	२०,०४६

नोट—किसी मनुष्य व पशु की हानि नहीं हुई।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०४ व १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८८ पर)

तालिका जिसका उल्लेख श्री मुरलीधर कुरील एम० एल० ए० द्वारा किये गये तारांकित प्रश्न सं० १०४ व १०५ के उत्तर में किया गया है

क्रम-संख्या	कानपुर जिले में जिला स्तर की प्रशासन संबंधी कमेटियों के नाम	हरिजन प्रतिनिधियों की संख्या
१	२	३
१	जिला नियोजन समिति	३
२	जिला नियोजन समिति की कार्यकारिणी समिति ..	१
३	जिला नियोजन समिति की उप समितियां	
	(क) जिला हरिजन सहायक उप समिति ..	७
	(ख) जिला शिक्षा उप समिति	१
	(ग) जिला उद्योग उप समिति	२
	(घ) जिला अस्पताल परामर्शदात्री उप समिति ..	..
	(ङ) जिला सार्वजनिक निर्माण उप समिति ..	१
	(च) जिला सिंचाई उप समिति	३
४	जिला अपराध निरोधक समिति	..
५	जिला भ्रष्टाचार निरोधक समिति	३
६	जिला मद्य-निषेध समिति	१५
७	जिला सार्वजनिक निर्माण परामर्शदात्री समिति ..	२

पी० एस० यू० पी०, ए० पी० २८६ एल०, ए० १९५८—८१०।